Thursday, 21 December, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28—गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1972/30 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 28—Thursday, December 21, 1972/Agrahayana 30, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
541	सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय	Decision to set up Mini Steel Plants in Public and Joint Sectors	1–2
547	लघु इस्पात संयंत्रों के लिये लाइसेंस देने के बारे में आवेदन पत्र	Applications for Grant of Licences for Mini Steel Plants .	2–4
542	हिन्दी चीन के लिये नये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की स्थापना	Setting up of New International Control Commission for Indo-China . . .	4–5
543	दैत्तरी लौह अयस्क खान श्रमिक संघ को मान्यता	Recognition of Daitary Iron Ore Mines Labour Union . .	6–7
544	समस्त सशस्त्र सेनाओं के लिये अनिवार्य बीमा योजनाएं	Compulsory Insurance Schemes for All Armed Forces .	8
545	सरकारी विभागों में ठेका श्रमिक प्रणाली	Contract Labour System in Governments Departments .	9–11
546	बिहार सरकार भारत कोकिंग कोल कम्पनी देय रायल्टी	Royalty Payable by Bharat Coking Coal Company to Bihar Government . . .	11–13
549	अमरीका के सैनिक विमानों की भारत पर से उड़ानों पर रोक	Ban on Over Flights of US Army Air Craft	13–15
550	बंगलादेश के भूतपूर्व शरणार्थियों की भारत वापसी	Return of Former Bangladesh Refugees to India . .	15
551	मैसूर में कुदरेमुख लौह परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब	Delay in Implementation of Kudremukh Iron Project in Mysore	15
552	इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) लिमिटेड	Industrial Cables (India) Limited	16

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
548	मजदूरों की सेवा निवृत्ति की आयु में कमी	Reduction in Retirement Age cf Workeis	17
553.	पदोन्नत किये गये और सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के बीच अनुपात	Ratio of Promotion between Promotees and Direct Recruits	17
554	भारत और इजरायल "पड़ोसी राष्ट्रों के लिये संभावित शक्तिशाली आणविक खतरे"	India and Israel as possible powerful Nuclear Dangers to Neighbouring Nations . .	17–18
555	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सी० बी० टी० की बैठकों पर खर्च	Expenditure on Meetings of CBT of EPF Organisation . .	18
556	हिन्दुस्तान कापर लिमि ड के विकास के लिये कानडा की एक फर्म के साथ करार	Agreement with a Canadian Firm for Development of Hindustan Copper Limited	18–19
557	राष्ट्रीय स्थायी सम्मेलन संगठन को युगांडा को राष्ट्र मंडल से निकालने की मांग	NSCO's Call for Expelling Uganda from Commonwealth.	19
558	भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये स्थापित बोर्ड द्वारा केरल के भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया रोजगार	Employment provided to Ex-Servicemen of Kerala by Board set up for Welfare of Ex-servicemen	19–20
559	इण्डियन रेडक्रास सोसायटी की राहत सामग्री की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiry into Sale of Relief Materials by Indian Red-Cross Society by CBI. . .	20
560	रक्षा मंत्रालय के विभागों में पदों का आरक्षण	Reservation of Posts in Departments of Ministry of Defence	20
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5249	गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधियों के रूप में भेजे गए संसद् सदस्य	Members of Parliament sent as Delegates to UNO during Last three years . .	20–21
5250	टीन के डिब्बे बनाने वाले कराखानों को टीन की प्लेटों की सप्लाई	Supply of Tin Plates to Tin Can Manufacturing Units .	22
5251	भारतीय पूर्ति सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोजगार	Employment of retired Employees of Indian Supply Service	22–23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5252	चीन की हिरासत में भारतीय युद्ध-बन्दी	Indian POW's in Chinese Custody	23
5253	विजयनगरम में इस्पात संयंत्र	Steel Plant at Vijayanagram .	23
5254	वर्ष 1972-73 में विदेश में भारतीय दूतावासों पर अनुमानित व्यय	Estimated expenditure on Indian Missions Abroad during 1972-73	24
5255	हिन्द महासागर में चीन की पनडुब्बियां	China's Submarines in Indian Ocean.	24
5256	पाकिस्तान द्वारा क्षति पहुंचाई गई भारतीय सम्पत्ति	Indian Property damaged by Pakistan	24
5257	राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गई विमान यात्रा	Flights Undertaken by Prime Minister during Elections to State Assemblies . .	24–25
5258	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreing Tours of Central Ministers and Government Officers	25
5259	आई० एन० एस० विक्रान्त के सी हौक लडाकू विमानों के स्थान पर सुधरी हुई किस्म के नैट विमानों का प्रयोग	Replacement of Sea Hawak Fighters of INS Vikrant with Modified version Gnats	25
5260	सुर्दा तांबा खानों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Management of Surda Copper Mine. .	26
5261	उद्योग (विकास विनिमय) अधिनियम को कोयला खानों पर लागू करना	Application of Industries (D&R) Act on Coal Mine .	26
5262	प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की सेवा निवृत्ति आयु	Retirement Age of Lieutenant Colonel of Terriotirial Army	27
5263	राष्ट्रीय छात्र सेना के यूनिट में नियुक्ति के लिये अपेक्षित न्यूनतम सेवा	Requirement of minimum service for Posting to NCC Unit	27
5264	लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति	Promition to the rank of Lieutenant Colonels . . .	27
5265	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रादेशिक सेना में कमीशन देना	Grant of Commission in Territorial Army to educated unemployed	28
5266	माना कैम्प में जलाने वाली लकड़ी का गोलमाल	Misappropriation of firewood in Mana Camp . . .	28-29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5267	माना कैम्प के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of Services of employees in Mana Camp .	29
5268	माना शिबिर में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of employees in Mana Camp . . .	29-30
5269	माना शिबिर में प्रवेश की अनुमति	Permission for entry in Mana Camp	30
5270	आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिये भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की वार्ता	Talks between Foreign Ministers of India and France for Economic and Cultural Co-operation	30-31
5271	संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी राहत विभाग में तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने के लिये सहायता	Aid from U. N. Refugee Relief Department for relief of Tibetan Refugees . .	31
5272	चीन द्वारा भारत की कब्जा की हुई भूमि में सड़कें और छावनियां बनाना	Roads and Cantonments constructed by China in occupied territory of India .	32
5273	आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता के बारे में निर्णय	Decision regarding seniority of Emergency Commissioned Officers *vis-a-vis* Regular Commissioned Officers .	32
5274	बोकारो इस्पात कारखाने में विस्फोट	Explosion in Bokaro Steel Plant	32
5275	सरकार द्वारा नियंत्रण में लिये गए खानों के अंशधारियों को मुआवजा देना	Compensation to shareholders of Mines taken over by Government	33
5276	थल सेनाध्यक्ष द्वारा प्रादेशिक सेना के एक अधिकारी को प्रादेशिक सेना पदक का दिया जाना	Territorial Army decoration presented to Territorial Army Officer by the Army Chief	33-34
5277	एशियाई लोगों के निष्काशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रतिनिधी की युगांडा के राष्ट्रपति से भेंट	Meeting of representative of U.N. Secretary General with President of Uganda on expulsion of Asians . . .	34
5278	रक्षा प्रयोजनों के लिये हैलीकाप्टर	Helicopters for Defence purposes	34
5279	गोदावरी नदी के प्रवाह को मोड़ने की आंध्र प्रदेश सरकार की योजना	Andhra Pradesh Government's Scheme regarding diversion of Godavari Water . .	35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5280	इंडियम पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस के सदस्यों के रूप में सैनिक स्कूल	Sainik Schools as members of Indian Public School Conference	35
5281	चीन के साथ परमाणु शस्त्रों के युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिये परमाणु शस्त्रों का विकास	Development of nuclear weapons to meet the risk of nuclear confrontation with China .	35–36
5282	इस्पात की कतरनों का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Steel Scrap	36
5283	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Indian Iron and Steel Company . .	36–37
5284	असैनिक यातायात के लिये दो नये विमानों का विकास	Development of two new planes for civilian traffic . .	37
5285	अमरीकी वाणिज्यिक फर्मों द्वारा संचार उपकरणों की सप्लाई के ठेकों का नवी करण	Renewal of contract to supply communication equipment by American Commercial Firms	37
5286	अपंग हुए सैनिकों को भूमि तथा आवास सुविधाएं	Land and housing facilities to disabled servicemen .	37–40
5287	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज का प्रमाणित इतिहास	Authentic history of INA of Netaji Subhash Chandra Bose	40
5288	खाद्य सामग्री के असन्तोषजनक वितरण के बारे में सेंट्रल बंगला देश ऐड कमेटी तथा इण्डियन रेडक्रास सोसायटी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Indian Red-Cross Society and Bangladesh Aid Committee regarding unsatisfactory distribution of food stuffs . .	40
5289	सिंहभूम बिहार से बोकारो इस्पात परियोजना के लिये लौह अयस्क और मैंगेनीज खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to purchase Iron Ore and Manganese for Bokaro Manganese for Bokaro Steel Project from Singhbhum (Bihar)	41
5290	राज्यों के रक्षा कारखानों को बिजली की सप्लाई में कटौती	Cut in power supply to defence Units of States . . .	41–42
5291	इस्पात का रक्षित भण्डार बनाना	Creation of a buffer stock of Steel	42
5292	'हिन्दालको' द्वारा अल्युनिमियम का अतिरिक्त उत्पादन	Excess production of aluminium by HINDALCO . . .	42–43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5293	सिंघानिया उद्योग समूह द्वारा एक अल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना में निलम्ब	Delay in setting-up of an Aluminium Industry by the Singhania Group . . .	43
5294	युद्ध बन्दियों द्वारा गड़बड़ करके शिबिरों से भाग निकलने के प्रयत्न	P.O.W.'s Attempts to Escape from Camps by Creating Troubles	43
5295	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये रक्षा सेनाओं के अधिकारी	Officers of Defence Forces caught by C. B. I. . . .	44
5296	कोक कर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा उसके पश्चात् कोयले का उत्पादन	Production of Coal before and after Nationalisation of Coking Coal Mines . .	44–45
5297	लौह अयस्क बोर्ड के सदस्य तथा उसके कार्य	Composition and Functions of Iron Ore Board . .	45
5298	हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव	Resolution in U.N. to keep Indian Ocean & Zone of Peace .	45–46
5299	संयुक्त राष्ट्र वार्षिक प्रतिवेदन से "चीनी शरणार्थी" तथा "तिब्बती शरणार्थी" शब्दों को हटाना	Dropping of Terms "Chinese Refugees" and "Tibetan Refugees" from U. N. Annual Report	46
5300	उद्योगों के उत्पादन के बारे में इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा सर्वेक्षण	Survey by Indian Engineering Association Regarding Output of Industries . .	47
5301	बीमार तथा घायल पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की स्वदेश वापसी	Repatriation of Sick and Wounded Pak POW's . . .	47
5302	श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians Repatriated from Sri Lanka .	47–48
5303	देश में लोहे और इस्पात की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Iron and Steel in the country . .	48–49
5304	नट बोल्ट बनाने वाले कारखानों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Factories Manufacturing Nut Bolts .	49
5305	कोयले का उत्पादन और इस्पात कारखानों को इसका वितरण	Ptoduction and Distribution of Coal to Steel Factories .	50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5306	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये प्राप्त सहायता सामान की बिक्रि की जांच के लिय जांच समिति की स्थापना	Setting-up an Enquiry Committee to go into sale of Relief Materials for Bangladesh Refugees . .	50
5307	भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहन	Incentives to Trainees in Indian Institute of Labour Studies	50
5308	बंगला देश से आये शरणार्थी	Refugees from Bangladesh .	51
5309	इण्डियन इल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, में छंटनी	Retrenchment in Indian Alumimium Company Limited, New Delhi . .	51
5310	अपनी पूरी क्षमता से काम न करने वाले आयुध कारखाने	Ordnance Factories not working to full capacity . . .	51
5311	बिहार के पालामऊ में खनिज पदार्थो को निकालने के लिये लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licences for exploitation of Mineral Wealth of Palamau in Bihar . .	52
5312	अधिकारियों और जवानों के लिये एक ही मैस	Common mess for officers and Jawans	52
5313	गोहटी के पास रक्षा छावनी के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Defence Cantonment near Gauhati	52
5314	इस्पात की छड़ों, तारों, सिल्लियों और पटरियां के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय	Decision to increase prices of Steel bars, wires, ingots and rails	53
5315	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिये कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर	Office buildings and staff quarters for EPFO . . .	53–54
5316	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्लर्कों के रूप में पदोन्नति	Promotion to Class IV staff as Clerks in EPFO . .	54
5317	व्यावसायिक संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को प्रवेश देना	Admission to children and dependents of Ex-servicemen and army personnel in professional and Vocational Institutions . . .	54–55
5318	दूषण से बचाव हेतु 79 देशों की संधि	79 Countries Pact on Pollution.	55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5319	बैरकपुर एयरोनाटिक्स में अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in Barrackpur Aeronautics . . .	56
5320	चौथी योजना में योजगार लक्ष्य	Employment targets during Fourth Plan . . .	56
5321	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में भारतीय और विदेशी पूंजी निवेश	Indian and foreign capital investment in Durgapur Steel Plant	57
5322	इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाने वाले दो कश्मीरियों पर मुकदमा चलाना	Trial of two Kashmiris who hijacked Indian Airlines Plane to Lahore . .	57
5323	दण्डकारण्य के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Dandakaranya Employees	57–58
5224	सैनिक कार्यों के लिये लैसर बीम उपकरण का उपयोग	Intraduction of Instument of Laser Beam for Military Purposes	58
5325	हड़ताल से प्रभावित जलन्धर के समाचार पत्र	Strike hit newspaper of Jullundur	59
5326	गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों को लागू करना	Implementation of Orders issued by Ministry of Home Affairs	59
5327	मध्य प्रदेश में उद्योगों तथा भवन निर्माण प्रयोजनों हेतु इस्पात का आबंटन	Allotment of Steel for Industries and Building purposes in Madhya Pradesh . .	59–60
5328	पाकिस्तानी असैनिकों का भारत स्थित पाक हाई कमीशन के परिसर में रहना	Stay by Pakistan Civilians in Pak High Commission Premises in India . . .	60
5329	रक्षा विज्ञान सेवाओं में असैनिक तकनीकी अधिकारियों/असैनिक सिग्नल प्रशिक्षकों का चयन	Selection of Civilian Technical Officers/Civilian Instructors Signal in Defence Science Services . .	60–61
5330	कोयले का उत्पादन और इस्पात उद्योगों को इसका वितरण	Production and Distribution of Coal to Steel Industries	61
5331	भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था के नैमित्तिक श्रमिकों के लिये सुविधायें	Benefits to Temporary Workers in GSI	61–62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5332	राजस्थान के विभिन्न भागों में खनिज सर्वेक्षण	Survey for Minerals in Different Parts of Rajasthan . .	62
5333	एल्यूमीनियम की चद्दरों की मांग और और उत्पादन	Demand and Production of Aluminium Sheets . .	62
5334	बेरोजगारी दूर करने के लिये कर्मचारियों के वेतन पर अधिकतम सीमा लगाना	Ceiling on Employees Salary to remove Unemployment .	63
5335	बंगला देश और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर हुआ व्यय	Expenditure on Refugees from Bangladesh and West Pakistan	63–64
5336	रायल थाईलड नेवी के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	Visit of Delegation of Royal Thai- land Navy to India .	64
5337	थाईलैंड में विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Foreign Business in Thailand . . .	64–55
5338	उदयसुर स्थित हिन्दुस्तान जस्त कारखाने का बिस्तार	Expansion of Hindustan Zinc Plant at Udaipur . .	65
5339	भारत में और अन्य देशों में इस्पात का प्रति व्यक्ति उत्पादन	Production of Steel Per Head in Foreign Countries and in India	65–66
5340	किसी नए इस्पात करखाने की स्थापना से पहले वर्तमान इस्पात करखानों में उत्पादन बढ़ाना	Increasing Production at Existing Steel Plants before setting up any New Steel Plants . .	66
5341	तीन नए इस्पात करखानों के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति	Appointment of Consultants for Three New Steel Plants .	67
5342	संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propagands by Pakistan in U. N. . .	67
5343	चित्तूर में विसनाथन स्वर्ण खान के निक्षेपों की क्षमता के बारे में अध्ययन	Study about Potential Deposits of Bisanatham Gold Mine at Chittor	67–68
5344	आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले में एसबेसटास के उत्पादन के लिये निक्षेपों के वि ोहन का कार्यक्रम	Programme for Exploitation of Reserves for Production of Asbestos in Cuddapah District of Andhra Pradesh. .	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5345	कुड्डपा जिले में कमलापुरम, येरागूंटा और भोगसमुद्रम क्षेत्रों में फ्लक्स ग्रेड चूना पत्थर के निक्षपों का विदोहन	Exploitation of Flux Grade Lime Stone Reserves at Kamalapuram, Yerraguntha and Bhogansamudram Areas of Cuddapha District . .	68
5346	भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अंतपुर में कोरंडम की खोज	Exploration of Occurences of Corundum in Anantapur by GIS	69
5347	1972-73 में राज्यों को इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel to States in 1972-73	69–70
5348	रेडार तथा एयर गाइडिड वेपन्ज में तकनीकी अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Techinical Officers and Men of Indian Air Force in Radar and Air Guided Weapons . . .	71
5349	कर्मकारी भविष्य निधी संगठन के कर्मचारियों के लिये मकान किराया	House Rent for E.P.F.O. Employees	71
5350	अभ्रक के कम हो रहे निक्षेपों के कारण अभ्रक के खानों के उत्पादन में कमी	Low output of Mica Mines due to Dwinding Mica Reserves	72
5351	भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ को राष्ट्रीय परिषद् द्वारा तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करने तथा पी० टी० आई० को सार्वजनिक निगम में परिवर्तित करने की मांग	Demanding Appointment of Third Wage Board and Conversion of PTI into Public Sector Corporation by National Council of IFWJ .	72–73
5352	भद्रावती इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhadravati Steel Plant	73
5353	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Staff in E.P.F.O.	73
5354	आल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Reserve Bank Employees Association	74
5355	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारी संघ (स्टाफ-यूनियन)	Staff union in Central Office of E.P.F.O.	74–75
5356	महाराष्ट्र और उडीसा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मकान किराया की आदायगी	Payments of House Rent in E.P.F.O. in Maharashtra and Orissa	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5357	हातिया प्रोजेक्ट्ज कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा ज्ञापन	Memorandum by General Secretary, Hatia Projects Workers' Union	76
5358	संयुक्त राष्ट्र संघ में अंगोला तथा मौजाम्बिक के लोगों के प्रति भारत का समर्थन	India's support to people of Angola and Mozambique in U.N.	76
5359	कालीकट जिला क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों के लिय भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण	Survey by GIS for Iron ore deposits in Calicut district region	77
5360	कारखानों में दुर्घटनाएं	Accidents in Factories	77
5361	दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती के गैर-सैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Accommodation for Civilian Defence Employees of Delhi Contonment and Shakurbasti	77–78
5362	रक्षा प्रतिष्ठानों के कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना	Bringing Canteen employees of defence establishments at par with Government employees.	78
5363	रक्षा विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में वृद्धि	Increase in Casual leave of industrial employees of Defence	78
5364	द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Second Pay Commission	79
5365	टीन की प्लेटें बनाने के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Producing Tin Plates	79
5366	क्षय रोग ग्रस्त सैनिक रसोईयें	T. B. Victims among Army Cooks	79–80
5367	जम्मू और कश्मीर में विवादग्रस्त क्षेत्र को ठाकूचक का नाम देना	Naming of disputed Area in Kashmir as Thako Chok	80
5368	विदेशों में भारतीय मिशनों के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में विलम्ब	Delay in Appointments to Indian Missions Abroad	81
5369	गैर-सरकारी उद्योगों में मजदूरों के बारे में स्थायी नियम	Standing Rules regarding workers in Private Industries	81–82
5370	गाडोलिया लुहारों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Gadolia Blacksmiths	82
5371	शौर्य पुरस्कारों तथा पुरस्कार समारोहों पर व्यय की गई राशि	Amount incurred on Gallantry Awards and Award Ceremonies	82–83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5372	सरकार द्वारा जीपों का बेचा जाना	Disposal of Jeeps by Government	83-84
5373	रूरकेला इस्पात संयंत्र अधिकारियों द्वारा खराब इंजन की खरीद को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा मंजूर किया जाना	Disapproval of Comptroller and Auditor General to purchase of a defective Locomotive by Rourkela Steel Plant Authorities	84
5374	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अधिकतम उत्पादन के लिये कार्य-वाही	Steps for optimum Production at Public Sector Steel Plants	85-86
5375	बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न एककों के पूरा होने के बारे में प्रगति	Progress regarding completion of different Units of Bokaro Steel Plant . . .	86-87
5376	इस्पात तथा खान मंत्रालय के सचिव की खान तथा हेवी इंजीनियरिंग के सचिव के रूप में नियुक्ति	Appointment of Secretary of Ministry of Steel and Mines as Secretary of Mines and Heavy Engineering . .	88
5377	सैनिकों को कम्बलों की सप्लाई	Supply of Blankets to Army Personnel	88-89
5378	हिन्द-चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय में कार्य कर रहे भारतीय	Indians working at Headquarters of International Control Commission for Indo-China .	89
5379	राजस्थान के भीलवाडा जिले में ताम्बा और लौहा निक्षेपों के लिये भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण किया जाना	Survey by SSI for Copper and Iron deposits in Bhilwara, Rajasthan	89-90
5380	बंगला देश को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Bangladesh	90
5381	बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिये अर्जित भूमि के लिये धोखाघड़ी के आधार पर लिया गया मुआवजा	Compensation charged on fraudulent grounds for land acquired for Bokaro Steel Plant	90
5382	बिजली की कमी के कारण भारतीय कोकिंग कोल कम्पनी को हानि	Loss to Indian Coking Coal Company due to power shortage	90-91
5383	भारत कोकिंग कम्पनी लिमिटेड की मजदूर विरोधी नीति के सम्बन्ध में संसद सदस्यों की शिकायतें	Complaint from Members of Parliament *re*: Anti Labour Policies at Bharat Coking Coal Co. Ltd. . .	91
5384	शौर्य पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पुरस्कार	Awards other than for Gallantry	91-92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5385	बीकानेर जिले के पलाना ग्राम की भूरा कोयला खान का बन्द किया जाना	Closing of Bhoora Coal Mine of Village Palana of Bikaner	93
5386	मध्य प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिये लौहा तथा सीमेंट की सप्लाई	Supply of Iron and Cement for Construction of Bridges in Madhya Pradesh . .	93
5387	भिलाई इस्पात संयंत्र में विदेशी तकनीशनों के स्थान पर भारतीय तकनीशनों को रखा जाना	Replacement of Foreign Technicians by Indian in Bhilai Steel Plant . . .	93
5388	मध्य प्रदेश में खनिजों का पता लगाने के लिये खनिज खोज निगम	Mineral Exploration Corporation for Exploration of Minerals in Madhya Pradesh	94
5389	टीन के डिब्बे बनाने के लिये फर्मों को दिये गये लाइसेंस	Licences issued to Firms for Manufacture of Tins in Madhya Pradesh	94
5390	पाकिस्तान को चीनी सहायता	Chinese Aid to Pakistan . .	94
5391	रक्षा और गृह मंत्रालयों की सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता लाना	Uniformity in Sainik School Scholarship Schemes of Defence and Hone Ministries	95
5392	डेनमार्क के विदेश मंत्री की यात्रा	Visit by Foreign Minister of Denmark	95
5393	बोकारो इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की कमी	Shortage of Iron ore at Bokaro Steel Plant	96
5394	आवास प्रयोजनों हेतु बिहार सरकार को लौहे तथा इस्पात की सप्लाई	Supply of Iron and Steel to Government of Bihar for Housing purposes	96
5395	उड़ीसा में सीसे का कारखाना लगाना	Setting up of a Lead Plant in Orissa	96–97
5396	उड़ीसा में नयागढ इसपात संयंत्र की स्थापना	Setting up a Steel at Nayagarh in Orissa	97
5397	बाटा शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फर्म को ऋण दिया जाना	Grant of Loan by Bata Shoe Company Private Limited to a firm	97
5398	आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड को अलाट किये गये इस्पात का दुरुपयोग	Alleged misuse of Steel alloted to Assam Sugar Mills Ltd.	97–98

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5399 मंत्रालय द्वारा निकाले गये निबन्ध (मोनोग्राफ)	Monographs brought out by the Ministry	98
5400 मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध	Monographs on the working of the Ministry	98
5401 पुनर्वास विभाग में अनिर्णीत पड़ कृषि भूमि सम्बन्धी मामले	Agricultural land cases pending with Department of Rehabilitation	98
5402 श्रेणी III के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति तथा उनकी वरिष्ठता निर्धारित करना	Promotion and fixation of Seniority of Grade III Stenographers.	99
लघु इस्पात संपंत्रों के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 541 और 547 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to starred Question Nos. 541 & 547 *re:* Mini Steell Plants .	99
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
आसाम की स्थिति—	Situation in Assam—	100–108
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	100–102
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	100, 102–107
सभा की कार्यवाही के बारे में	Re. Proceedings of the House	108–110
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	110–111
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
कार्यवाही सारांश	Minutes .	112
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	112
पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक—	Capital of Punjab (Development and Regulation) (Chandidigarh Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed Rajya Sabha	112
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
55 वां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report	112
याचिका समिति—	Committee on Petition—	
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report .	113

विषय	SUBJECT	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from Sittings of the House—	
आठवां प्रतिवेदन	Eight Report .	113
कम्पाला स्थित भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचीव के निष्कासन के बारे में वक्तव्य—	Statement *re :* Expulsion of the First Secretary of Indian High Commission in Kampala—	
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surindra Pal Singh .	113–114
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
22 वां प्रतिवेदन	Twenty-Second Report	114
नियम 377 के अंतर्गत मामले—	Matter under Rule 377—	
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यों की जांच करने के लिये हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा भारत के निमंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को लिखा गया पत्र	Letter from Chief Secretary, Haryana to the Comptroller and Auditor General of India for conducting inquiry in the affairs of Haryana State Electricity Board . .	115
मुल्की नियम विधेयक—	Mulki Rules Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	116–117
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy .	119
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	120–121
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी	Shri Y. Eswar Reddy . .	122–123
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma . . .	123–124
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi .	124–125
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanthan . .	125–126
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melekote . .	126–127
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony . .	127–128
श्री पट्टाभिरामा राव	Shri Pattabhi Rama Rao .	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मधु दंडवते	Shri Madhu Dandavate .	128-129
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P. V. G. Rau	129
श्री मगन्ती अंकिनीडु	Shri Maganti Ankineedu .	129-130
श्री नाथुराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	130
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao .	130-131
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwar Rao .	131-132
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	132-133
श्री एस० पी० गिरी	Shri S. B. Giri . . .	133-134
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	134-136
खंड 2 से 7 और 1 और प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां—	Clauses 2 to 7 and 1 and 1st and 2nd Schedules—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . . .	136-141
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक —	Indian Penal Code (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—	Motion to concur in Rajya Sabha recommendations to join in Joint Committee—	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	141-142

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1972/30 अग्रहायण, 1894 (शक)

Thursday, December 21, 1972/Agrahayana 30, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : डा० हरि प्रसाद शर्मा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : प्रश्न संख्या 541।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 541 और 547 को एक साथ ले लिया जाए क्योंकि दोनों एक ही विषय पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रश्न संख्या 547 का सम्बन्ध है इसको पूछने वाले दोनों सदस्य श्री मुख्तयार सिंह मलिक और श्री वीरेन्द्र सिंह राव, अनुपस्थित हैं।

सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय

***541. डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतिम रुप से निर्णय कर लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा, सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में पांच लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या निर्णय किये गए हैं और इस्पात संयंत्रों की क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) इस्पात पिण्ड बिलेट के उत्पादन के लिये स्क्रैप पर आधारित विद्युत भट्टी एवं लगातार ढलाई कारखानों की स्थापना हेतु प्राप्त हुए विचाराधिन आवेदनों पर अंतिम रूप में कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब प्राक्कलन समिति के समक्ष लघु संयंत्रों की स्थापना हेतु विचाराधिन आवेदन पत्नों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिए जाने में असाधारण विलम्ब का प्रश्न आया था, तो सरकार ने कहा था कि 1½ वर्ष का विलम्ब हुआ है। लेकिन जब विलम्ब के कारणों के बारे में पूछा गया तो सरकार ने उत्तर दिया कि इस उद्योग के विकास का प्रश्न नीति की दृष्टि से विचाराधिन है।

2—19 LSS/72

अब एक साल और बीत गया है और अभी भी सरकार का यही उत्तर है कि इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया गया है। सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। केवल यह कथन कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, प्राक्कलन समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के भी विपरित है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : 1971-72 में 22 आवेदकों को जिन्होंने काफी पहले आवेदनपत्र दिए थे, आशय पत्र जारी कर दिए गए ह, और इस सम्बन्ध में लोकसभा तथा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जा चुका है। उसके बाद हमें 103 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनको लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व हमें उपलब्ध स्क्रैप की मात्रा का पता लगाना था। हमने फैरों-स्क्रप की उपलब्धता के बारे में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया और उसने सिफारिश की कि 200,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन तक के लिए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उपलब्ध स्क्रैप की मात्रा से 200,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाले एककों की आवश्यकताएं ही पूरी हो सकेंगी। कार्यकारी दल का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और अब हम यह निर्णय ले रहे हैं कि किसको लाइसेंस जारी किए जाएं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या इसका अर्थ यह है कि सभी विचाराधिन आवेदन पत्रों पर विचार कर लिया गया है और निर्णय लिया जा चुका है तथा उन आवेदन पत्रों के बारे में निर्णय विचाराधीन है जो कि बाद में प्राप्त हुए थे?

प्रश्न के (ख) भाग, कि जिन कारखानों के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके है; उनमें उत्पादन कब शुरू होगा, के उत्तर में प्राक्कलन समिति के 20 वें प्रतिवेदन में कहा गया था कि विद्युत भट्टियों के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और 1972 के प्रारम्भ नें कार्य शुरू हो जाएगा। क्या सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन की क्रियान्विति हो चुकी है; यदि हां तो तत्सम्बन्धि वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस बारे में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पुछें अथवा मुझे लिखें। मैं उन्हें उत्तर दूंगा वास्तविक स्थिति के बारे में मुझे सही सही पता नहीं। माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि इन संयंत्रो की बाहर से सतत-ढलाई एकक आयात करने की अनुमति दी गई थी। इनमें शीघ्र से शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। इस समय मुझे इस बात की सही जानकारी नहि है कि कितने संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो चुका है। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूंछ तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुख्तियार सिंह मलिक, आपका नाम भी पुकारा गया था, लेकिन आप उस समय उपस्थित नहीं थे। आपका प्रश्न इस प्रश्न के साथ सम्बन्ध था अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस देने के बारे में आवेदन पत्र

***547. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेंद्र सिंह राव† :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के बारे में गत वर्ष सरकार को राज्य-वार, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) किन फर्मों ने इन संयंत्रों के लिये आवेदन पत्र दिये हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) इस्पात पिण्ड/बिलेट के उत्पादन हेतु विद्युत भट्टियां एवं लक लगातार ढलाई के कारखाने स्थापित करने हेतु दिसम्बर, 1971 से लेकर आज तक राज्यवार प्राप्त हुए आवेदनों के बारे में एक विवरण सभी पटल पर रख दिया गया है। [**मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एन० टी०-4112/72**]

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय सदन को यह सूचना पहले से ही दे चुके हैं कि सरकार द्वारा इन प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री कोई ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं जबतक कि सारे प्रार्थनापत्रों को निपटाया जा सकेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं आशा करता हूं कि एक महीने के भीतर हम यह निर्णय लेने में समर्थ हो जाएंगे कि 103 प्रार्थनापत्रों में से कितनों को स्वीकृति दी जाएं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 103 प्रार्थनापत्रों में से संभवत: 4 को ही केवल स्वीकृति दी जाएगी क्योंकि प्राक्कलन समिति ने बताया है कि 200,000 टन उत्पादन के लिए स्क्रैप उपलब्ध हो सकेगा हमारी नीति उन एककों को लाइसेंस देने की है जिनकी उत्पादन क्षमता 500,000 टन प्रति वर्ष है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि लाइसेंसों की संख्या स्क्रैप के अभाव के कारण नहीं बढ़ाई जा सकती। क्या यह सच नहीं है कि हजारों टन स्क्रैप जापान को निर्यात किया जा रहा है जबकि हमारे अपने उद्योग स्क्रैप के अभाव से ग्रस्त हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य को सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह स्थिति पहले थी। अब हम स्क्रैप का निर्यात नहीं कर रहे हैं।

श्री के० एस० चावडा : क्या सरकार ने लघु इस्पात संयंत्र की कोई परिभाषा निश्चित की है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार में सरकार ने लघु इस्पात संयंत्र शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। सरकार ने हमेशा माइल्ड इस्पात पिण्डों अथवा बिलटों के उत्पादन हेतु लौह स्क्रैप को ही मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाली विद्युत भट्टियां की बात की है चाहे वे परम्परागत रूप से चलाई जाए अथवा ढलाई कारखाने के रूप में।

श्री के० एस० चावड़ा : लघु इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक कितनी पूंजी हों विनियोजन किया जा सकता है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार उन इस्पात संयत्रों में, जोकि पहले से काम कर रहे हैं तथा जहां उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा, उत्पादन बढाने का विचार कर रही है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह शिकायत की गई है कि वर्तमान इस्पात संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नए प्रार्थनापत्रों पर विचार करने से पूर्व क्या सरकार की कोई योजना इस बात की जाँच कराने की है कि वर्तमान संयंत्रों में क्षमता अप्रयुक्त नहीं है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार में माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न नए संयंत्रों को लाइसेंस प्रदान करने का है ताकि बड़े इस्पात संयंत्रों में पड़ी अप्रयुक्त क्षमता का। जितने इस्पात का उत्पादन होता है उसका हम प्रयोग करते है। हम चाहते हैं कि उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग किया जा सके। इस्पात का उत्पादन बढाने के लिए हम उपलब्ध स्क्रैप का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते हैं।

हिन्द-चीन के लिये नये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की स्थापना।†

***542. श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन के लिये चार राष्ट्रों का एक नया अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत अब भी हिन्द-चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है और भारत को स्थिति के बारे में औपचारिक रूप से अवगत नहीं कराया गया है।

(ख) इस मामले पर संबंद्ध पक्षों की स्वीकृति और सहमति से फैसला होना है।

(ग) जी हां ।

श्री पी० गंगादेव : वियतनाम युद्ध में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से क्या भूमिका अदा करने की आशा करती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वियतनाम युद्ध के बढ़ जाने के बारे में भारत के विचार इस सभा को भली प्रकार विदित हैं । सभा यह भी जानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का कार्य शांति स्थापित करना है। परन्तु जबकि वियतनाम में युद्ध चल रहा है तो इस समय तो उक्त आयोग शायद ही कुछ कर सकता है।

श्री पी० गंगादेव : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्य के रूप में भारत को हिन्द-चीन के संदर्भ में जो अनुभव हुआ है उस दृष्टि से सरकार का इस आयोग के निर्देशपदों में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि वह आयोग वियतनाम में पुनः शांति स्थापना के लिये कारगर ढंग से अपनी भूमिका निभा सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह मामला तो संबंधित पक्षों से ताल्लुक रखता है। भारत का इससे कोई संबंध नहीं है। हां, हमारे दृष्टिकोण के बारे में सभा भली प्रकार अवगत है। हम तो तभी सदस्य बन सकते हैं जबकि दोनों पक्ष चाहें।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : यदि वियतनाम में युद्ध जारी रहने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, तो कि चार राष्ट्रों वाले नये प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के बारे में सरकार का क्या मत है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पहली बात तो यह है कि हमे इस नये आयोग के बारे में कुछ पताही नहीं है कि यह गठित भी होगा या नहीं। यह तो दोनों पक्षों के बीच इस समय चल रही वार्ता पर निर्भर करता है। हमे मालूम नहीं है कि इस वार्ता के क्या निष्कर्ष निकलेंगे। अतः हम इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The names of a number of countries are being mentioned in respect of the setting up of a new Commission on Indo-China, but not that of India. Is it because by upgrading the diplomatic relations with Hanoi, we have created the impression that we are not impartial in this conflict and that we have decided to side with one particular party?

Shri Surendrapal Singh: Certainly we have come to know unofficially that three or four countries are going to become the members and it is also true that India is not one of them. The reason for this appears to be that some countries are objecting to our name.

श्री पीलू मोदी : तो वे उसमें शामिल न हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसी अप्राधिकृत स्त्रोत के आधार पर, जिससे कि सरकार को पता चला है कि एक नये आयोग के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है, क्या सरकार को यह भी मालूम हुआ है कि भारत के नाम पर विचार किये जाने पर सबसे अधिक आपत्ति अमरीका की ओर से की जा रही है? क्या यही कारण हैं कि भारत सरकार बमबारी में इस भीषण वृद्धि की खुलकर निन्दा नहीं कर रही है तथा केवल उस पर अपना खेद ही प्रकट करके चुप हो जाती है? कल, एक दिन में, हनोई पर 20,000 टन बम गिराये गये तथा सैकड़ों व्यक्ति मारे गये। क्या उक्त स्थिति पर केवल अपना खेद प्रकट कर देने का यही कारण है कि भारत नये प्रस्तावित आयोग में शामिल कर लिये जाने का इच्छुक है और इसी लिये सरकार इन पर टिप्पणी नहीं कर रही है।

श्री पीलू मोदी : दूसरे शब्दों में, क्या भारत इस आयोग की सदस्यता की भीख मांग रहा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अब तक हमें किसी भी पक्ष ने इसका सदस्य बनने के लिये नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यही कारण हैं कि सरकार ने नई बमबारी के बारे में दबी जबान से बोलने का निर्णय किया है? सरकार ने उसकी भर्त्सना नहीं की है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : बमबारी के संबंध में, सभा को मालूम है कि विदेश मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया था। हम ने अपना दुःख, चिन्ता तथा निराशा व्यक्त की है। इससे अधिक सदस्य क्या चाहते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दुःख और चिन्ता का क्या अर्थ है।

श्री पीलू मोदी : वह चाहते हैं कि सरकार रोज ही ऐसा करे।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

दतरी लौह अयस्क खान श्रमिक संघ की मान्यता

*543. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय में दैतरी लौह अयस्क खान श्रमिक संघ, उड़ीसा को मान्यता देने के लिए सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ठ) प्रबन्धत्तंत्र ते सरकार को सूचित किया है कि चूंकि दो व्यक्तियों ने यूनियन के जनरल सेक्रेटरी होने का दावा किया है, इसलिए उन्हें परामर्श दिया जाय कि इस मामले में उन्हें किसके साथ पत्रव्यवहार करना चाहिए । उड़ीसा के मजदूर संघों के रजिस्ट्रार तथा दैतरी लौह अयस्क खान श्रमिक यूनियन के श्रमिकों के संबंधित केन्द्रीय संगठन से इस यूनियन का वास्तविक जनरल सेक्रेटरी बताने की प्रार्थना की गई है ।

श्री डी० के० पंडा : मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि दैतरी माईन्ज लेबर यूनियन को केन्द्रीय क्षत्रीय श्रम आयुक्त ने नौ महीने पूर्व मान्यता दी थी । प्रश्न यह है कि क्या प्रबंधकों से यह सिफ़ारिश की गई है कि वे इस विशिष्ट श्रमिक संघ को मान्यता दें ? उत्तर यह है कि क्योंकि वहां दो महासचिव हैं, इसलिये वे सोच रहे हैं कि किस के साथ पत्र-व्यवहार करे । परन्तु प्रश्न यह नहीं है, असली बात तो यह है एक प्रबंधकगण फूट डालने की नीति अपना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये ।

श्री डी० के० पंडा : बिना स्पष्टीकरण के मैं प्रश्न कसे पूछ सकता हूं ? वहां एक कांग्रेसी विधायक के नेतृत्व में एक अन्य संघ भी है जोकि मेहताब-गुट से साठ-गांठ किये हुए है और वह गुट वर्तमान मंत्रीमण्डल के विरुद्ध है, प्रबंधकगण इन दोनों संघों के बीच फूट डालना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतनी बड़ी भूमिका बांधने की अनुमति नहीं देता हूं । आप जानकारी मांगने के लिये प्रश्न पूछिय, जानकारी दीजिये मत ।

श्री डी० के० पंडा : कुछ चीजें दबा ली गई हैं ! इस लिये मैं मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि क्या दैतरी माइन्स लेबर यूनियन को मान्यता देने के लिये कोई विशिष्ट क़दम उठाये गये हैं, यदि हां, तो कब तथा इस संबंध में क्या निदेश दिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह कहना न्यायोचित नहीं है कि अधिकारीगण उनमें फूट डालकर उनपर शासन करना चाहते हैं । इसके विपरीत इस स्थिति में, संघ ही आपस में दलबदली करके स्वयं को विभाजित कर रहे हैं । इस मामले में भी वही बात हुई है । ऐसी परिस्थिति में, उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि इस समय हमें यह निश्चय करना है कि कौन-सा व्यक्ति उस संघ का वास्तविक प्रतिनिधि है क्योंकि हमने पहले जांच की थी तथा इसी आधार पर हम उससे बातचीत कर सकने हैं ।

श्री डी० के० पंडा : फिर मुख्य प्रश्न की उपेक्षा कर दी गई है । दो महासचिवों के बारे में प्रबंधकों ने ही सरकार को सूचित किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में जांच की गई है क्योंकि जब श्रम मंत्रालय ने उस संघ को मान्यता दी थी तब उन्होंने देखा था कि वहां एक ही महासचिव है । अब यदि फिर सूचना मिलती है कि वहां एक अन्य महासचिव भी है, तो क्या श्रम मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिये जांच की है कि यह दूसरा सचिव कौन है जोकि इस संघ का महासचिव होने का दावा कर रहा है । मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई जांच की गई है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यदि संघ के सचिव में परिवर्तन होता है तो हम जांच करते हैं। हमने जांच की है तथा उसी के आधार पर हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न यह है कि वे दो सचिव कौन-कौन हैं? दूसरा सचिव कौन है जिसका नाम दिया गया है तथा क्या उस विशिष्ट सचिव के बारे में जांच पड़ताल की गई है?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमें नाम बताये गये हैं! एक का नाम श्री सी० आर० पुरुथल है तथा दूसरे का श्री आर० एन० दास है। अनौपचारिक रूप से मुझे पता चला है कि अधिकृत सचिव श्री आर० एन० दास ने त्यागपत्र दे दिया है। फिर भी जांच चल रही है। जांच की तारीख 27 सितम्बर, 1972 है।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : सरकार को यह सुनिश्चय करना ही पड़ेगा कि कौन से संघ को बहुमत प्राप्त है। अब वहां दो संघ हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भूमिकायें छोड़ दीजिये।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : जांच कराने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब जांच की गई थी उस समय यह संघ एक 'इन्टक' संघ था। अब एक वर्ष बीत चुका है। इस बीच, जब सभी कर्मचारियों को पता चला कि यह संघ 'इन्टक' संघ बन गया है तो उन्होंने सामूहिक रूप से संघ से त्याग-पत्र दे दिया। उस परिस्थिति में, क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चय करने के लिये पुनः जांच कराने का है कि कौन से संघ को बहुमत प्राप्त है?

श्री बाल गोविंद वर्मा : जांच की जा चुकी है तथा फिर से जांच कराने का हमारा कोई विचार नहीं है। हम प्रबंधकों को आदेश दे चुके हैं कि वे दैतरी ओर माइन्स संघ को मान्यता दे दें।

Ramsingh Bhai Verma: The Question of recognition is associated with the Unions not with the secretaries. Besides secretaries, correspondence may be done by Presidents. Is it not a fact?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : वास्तव में यूनियनों के अन्दर वैमनस्य था अतः यह जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक हो गया कि यूनियन के कार्यों की देख भाल करने वाला वास्तविक महासचिव कौन है। इसी कारण हमने मजदूर संघ के रजिस्ट्रार तथा सरकार के नाम पत्र लिखे।

Shri **Hukamchand Kachwai:** The controversies regarding unions are found mostly over the Question of their recognition. The main thing is the recognition and it is for this that the trouble starts. The Government do not want to accord recognition under pressure, to a union with a larger strength of members. May I know whether Government propose to ascertain the strength of the members of a union through the ballot and accord recognition on that ground?

Whatever he has said about the secretaries, he has said that under the pressure of the State Government. The information supplied to him by the State Government is misleading. There is no truth in that. The union with a larger strength of members should be accorded recognition. The union headed by a Congress M.L.A. have got very few members. Is he not acting under their pressure?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि अभी श्री बालगोविन्द वर्मा ने बताया है, हमन आदेश दे दिये हैं। माननीय सदस्य को एक बात याद रखनी चाहिये कि यदि आज जांच पूरी हो जाय और कल कुछ सदस्य अपनी निष्ठा में परिवर्तन कर लें तो क्या फिर से सदस्य-संख्या की जांच के लिये आदेश जारी किय जायें? हम इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेंगे।

Shri Hukamchand Kachwai: Are you going to start the practice to accord recognition through ballot.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठ जाइये। अगला प्रश्न।

समस्त सशस्त्र सेनाओं के लिए अनिवार्य बीमा योजनाएं

***544. श्री डी० पी० जडेजा.**

श्री बेकरिया.

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त सशस्त्र सेनाओं को, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित अनिवार्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) और (ख) जी, नहीं श्रीमन् । ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि सेना के अधिकारियों और कार्मिकों के लिए एक प्रारूप योजना नामतः "सेना बीमा-एवं बचत निधि" हाल ही में सरकार को विचारार्थ प्राप्त हुई है ।

श्री डी० पी० जडेजा : सरकार का उत्तर नकारात्मक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी योजना को आरम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या सेना बीमा एवं बचत ड्राफ्ट योजना जिसका अभी अभी उल्लेख किया गया है, के अन्तर्गत काम आने वाले व्यक्तियों सहित सेना के तीनों अंग आयेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इसलिये नकारात्मक उत्तर दिया है कि सेना के लिये आवश्यक बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यह योजना, जो सेना मुख्यालय से प्राप्त हुई है, कुछ समय के लिये केवल थल सैनिकों से सम्बन्धित है परन्तु इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या वायुसेना तथा नौसेना मुख्यालय भी ऐसी योजना बनायेंगे । वे जब ऐसी योजना बनायेंगे तब उनपर भी इसके साथ ही विचार कर लिया जायेगा । मुझे विश्वास है कि उन दोनों योजनाओं पर भी ऐसा ही निर्णय किया जायेगा । जैसाकि मैंने बताया है, सेना मुख्यालय से प्राप्त हुई यह योजना विचाराधीन है ।

श्री डी० पी० जडेजा : इन योजनाओं को कार्यरूप देने में कितना समय लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस योजना के महत्व को समझते हैं अतः इस पर शीघ्र विचार कर लेने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु इस पर वित्त मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा विचार किया जाता है तथा स्वीकृति दी जाती है । इस कारण इसमें थोड़ा समय लगेगा । परन्तु हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपने विचारों को अन्तिम रूप देने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बेकारिया–अनुपस्थित । श्री साठे ।

श्री वसंत साठे: यदि रक्षा सेना के सभी व्यक्तियों के लिये यह बीमा योजना लागू होती हैं तो इससे कुल कितना प्रीमियम प्राप्त होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका हिसाब लगाया जा रहा है । मैं केवल थल सेना के आंकड़े बता सकता हूँ । परन्तु यदि यह योजना सेना के तीनों अंगों पर लागू होती है तो प्रीमियम की राशि काफी बड़ी होगी । यह योजना जीवन बीमा निगम के सहयोग से बनाई गई है और इस योजना के अनुसार प्रत्येक आफ़िसर को 30 रुपये मासिक तथा आफिसर से नीची श्रेणी के व्यक्तियों को 5 रुपये मासिक क्रमशः 30,000 तथा 5,000 रुपये की पालिसी के लिये देना होगा ।

Contract-Labour system in Government Departments

***545. Dr. Laxaminarayan Pandeya†:**

Shri D. B. Chandra Gowda:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to put an end to the contract-labour system in Government controlled departments; and

(b) if so, the salient features thereof?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अधीन, उचित सरकार, केन्द्रीय बोर्ड अथवा राज्य बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, से सलाह लेकर किसी प्रतिष्ठान में किसी प्रक्रिया, काम या अन्य कार्य के लिये ठेका श्रमिकों को नियोजित करना प्रतिषिद्ध कर सकती है। लेकिन सरकार नियंत्रित विभागों के संबंध में इस प्रयोजन के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: Mr. Speaker, Sir, even after the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act was passed in 1970, the Contract labour system is continuing in Government controlled departments under which labourers are paid less than the minimum wages. For example, many a works in Railways are got done on Contract basis where the labourers are paid less than the minimum wages. May I know the action taken or proposed to be taken against the Government departments which are not following the provisions of this Act?

Shri Bal Govind Verma: Sir, I think the Hon. Member has not gone through this Act. This Act does not abolish contract labour. We have never said that the contract labour would be abolished completely. There are certain restrictions according to this act on the firms or the contractors who have employed twenty labourers on their work. They are to have a licence and get themselves registered.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: Sir, the Question has not been replied to correctly. It is clear that the Government is going to abolish the contract labour system but it is still in force in certain Government departments and the labourers are not getting even the minimum wages. May I know the reason for which the contract labour system has not been abolished?

Shri Bal Govind Verma: Advisory Committee set up for the purpose had held its meeting on 14 June, 1972. The Committee considered all this and decided to abolish contract labour system at two, three places like Rajhara under Bhilai Steel Plant and Beladila Iron Ore Project under National Mineral Development Corporation. Bhilai Steel Plant and National Mineral Development Corporation are following the said decision. The Committee considered certain other matters also but we are making enquiries regarding other departments and establishments. If it is known that the labourers are not being paid reasonable wages, and the arrangements are not proper there, then we will take steps to improve the situation.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: It is clear from the reply given by the Hon. Minister that even today contract labour system is in force in certain Government departments. He has referred to N.M.D.C. and Bhilai Steel Plant. Besides these, there may be certain other departments also. May I know whether any action has been taken or proposed to be taken against the departments which are not following the provisions of this Act.

Shri Bal Govind Verma: We have sought information from all such Government establishments where contract labour has been employed. If some sort of injustice comes to our notice anywhere, we will certainly take action.

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ठेका श्रमिक ठेकेदारों की इच्छा पर निर्भर करते है और ठेका श्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा बोनस अधिनियम जैसे श्रमिकों सम्बन्धी वर्तमान कानूनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या मंत्रालय के पास ठेका श्रमिकों की एक विस्तृत विधान के अधिकार क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम पहले से ही विद्यमान है। दूसरे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये हम ठेकेदारों तथा दूसरे उद्योगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 1728 प्रमुख नियोक्ताओं के नाम पंजीकृत किये गये हैं तथा लाईसेंस जारी कये गये हैं...

Mr. Speaker: The Hon. Minister has gone into detailed figures. The Hon. Member has not asked this all. The simple question he has asked has already been replied to.

Shri Bhogendra Jha: May I know whether the Hon. Minister is aware of the five layers of contractors for the work in organisations like Hindustan Construction Limited? The original contractor gives contract to the other contractor and the other contractor employs a third one, etc. May I know whether the Government is contemplating any measure to stop this practice and arrange for direct labour relations with the establishment?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति में हम ठेका श्रम पद्धति पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं पांच पांच ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यदि कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रमिक काम पर लगाये जा सकते हैं तो हम इस व्यवस्था को समाप्त करना नहीं चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ठेकेदार उपठकेदारों को काम दे देते हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस पद्धति को समाप्त करना चाहती है ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : सभी ठकेदारों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण रखा जाता है। अतः इस आधार पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि मंत्रीमहोदय को उत्तर ज्ञात नहीं है तो उन्हें इसके लिये समय मांगना चाहिये। हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड में ठेकेदारों की पांच सतह हैं। क्या इस व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में ठेकेदारों की कितनी सतह है इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, यदि उपठेकेदार हैं तो वे सभी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अतः विनियमों की व्यवस्था है ।

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्रीमहोदय ने अभी बताया है कि देश में 1700 ठेकेदार हैं। क्या रेलवे, रक्षा और जरतार विभागों में काम ठेकेदारों को दिया जाता है ? क्या वे कार्य विभागीय रूप से नहीं करा सकते? क्या सरकार की इच्छा यह है कि मज़दूरों को उनकी उचित मजदूरी से वंचित रखा जाये, क्योंकि ठेकेदार मज़दूरों को सदैव ही कम वेतन देते हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां कहीं भी संभव है विभागों को ठेकेदारी की पद्धति को समाप्त करने का परामर्श दिया गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, विकास की वर्तमान स्थिति में उन सबको विभागीय श्रमिकों के रूप में खपा पाना सम्भव नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा : सरकार ठेकेदारों को क्यों नियुक्त करती है? विभागीय तौर पर कार्य न किये जाने के क्या कारण है?

श्री आर० के० खाडिलकर : रेलवे को भी परामर्श दिया गया है कि वे ठेके के आधार पर कार्य करना समाप्त कर दें। परन्तु अन्ततः यह उनको निर्णय करना है कि उन्हें कार्य विभागीय तौर पर करवाना है अथवा ठकेदारों द्वारा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कांग्रेस शासन के 25 वर्ष पश्चात् भी ठेकेदारों द्वारा ठेके पर कार्य कर रहे श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है। सरकार ने ठेका श्रम पद्धति का विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया है। क्या सरकार ने रेलवे तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में ठेके की पद्धति पर कार्य कर रहें श्रमिकों की संख्या को आंका है?

Mr. Speaker: The Members often complain that the names of such and such parties have been mentioned. These things create trouble. I shall not forbid you, but later on you should not say that anything has been said in respect of a particular party. I advise all of you not to mention names of parties in this manner.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह कहते हैं कि उनकी नीति ठेके की श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करने की है। क्या उन्होंने एसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया है?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक सरकारी प्रतिष्ठानों का प्रश्न है, हमारे पास उनके ठीक आंकड़े नहीं है।

श्री त्रिदीब चौधरी : उप मंत्री द्वारा दिये गये पंजीकृत ठेकेदारों के आंकड़े देखने से उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं लगती है। कारण यह है कि बहुत से ठेकेदारों ने अपने को पंजीकृत नहीं कराया। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सरकारी प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाए कि केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही काम दिया जाये ताकि उन्हें पारित विधेयक के अंतर्गत लाया जा सके? अन्यथा इसकी क्रियान्विति से हानि अधिक होगी और लाभ कम क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है? क्या उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों से सम्पर्क स्थापित किया है। यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : सरकारी प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया गया है कि वे पंजीकृत ठेकेदारों को ही काम दे। परन्तु जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है, उसमे कुछ कठिनाई है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वे केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही काम देते हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं समझता हूं कि ऐसा ही है।

Royalty Payable by Bharat Coking Coal Company to Bihar Government

*546. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Bharat Coking Coal Company owes Rs. 3.58 crores to the Bihar Government on account of Royalty;

(b) if so, whether the Bihar Government have demanded the payment of the said amount from the Central Government for meeting the drought situation in the State; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने सरकारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण से बिहार सरकार को देय स्वामिस्व की राशि का संदाय किया है। कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन प्रबन्ध ग्रहण से पहले की इसी अवधि के सम्बन्ध में किसी कोयला खान के पूर्ववर्ती स्वामियों का प्रत्येक दायित्व, पूर्ववर्ती स्वामियों का दायित्व होगा और उनके विरुदध प्रवर्तनीय होगा है कि केन्द्रीय सरकार अथवा भारत कोकिंग कोल कम्पनी के विरुद्ध। अधिनियम की धारा 23 यह उपबंधित करती है कि स्वामिस्व, काटक या अनिवार्य काटक के रूप में राज्य सरकार को शोध्य राशियों को, अन्य सभी अप्रतिभूत ऋणों की अपेक्षा, जो ऐसी रकम नहीं है. जो केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक द्वारा कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध के लिए अग्रिम दी गई हैं, पूर्विकता दी जाएगी। बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि राज्य सरकार की उपाय और साधन स्थिति गंभीर थी और विकास कार्यक्रम के संसाधनों को गतिशील किया जाना था और अत्यधिक सूखे की स्थिति का भी सामना करना था अतः केन्द्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्वामिस्व के बकाए की राशि इसी वर्ष संदत्त की जाए। राज्य सरकार का ध्यान कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के सुसंगत उपबंधों की ओर आकर्षित किया गया है और उसको यह परामर्श दिया गया है कि वह अधिनियम के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त के समय स्वामिस्व के बकाए की राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत करें।

Mr. M. S. Purty : Mr. Speaker, Sir, it appears from the statement of the hon. Minister that the Government want to escape from the responsibility of royalty and want to put the burden on private mine owners. I want to know whether the Government was aware of the fact that amount of royalty was due from the private mine owners at the time of take over by Government? If the Government was in the know of this, was it not their responsibility to realise that amount from the private mine owners for State Governments?

Shri Shahnawaz Khan : The Central Government knew that a large amount of royalty was due to the Bihar Government. But in the Coal Mines Nationalization Act, it was made clear that a Commission of Payment would be appointed and the former mine owners would have to pay that amount. If Bihar Government has any claims, they may approach the Commissioner of Payment.

Shri M. S. Purty : Have royalty claims been received from Bihar Government? If so, what steps the Government propose to take for ensuring the payment of royalty so that the Bihar Government may be out of trouble?

Shri Shahnawaz Khan : The Central Government has full sympathy with the Bihar Government and it is not merely verbal. Bharat Coking Coal Mines owed a sum of Rs. 50 lakhs, which has been paid to them and recently another sum of Rs. 200 crores has been paid to them. We have full sympathy for them and we shall do whatever we can.

Shri Shankar Dayal Singh : The hon. Minister has just said in his reply that when Coking Coal Mines were nationalized, it was made clear that coal mines owners would have to pay this amount. I want to know that when the Government paid compensation to the firms, why did it not deduct the amount of royalty therefrom? I would also like to know whether it is a fact that the Minister of Mines of the Bihar Government met him on various occasion and he gave the State Minister an assurance to this effect?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : जो कोई भी आश्वासन बिहार सरकार को दिये गये हैं उनका पालन किया गया है। किसी भी खान मालिक को अभी तक एक पैसा नहीं दिया गया है। खान मालकों जो राशि देय हैं उसको आंक कर उसे कोकिंग कोल माइन्स अधिनियम में सम्मिलित कर दिया गया है तथा उसे कमिश्नर आफ पेमेंट के पास जमा कर दिया गया है और उसकी अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कर्मचारियों की भविष्य निधि आदि की राशि तथा सरकार की रायल्टी अदा नहीं कर दी जाती।

श्री शंकर दयाल सिंह : 3.58 करोड़ रुपये . . .

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जो भी राशि, हो, चाहे 3.58 करोड़ रुपए हो अथवा कुछ भी हो उसको बिहार सरकार ने आंकना है और कमिश्नर आफ पेमेंट को आवेदन देना है। कमिशनर आफ पेमेंट निर्णय देगा कि ठीक कितनी राशि है और खान मालकों को कोई अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक बिहार सरकार अथवा किसी अन्य सरकार की रायल्टी की राशि अदा नहीं कर दी जाती।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has just stated that since the take-over of Bharat Coking Coal, the royalty has been paid. In this background, I want to know as to what amount of royalty was due at the time of take-over and what payment has been made to Bihar Government? The information asked for by me is in respect of the period before taking over by the Government.

Shri Shahnawaz Khan : Before taking over coking coal mines, a sum of Rs. 4.34 crores was due, out of which a sum of 50 lakhs of rupees has been paid by Bharat Coking Coal to Bihar Government. For the rest, as the hon. Minister has stated, we have not paid any compensation to mine owners and it would have to be paid before compensation is paid to them.

Shri Ramavatar Shastri : When they have got the money why don't they pay them? What is the difficulty in that?

Shri Shahnawaz Khan : A Commissioner has been appointed and all claims would go to him and a decision would be taken thereafter.

अमरीका के सैनिक विमानों की भारत पर से उड़ानों पर रोक

***549. श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीका के सैनिक विमानो की भारत पर से उड़ानों पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या अन्य देशों को इस प्रकार उड़ानों की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों को?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने भारत के ऊपर से अमरीकी सनिक हवाई जहाज़ों की उड़ानों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन, भारत सरकार और अमरीकन सरकार के बीच राजनयिक मिशन से संम्बद्ध माल, डाक और कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए अमरीकी सैनिक हवाई-वाहन कमान के जहाज़ों की उड़ानों के बारे में 1949 का करार समाप्त हो गया है।

(ख) वियना राजनयिक संबंध अभिसमय, 1961 के अंतर्गत सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि वह राजनयिक मिशनों से संबद्ध माल, डाक और कर्मचारियों को लाने-ले जाने की सुविधाएं प्रदान करें।

सरकार की नीति है कि वह, आमतौर से, अत्यंत विशेष मामलों को छोड़कर, भारतीय प्रदेश पर विदेशी सैनिक हवाई जहाज़ों के उड़ने की अनुमति नहीं देती है; विशेष मामलों पर भी गुण-दोष के विचार से निर्णय लिए जाते हैं। यह नियम सभी विदेशी सैनिक हवाई जहाज़ों पर लागू होता है। किसी खास देश के हवाई जहाज़ों पर ही नहीं।

(ग) जी हां। जिस किसी देश के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, वह भारतीय प्रदेश के ऊपरसे अथवा प्रदेश से होकर अपने सैनिक हवाई जहाज़ों के लिए अनुमति मांग सकता है।

(घ) विगत समय में, अन्य देशों के अलावा इन देशों के सैनिक हवाई जहाज़ों को भारतीय प्रदेश पर से उड़ने अथवा होकर जाते की अनुमति दी गई है—अमरीका, यूनाइटेट किंगडम, फ्रांस बर्मा, कनाडा, ईरान, इराक, श्रीलंका, सिगापुर, जर्मन संघीय गणराज्य और नेपाल।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मंत्री महोदय अपने उत्तर के प्रारम्भ में कहा है कि करार रद्द नहीं किया गया है। परन्तु बाद में उनका कहना है कि भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच राजनयिक मिशन से सम्बद्ध माल, डाक और कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिये अमरीकी उड़ानों के बारे में 1949 का करार समाप्त हो गया है। क्या इसको समाप्त करने के कोई राजनीतिक कारण हैं ?

सुरेन्द्र पाल सिंह : इस करार को समाप्त करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, उपरोक्त करार किया गया था परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में सरकार ने महसूस किया कि इस करार को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिय इसे समाप्त कर दिया गया है ताकि सभी देशों के बारे में समान नीति अपनाई जा सके।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि राजनयिक सम्बन्धों के बारे में 1961 के वियेना अभिसमय के अन्तर्गत सरकार सामान आदि लाने ले-जाने की सुविधाएं देने के लिये बाध्य नहीं है। इसके साथ ही उत्तर के अन्तिम भाग में उनका कहना है कि अमरीका, फ्रांस, बर्मा, कनाडा, ईरान, आदि जैसे देशों को अनुमति दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीका सरकार को हमारे देश के ऊपर से उड़ान करने की पुनः अनुमति देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य को कुछ भ्रम प्रतीत होता है। हमने अमरीका तथा अन्य देशों के सैनिक विमानों को अपने देश के उपर से उड़ने की अनुमति इस देश में अथवा अन्य स्थानों में उनके मिशनों अथवा का सामान आदि ले लाने के लिये नहीं दी है। इस देश के ऊपर से उड़ने वाले ये सैनिक विमान थे और हमें पारस्परिक आधार पर यह अनुमति देनी थी। हमने भारत में आनेवाले उन सैनिक विमानों की उड़ान पर रोक लगाई है जो इस देश में मिशनों और अन्य संस्थानों के लिये सामान लाते हैं। उसको रोक दिया गया है, परन्तु देश के ऊपर से उड़ानों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। कोई भी मित्र देश इस प्रकार को अनुमति मांग सकता है और गुणदोषों पर विचार करके अनुमति दी जाती है।

Shri Jharkhande Rai : Is it a fact that India has been allowing American Military Aircraft to overfly India for bombarding North Vietnam or carrying arms to South Vietnam during the last 10 years ?

Shri Surendra Pal Singh : In the first instance, I would like to make it clear that no military aircraft carrying arms or troops for war can overfly our country. The aircraft in case of which the permission has been given were neither carrying military personnel nor war equipment.

बंगला देश के भूतपूर्व शरणार्थियों की भारत वापसी

*550. **श्री पीलू मोदी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश के ऐसे भूतपूर्व शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो गत दो महीनों में भारत वापस आ गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : अब तक राज्य सरकारों और भारत में पुनर्वास परियोजनाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1,400 प्रवासी परिवार जो 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए थे और बंगला देश के स्वतन्त्र होन के बाद बंगला देश चल गए थे, पिछले दो महीनों में वापस भारत लौट आए हैं ।

मैसूर में कुदरेमुख लौह परियोजना के क्रियान्वयन मे विलम्ब

*551 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या मैसूर में कुदरेमुख लौह परियोजना के क्रियान्वयन में बिलम्ब का समाचार मिला है और;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) सरकार ने कुद्रेमुख परियोजना को सिद्धान्तत: अनुमोदित किया है। तथापि, कुद्रेमुख से प्राप्त लौह अयस्क पोल के विपणन के बारे में सन्तोषप्रद व्यवस्था किए जाने पर ही, विनिधान विनिश्चय और परियोजना की मंजूरी दी जा सकती है। इस स्थिति में परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपरोक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है ?

श्री शाह नवाज खाँ : लगभग 174 करोड़ रुपये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या यह केन्द्रीय परियोजना होगी अथवा राज्य सरकार भी कुछ अंशदान देगी ?

श्री शाह नवाज खाँ : विदेशी सहयोग के साथ चलाई जाने वाली यह केन्द्रीय परियोजना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या इसको कालीकट में लोह अयस्क निक्षेपों के साथ सम्बद्ध किया जायेगा ?

श्री शाह नवाज खाँ : जी, नहीं ।

इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) लिमिटेड

*552 **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 778 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) लिमिटेड के नई दिल्ली कार्यालय ने अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को 31 अक्तूबर, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 4 प्रतिशत बोनस का भुगतान कर बोनस अध्यादेश का उल्लंघन किया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस फर्म के विरुध्द कानूनी कार्यवाही करने के लिए यह जानकारी एकत्र कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 778 तारीख 16 नवम्बर, 1972 के उत्तर में पहले ही कहा गया है, यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । यह काम पंजाब सरकार का है कि वे शिकायत की जांच करें, और ऐसी कार्यवाही करे जिसे वे उचित समझे । मामला उनके ध्यान में ला दिया गया है ।

Kumari Kamala Kumari : Its office is situated in Delhi but we have to depend on the State Government to look into the complaint, how is it? When Government officials went to Jeevan-Tara building to look into the complaint, they were bribed and they reported that the matter falls in the State jurisdiction—I cannot follow all this—when the employees should be given a bonus of 14 per cent according to the ordinance issued by the President, they have been paid 4 per cent bonus and if you so desire, I can call for those employees who have been given 4 per cent bonus—How is it?

Shri Balgovind Verma : Sir, the Head office of this company is situated at Rajpura in Punjab and in view of this Punjab Government is the appropriate authority to take action in the matter. Of course, one of their offices is in Delhi and our Ministry has discussed the matter with Delhi Administration and it is understood from them that Messrs Industrial Cables (India) Ltd. have given bonus to their employees at the rate of 4 per cent and *ex-gratia* payment at the rate of 10 per cent has been made this year. Its records are however maintained at Rajpura and in view of this we do not know the details thereof. We have referred this matter to the Government of Punjab (*Interruptions*).

Kumari Kamla Kumari : I want to know from the hon'ble Minister the number of employees who have been paid at the rate of 4 per cent and whether detailed investigations have been made or not so far, if not what are the reasons therefor?

Shri Balgovind Verma : I have stated that 4 per cent bonus has been given and 10 per cent *ex-gratia* payment has been made. We have, however, referred the matter to the appropriate Government to take action against them because they have violated the provisions of the Ordinance.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मजदूरों की सेवा-निवृत्ति की आयु में कमी

*548. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु, अनुसन्धान वर्ग आदि जैसे कुछ विशेष मामलों को छोड़ कर, मजदूरों की सेवा निवृत्ति की आयु को घटाकर 50 वर्ष करने तथा उन्हें सेवा के पूरे लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नत किए गए और सीधे भर्ती किए गए लोगो के बीच अनुपात

*553. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधी भर्ती द्वारा चुने गए अधिकारियों और पदोन्नति द्वारा चुने गए अधिकारियों का अनुपात कम से कम 50:50 के आधार पर रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

India and Israel as "Possible Powerful Nuclear Dangers to neighbouring Nations"

***554. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the United Nations Associations of U.S.A. and Soviet Union have issued a report in Washington signed jointly by both the Countries after making study for two years in which the names of India and Israel have been mentioned as "possible powerful nuclear dangers to neighbouring nations"; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b). Parallel studies on the question of proliferation of nuclear weapons have been issued by the United Nations Association of the USA and the Association for the United Nations in the USSR. These studies are concerned with various possible collateral measures designed to strengthen the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and to secure additional adherence to that treaty. The Report of the United Nations Association of the USA makes a mention of India and Israel as the two "threshould" countries of most critical importance which have not signed the NPT. The Report of the Association for the United

3—19 LSS/72

Nations in the USSR does not make any specific reference to India but only mentions Israel on which influence should be exerted and whose adherence to the NPT should be sought first and foremost.

The Government of India have repeatedly declared their policy of using nuclear energy for peaceful purposes only.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सी० बी० टी० द्वारा किए गये निर्णय

*555. **श्री भोला मांझी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सी० बी० टी० की बैठकें, विशेषकर शिमला, ऊटी, गोआ, दार्जिलिंग जैसे दर्शनीय स्थानों में आयोजित करने पर भारी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) क्या इस निकाय के निर्णय केवल सिफारिश के रूप में होते हैं और सरकार द्वारा दुबारा उनकी जांच की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बैठकों का आयोजन करने का क्या लाभ है और देश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन बैठकों का आयोजन दिल्ली में न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचना दी है कि सामान्यतः केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठकें हर तीन मास के बाद दिल्ली में अथवा प्रादेशिक मुख्यालयों में से किसी एक प्रादेशिक मुख्यालय में या किन्हीं अन्य स्थानों पर बुलाई जाती हैं । बैठक के स्थान के संबंध में पिछली बैठक में उपस्थित न्यासियों का परामर्श लेते हुए अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है और उसे न्यासियों की सुविधा और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए उन निमंत्रणों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है जो वे अपने सम्बन्धित राज्यों में बैठक बुलाने हेतु देते हैं । यदि ये बैठकें दिल्ली में आयोजित की जाएं इस से कुछ मितव्ययता हो सकती है । लेकिन, यह एक अखिल भारत संगठन है और (राज्य सरकार के आमंत्रण पर) बोर्ड की बैठकें राज्य के मुख्यालय में बुलाने से न्यासियों को अवश्य ही राज्य सरकार और उसके अधिकारियों से राज्य विशेष में संगठन से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता है । इस लाभ के सामने नई दिल्ली में बोर्ड की बैठकें बुलाने में होने वाली मितव्ययता छोड़नी पड़ेगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गयी स्कीमों में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की शक्तियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के कुछ निर्णय सिफारिश के रूप में होते हैं जिनके लिए अधिनियम और स्किमो के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा होती है, लेकिन जहां अधिनियम और स्कीमों से प्राप्त होने वाली शक्तियों के अधीन कुछ वाद-विवादों के संबंध में निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड सक्षम सत्ताधारी है, वहां ऐसे निर्णयों का स्वरूप सिफारिशी नहीं होता ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के विकास के लिए कनाडा की एक फर्म के साथ करार

*556. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानडा की सलाहकार इंजीनियरों की फर्म (बाथ क्रिफिस एण्ड मक्वाट) के साथ हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की बिहार स्थित राखा परियोजना के विकास के लिए हाल ही में समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) बिहार की राखा ताम्र खानों के साध्यता अध्ययन के लिए कनाड़ा के परामर्शदात्री अभियंताओं की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार और कनाड़ा सरकार के मध्य हुए करार पर, जो समझौता-ज्ञापन है, 23 नवम्बर, 1972 को हस्ताक्षर हुए । इस करार के आधार पर, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड कनाड़ा की परमार्शदात्री अभियंताओं की फर्म, मैसर्स वाट्स, ग्रिप्स एण्ड मक्वैट के साथ समुचित संविदा करेगा ।

(ख) समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) सिफारिशें उपबन्धित करने की दृष्टि से साध्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस पर राखा ताम्र खान स्थल पर खान का विकास और उत्पादन सक्रियाओं की प्रारंभिक इंजीनियरी अध्ययन की आपूर्ति की जाएगी ।

(ii) कनाड़ा सरकार भारत को सहकारिता सहाय्य कार्यक्रम के अधीन अपने अभिदान के रुप में, कनाड़ा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से, कनाड़ा के तीन सौ हजार डालरों से अनधिक (300,000 डालर) राशि, कनाड़ा परामर्श दल जो ऊपर वर्णित अध्ययन करेगा, की सेवाओं के लिए, उपबंधित करेगा ।

(iii) ऐसा अनुमान है कि परियोजना के सम्पूरण में 10 मास का समय लगेगा ।

राष्ट्रीय स्थायी सम्मेलन संगठन को युगांडा को राष्ट्र मंडल से निकालने की मांग

*557. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्थायी सम्मेलन संगठन (नेशनल स्टेंडिंग कान्फ्रेंस आरगेनाइजेशन) ने, जिसमें लगभग 80 एशियाई संगठन हैं, युगांडा को राष्ट्रमंडल से निकाले जाने और उसकी सहायता भी बन्द करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन की सरकार ने स्थायी सम्मेलन के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की है ।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए स्थापित बोर्ड द्वारा केरल के भूतपूर्व सैनिको को दिया गया रोजगार

*558. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए स्थापित बोर्ड द्वारा केरल के भूतपूर्व सैनिकों को किस प्रकार का रोजगार दिया गया है ; और

(ख) क्या केरल के उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिनको रोजगार दिया गया है, अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या की तुलना में बहुत कम है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जैसा कि अन्य राज्यों में है, केरल में राज्य और जिला सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी संगठनों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं । केरल सरकारने आयु, शिक्षा और राज्य सरकार के अधीन नौकरी पाने में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अग्रता देने में कुछ रियायते मंजूर की हैं । नौकरी पर लगाए गये भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिशतता केरल के रोजगार कार्यालयों में पंजिकृत संख्या में संबंधित है और वह अन्य राज्यों की संख्या को तुलना के समान ही है ।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की राहत सामग्री की बिक्री के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*559. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** 16 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी की राहत सामग्री की भारत और बंगला देश में खुले बाजार में बिक्री के समाचारों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरों के क्या निष्कर्ष हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडीलकर) : (क) और (ख) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, जो एक स्वायत्त संगठन है, के अध्यक्ष ने उनके द्वारा प्राप्त राहत सामग्री के कथित विक्रय से सम्बन्धित आरोपों से इन्कार किया है । सोसाइटी तथा इसके कर्मचारियों, जो कि लोक-सेवक नहीं हैं, के सम्बन्ध में आरोपों की और जांच करना केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ।

रक्षा मंत्रालय के विभागों में पदों का आरक्षण

*560. **श्री धन शाह प्रधान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सभी विभागों में सभी वर्गों और श्रेणियों के कर्मचारियों के पदों का अपेक्षित आरक्षण है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक विभागों में प्रत्येक वर्ग और श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) असैनिक कर्मचारियों द्वारा धार्य पदों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेश रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों पर लागू हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधियों के रूप में भेजे गए संसद् सदस्य

5249. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कौन्-कौन से संसद् सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधियों के रूप में भेजे गये और उनके चयन की कसौटी क्या थी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : 1970, 1971 और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्रम 25वें, 26वें और 27वें सत्र में जिन संसद् सदस्यों को भारतीय प्रतिनिधि-मंडल में सम्मिलित किया गया था उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1970— 25 वां सत्र

1. श्री मोहन धारिया	वैकल्पिक प्रतिनिधि
2. श्री ए० पी० शर्मा . . .	—वही—
3. श्री एस० ए० आगा	—वही—
4. श्री चिंतामणी पाणिग्रही . . .	—वही—
5. श्री जी० एस० रेड्डी	—वही—

1971—26 वां सत्र

1. श्री बिपिन पाल दास . . .	वैकल्पिक प्रतिनिधि
2. श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ	—वही—
3. श्री पी० गंगा रेड्डी	—वही—
4. श्री प्रबोध चन्द्र	—वही—
5. श्री रुद्र प्रताप सिंह	—वही—
6. श्री जुल्फिकार अली खान (अतिरिक्त) . . .	—वही—

1972—27 वां सत्र

1. श्री एन० आर० लस्कर	वैकल्पिक प्रतिनिधि
2. श्री बी० पी० मौर्य	—वही—
3. श्री सी० एम० स्टीफन	—वही—
4. श्री वी० बी० राजू	—वही—
5. श्री एम० जी० रेड्डी	—वही—

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः मुख्य उनकी कसौटी यही है कि वे सरकार की नीतियों से सहमत हों ।

टीन के डिब्बे बनाने वाले कारखानों को टीन की प्लेटों की सप्लाई

5250. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री दिनांक 17 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वनस्पति निर्माताओं ने, जिन्हें टीन के डिब्बे बनाने के 'सी० ओ० बी०' लाइसेंस दिये गये थे, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता को इंडेंट भेजा था और उसने स्वीकृति के बाद इन फर्मों से 'लेटर आफ क्रेडिट' (साख-पत्र) खोलने के लिए कहा था ;

(ख) क्या सितम्बर, 1972 में ही ये 'लेटर आफ क्रेडिट' खोलने के बाद भी इन फर्मों को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इंडेंट के अनुसार सप्लाई नहीं मिली ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इंडेंट कुल कितनी मात्रा का था और वास्तव में कितनी सप्लाई हुई या की जा रही है और शेष मात्रा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

भारतीय पूर्ति सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोज़गार

5251. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पूर्ति सेवा के निदेशक और इससे उच्च पदों के उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या है जिन्होंने सरकारी सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर निजी कम्पनियों में परामर्शदाता के रूप में, पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में रोज़गार प्राप्त किया है ;

(ख) कितने मामलों में इन अधिकारियों का उन फर्मों के साथ सरकारी काम के सिलसिले में सम्बन्ध रहा है; और

(ग) कितने मामलों में इस प्रकार के रोज़गार प्राप्त करने से पूर्व सरकार की मंजूरी ली गई थी ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) : पिछले 10 वर्ष की अवधि के बारे में अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	क्या उनका कम्पनी के साथ सरकारी कारोबार था	क्या नौकरी प्राप्त करने से पूर्व मंज़ूरी ली गई थी
1	श्री एस० टी० थडानी, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के भूतपूर्व अपर महानिदेशक	नहीं	हां
2	श्री मनमोहन सिंह, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के भूतपूर्व निदेशक	नहीं	हां
3	श्री जे० एस० माथुर, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के भूतपूर्व अपर महानिदेशक	नहीं	हां

चीन की हिरासत में भारतीय युद्धबन्दी

5252. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे कुछ सैनिक चीन की हिरासत में हैं जिसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि सरकार को उपरोक्त जानकारी है, तो उन सैनिकों की संख्या कितनी है जो अभी भी चीन की हिरासत में हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : जी नहीं श्रीमन् । सरकार को पता नहीं है कि कोई भी सेना का कार्मिक अभी भी चीन की हिरासत में है ।

विजय नगर में इस्पात संयंत्र

5253. **श्री बेकरिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयनगरम में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये स्थान निश्चित करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां । कारखाने के क्षेत्र का सीमांकन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, मिट्टी के नमूनों का परीक्षण, रेलवे ऐक्सचेंज यार्ड और साइडिंग के लिए सर्वेक्षण, जल-प्रदाय योजनाएं आदि तैयार करने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है । अब तक लगभग 1800 हेक्टेयर (4500 एकड़) भूमि प्राप्त की गई है ।

(ख) कारखाना मैसूर राज्य के बेलारी जिले में तोरणागालु के स्थान पर लगाया जाएगा ।

Estimated expenditure on Indian Missions abroad during 1972-73

5254. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the estimated amount of expenditure to be incurred on Indian Missions abroad during the financial year, 1972-73?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): The estimated expenditure on Indian Missions/posts abroad under the Administrative and Budgetary Control of the Ministry of External Affairs is Rs. 1282.08 Lakhs for the year 1972-73.

China's Submarines in Indian Ocean

5255. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Admiral S. M. Nanda, Chief of Naval Staff published in various newspapers dated 25th July, 1972 to the effect that China can send her submarines in the Indian Ocean; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) & (b): During the course of a speech at the New Delhi South Rotary Club on 24-7-72 on the subject of our maritime interests, Admiral Nanda had mentioned that there was the likelihood of China deploying her submarines in the Indian Ocean. Under International Law, Ships (including Warships) of all countries have freedom of movement outside the territorial waters of a country. However, the views of Government on the question of keeping the Indian Ocean free from tension are well known and have been stated several times on the Floor of the House.

Indian Property Damaged by Pakistan

5256. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether after the Indo-Pak conflict of December, 1971, the Pakistani Military has damaged heavily the Indian property in the Indian territory occupied by Pakistan;

(b) the approximate value of the property so damaged in Indian currency; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b): While it is known that Indian property in the territory occupied by Pakistan has been damaged by Pakistani troops and civilians the extent of such damage can only be known after the territory has been vacated by Pakistan.

(c) The question of preventing further damage to property in occupied areas was taken up by Army Headquarters with GHQ, Pakistan. The Pakistan authorities are understood to have issued appropriate instructions to their troops in this regard.

Flights Undertaken by Prime Minister during Elections to State Assemblies

5257. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1974 on the 11th August, 1972

regarding flights undertaken by Prime Minister during elections to State Assemblies and state :

(a) whether the outstanding amount due to Government on account of the use of Air Force aeroplanes by the Prime Minister for 151 trips during the Elections to the State Assemblies in 1972 has since been paid;

(b) if not, the amount outstanding at present; and

(c) the action being taken by Government for the realisation of the same?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No amount is outstanding for payment from the Prime Minister.

(b) and (c) : Bills amounting to Rs. 4,77,698.95 have so far been preferred in respect of these trips. Of this amount, Rs. 4,27,153.09 have been recovered. The balance of Rs. 50,545.86 is being recovered from the State Governments and authorities concerned.

Foreign tours of Central Ministers and Government Officers

5258. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1746 on the 10th August, 1972 regarding Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers and State :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) : The requisite information is still awaited from some Departments and Ministries of the Government of India. When all the material has been furnished, the requisite information will be compiled and submitted.

आई० एन० एस० विक्रान्त के "सी हौक" लड़ाकू विमानों के स्थान पर सुधरी हुई किस्म के नैट विमानों का प्रयोग

5259. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1972 के "इकनामिक एण्ड पोलिटीकल बीकली" में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है जो "बिच शिप्स फार वट रोल्स" शीर्षक से छपे हैं; और यदि हां, तो उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव आई० एन० एस० विक्रान्त में वर्तमान "सी होक" लड़ाकू विमानों के स्थान पर सूधरे हुए नैट विमानों का प्रयोग करने की सम्भावना पर विचार करने का है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने 4 नवम्बर 1972 के "इकनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली" में छपे उन समाचारों को देखा है जो "बिच शिप्स फार वट रोल्स" शीर्षक से छपे हैं और इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं है ।

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

सुर्दा तांबा खानों के विरुद्ध कार्यवाही

5260. **श्री स्वर्ण सिंह सोखो :** क्या इस्पात और खान मंत्री सिंहभूमि जिला बिहार में सुर्दा ताम्बा खानों के ढह जाने के बारे में 27 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4163 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये 24 नबम्बर, 1972 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि खान के प्रबन्धकों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : खान सुरक्षा के महा-निदेशक ने, जिन्होंने जांच की, कहा है कि निर्णय की विभिन्न त्रुटियों के संचित प्रभाव के कारण दुर्घटना हुई। ऐसा लगता है कि प्रबन्ध ने सद्भाव पूर्वक कार्य किया और इसके परिणामस्वरूप किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं पाया गया। इसलिए, इस दुर्घटना के लिए प्रबन्ध के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है। तथापि, प्रबन्ध को निदेश दिए गए है कि वह रिक्तियों की पूर्ति के लिए शीघ्र व्यवस्था करे।

उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम को कोयला खानों पर लागू करना

5261. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम उन कोयला खानों पर लागू नहीं होता है जो उत्पादन क्षमता/क्षमताओं का उल्लेख किये बिना उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत है;

(ख) क्या उनकी कोयला/कोक उत्पादन क्षमता असीम है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके उत्पादन के संबंध में सही नीतियों/विनियम क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसी खानें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वर्ष 1971 में उनका उत्पादन कितना था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा अनुज्ञप्त समस्त कोयला खानों को यह अधिनियम लागू होता है।

(ख) और (ग) : कोयला खानों को सम्मिलित कर जिन्हें रजिस्ट्रीकृत किया गया है अथवा जिनकी बाबत उन औद्योगिक उपक्रमों से, अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा जारी की गई है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13(1) (घ) के अधीन उपक्रमों में पर्याप्त विस्तारण को प्रभावित करने से पूर्व, अनुज्ञप्ति को प्राप्त करना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सम्यक अनुक्रम में सभा पटल पर रखी जाएगी।

प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की सेवानिवृत्ति आयु

5262. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय में काम करने वाले प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ले० कर्नल का मूल पद धारण किए हुए प्रादेशिक सेना के सभी अफसर 52 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हो जाते हैं, इसमें आर्मी मेडिकल कोर (टी० ए०) से सम्बन्धित अफसर शामिल नहीं हैं, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु 57 वर्ष है।

राष्ट्रीय छात्र सेना के यूनिट में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा

5263. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना के यूनिट में नियुक्ति के लिए प्रादेशिक सेना के अधिकारियों की कम से कम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए; और

(ख) राष्ट्रीय छात्र सेना की यूनिटों में नियमित सेना के अधिकारी को किस आधार पर नियुक्त किया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कम से कम 7 वर्ष की कमिशंड सेवा।

(ख) राष्ट्रीय छात्र सेना की यूनिटों में सैनिक अधिकारी की नियुक्ति सर्विस के अन्दर ही नियुक्ति मानी जाती है। ऐसी नियुक्तियों के लिए 2 वर्ष का कमांड अनुभव रखने वाले अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जाता है।

लफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति

5264. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेजर के पद के प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को केवल कार्यालय में नियुक्ति के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल के पदों पर पदोन्नति किया जाता है और उन्हें किसी यूनिट की कमाण्ड नहीं दी जाती है; और

(ख) नियमित सेना के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्टाफ कालेज की परीक्षाएं पास की हैं और उनकी लेफ्टिनेंट कर्नल के पदों पर पदोन्नति नहीं की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। चूंकि प्रादेशिक सेना के अफसरों को भारतीय मिलिट्री अकादमी या अफसर प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है तथा उन्हें अन्य आर्म्स सर्विसिज के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, उन्हें ले० कर्नल के पद की कमांड नहीं दी जाती है। तथापि उन्हें उस रैंक के स्टाफ नियुक्तियां दी जाती हैं।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान 935 स्टाफ कालेज ग्रेजुएट्स में से एक्टिंग ले० कर्नल के पद पर प्रोन्नति के 864 को चुना गया है। शेष 71 में से केवल 20 का अन्तिम रूप से अतिक्रमण किया गया है तथा 51 के मामलों का आगे पुनरीक्षण किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रादेशिक सेना में कमीशन देना

5265. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रादेशिक सेना के कमीशन देने को प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) क्या सरकार एसे अधिकारियों को लेफ्टिनेन्ट कर्नल के पद पर पदोन्नत कर रही है जिससे वे अपना भविष्य उज्वल बना सकें; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों को पैंशन का लाभ देने का है जिनकी सेवा 20 वर्ष की हो गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जहां तक सम्भव होता है केवल शैक्षिक दृष्टि से अर्हक व्यक्तियों को जो नियमित रूप से सिविल व्यवसाय करते हों, प्रादेशिक सेना में कमीशन प्रदान किया जाता है।

(ख) प्रादेशिक सेना के जो अधिकारी सेवा के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ले० कर्नल के रेंक पर पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया जाता है।

(ग) चूंकि प्रादेशिक सेना वस्तुत: एक अंशकालिक स्वैच्छिक संगठन है, अत: अधिकारी पेंशन लाभों के पात्र नहीं हैं। प्रत्येक पूर्ण बर्ष की सक्रिय सेवा के लिए अधिकारियों को अन्तिम लाभ के रूप में एक माह के वेतन के बराबर सेवांत उपदान दिया आता है, जो अधिक से अधिक 12,000 रु० हो सकता है।

माना कैम्प में जलाने वाली लकड़ी का गोलमाल

5266. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर में 46,000 रुपये के मूल्य की जलाने वाली लकड़ी का गोलमाल किया गया है और लेखापरीक्षकों ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की थी और इस गोलमाल की जिम्मेदारी केन्द्रीय कैम्प के निवासियों पर डाली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिये इस मामले की जांच करवाई थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय कैम्प के बारे में समस्त रिकार्ड बदल दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय शिविर में जलाने वाली लकड़ी का कोई गोलमाल नहीं हुआ है फिर भी अगस्त 1971 और फिर सितम्बर 1971 में, जब शिविर में बहुत गड़ बड़ हुई थी, शिविर में जलाने की लकड़ी के भाण्डार से शरणार्थियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में लकड़ी की चोरी के फलस्वरूप 55,380/-रुपये की कीमत की 6395 क्विंटल जलाने की लकड़ी का नुकसान हुआ था। अब तक लेखा-परीक्षकों ने कोई आपत्ति नहीं की है।

(ख) फरवरी-मार्च 1972 के दौरान शिविर अधिकारियों के लिए शरणार्थियों के कब्जे से 17,969/– रुपये की कीमत की लगभग 2075 क्विटल जलाने की लकड़ी बरामद करनी संभव हो गई थी। यह कभी उन शरणार्थी परिवारों को जलाने की लकडी को कम देकर पूरी की गई थी जिनके पास फालतू लकड़ी थी जिससे कुल हानि 37,411 रुपये की कीमत की 4320 क्विटल रह गई है।

(ग) जी, नहीं।

माना कैम्प के कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करना

5267. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना कैम्प में केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवाएं) नियम, 1965 के नियम 5 के अधीन तीसरी और चौथी श्रेणी के 250 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवाएं) नियम 1965 के नियम 5 के अधीन 1964 से, जबसे माना शिविर की स्थापना की गई थी, जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई गई है उनकी संख्या 97 है न कि 250।

(ख) प्रत्येक मामले की मुख्य कमाण्डण्ट, माना द्वारा जांच की गई थी और उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश उनके द्वारा अच्छी तरह से जांच करने के बाद जारी किए गए। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए इस नियम को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयुक्त किया गया है। जब कभी भी प्रभावित व्यक्तियों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो, इस तरह के मामलों की पुनर्वास विभाग द्वारा भी समीक्षा की जाती है।

माना शिविर में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

5268. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर समुह के लगभग 70 प्रति शत कर्मचारी 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं परन्तु कई वरिष्ठ कर्मचारियों के दावों की उपेक्षा करके उनमें से बहुत थोड़े से कर्मचारियों को अर्धस्थायी बनाया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सभी कर्मचारियों को कब तक स्थायी/अर्धस्थायी घोषित कर दिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी नहीं। माना शिविर समूह के केवल 22 कर्मचारियों ने 8 वर्ष की सेवा पूरी की है। वरिष्ठ पात्र कर्मचारी को छोड़कर किसी कर्मचारी को स्थायीवत्त घोषित नहीं किया गया।

माना शिविर समूह के कूछ कर्मचारी स्थायीवत्त घोषित नहीं किए जा सके क्योंकि वे सन्तोषप्रद कार्य, चालचलन रिपोर्ट, निर्धारित शैक्षिक या तकनीकी योग्यता, प्रवासी कर्मचारियों के मामले में भारतीय राष्ट्रिकता प्रमाणपत्र और निर्धारित टाइप परीक्षा पास न करना आदि जैसी कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

इसके अलावा कर्मचारियों के कुछ वर्गों के मामलों को स्थायीवत्त करने के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पदों के सम्बन्ध में भर्ती के नियमों को अभी हाल ही में अन्तिम रूप दिया जा सका है। इस प्रकार के कर्मचारियों के मामलों पर आगे कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रुप दे दिया जायेगा।

भारत सरकार की नीति के अनुसार अस्थायी विभागों में 50% पदों को, (चतुर्थ श्रणी के पदों को छोड़कर), जो कम से कम 10 वर्ष से चले आ रहे हों और जिनके निकट भविष्य में समाप्त होने की सम्भावना न हो, स्थायी कर दिया जाना चाहिए बशर्ते वे पद 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि से लगातार अस्तित्व में हों और उनके अनिश्चित काल तक चलने की सम्भावना हो। माना शिविर समूह में अभी ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। उक्त संगठन में पदों को स्थायी रुप में परिवर्तित करने और उन पदों पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर उपर्युक्त नीती के अनुसार उपयुक्त समय पर कार्यवाही की जाएगी।

माना शिविर में प्रवेश की अनुमति

5269. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या माना कैम्प में प्रवेश के लिए, उसी कैम्प के अन्य केन्द्रों के सभी व्यक्तियों को जिनमें स्टाफ और आनेवालों के परिवारों के सदस्य भी शामिल है विशेष आज्ञा प्राप्त करनी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी, नहीं। माना शिविर समूह में स्टाफ के सदस्यों और नए प्रवासियों को शिविर में आने जाने के लिए किसी प्रकार के विशेष परमिट की पद्धति नहीं है, फिर भी बाहर से आने वालों को, जिनमें स्टाफ और नए प्रवासी परिवारों के मित्र और सम्बन्धी भी शामिल है, माना शिविर समूह में प्रवेश से पूर्व इजाज़त लेनी होती है और ज़िला अधिकारियों के आदेशानुसार अपने विवरण माना पुलिस स्टेशन को देने होते है।

आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की वार्ता

5270. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, और फ्रांस के विदेश मन्त्रियों में हाल में कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें वैदेशिक सम्बन्धो, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) सम्पन्न हुय समझौते की रूप-रेखा क्या है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल के नेता होकर फ्रांस के विदेश-कार्य मंत्री के मंत्री-प्रतिनिधि, महामान्य श्री आंद्रे बैटनकोर्ट भारत आए थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया।

(ख) और (ग) : यह विचार-विमर्श 5 और 6 दिसंबर 1972 को हुआ था इसमें अनेक विषयों पर बातचीत हुई थी जिसमें विश्व की स्थिति, यूरोप की राजनीतिक स्थिति, यूरोपीय आर्थिक समिति के संबद्ध मामले, उप महाद्वीप की स्थिति और राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध, भी शामिल है। इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत गोपनीय प्रकृति की होती है और इसका ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी राहत विभाग में तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने के लिये सहायता

5271. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 23 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से कितने तिब्बती शरणार्थी वापस चले गये है;

(ख) इन तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी राहत विभाग ने भारत के लिये कितनी राशि मंजूर की;

(ग) अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा इस प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई पूरी राशि प्राप्त न होने क्या के कारण है; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र ने भारत को यह राशि दिये जाने के बारे में अपना रवैया बदल दिया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 30 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान 378 तिब्बती शरणार्थी स्थायी पुनर्वास के लिए कनाडा और स्विटज़रलैंड चले गए थे।

(ख) अक्टूबर, 1968 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को लेना भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने 1969 में अपना एक प्रतिनिधि नई दिल्ली में नियुक्त कर दिया था। अब तक भारत और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बीच विभिन्न परियोजनाओं के लिए 544,156.67 अमेरिकन डालर की करारें हो चुकी हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विदेशी सरकारी एजेन्सी और दो भारतीय गैर-सरकारी एजेन्सियों को भी सीधी सहायता देता आ रहा है। 1969 से दी गई इस तरह की सहायता का मूल्य लगभग 317,000 अमेरिकन डालर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा 1969 से पूर्व भी विभिन्न एजेन्सियों को सहायता दी गई थी।

(ग) भारत सरकार ने करारों के अनुसार सहायता की पूर्ण राशि प्राप्त कर ली है।

(घ) जी नहीं।

चीन द्वारा भारत को कब्जा की हुई भूमि में सड़कें और छावनियां बनाना

5272. **श्री शशि भूषण : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अधिकृत क्षेत्र में चीन द्वारा निर्मित सड़कों और स्थापित छावनियों का व्यौरा क्या है ;

(ख) दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद, भारत के उक्त क्षेत्र में चीन द्वारा निर्मित सड़कों और स्थापित छावनियों का ब्यौरा क्या है;

(क) क्या इस संबंध में कोई विरोध पत्र संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है और यदि कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जैसा कि सदन को अवगत है कि सिक्यांग को तिब्बत में जोड़ने वाले मुख्य राज पथ का एक भाग चीनी नियंत्रण के क्षेत्र में से गुजरता है। ऐसी जानकारी है कि चीनियों ने कुछ सड़कें बनाई हैं और कुछ चौकियां स्थापित की हैं।

(ख) दिसम्बर 1971 के पश्चात् किसी नये निर्माण कार्य से सरकार अवगत नहीं है।

(ग) और (घ). सरकार की नीति बनाया समस्याओं को दोनों पक्षों द्वारा शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ने का प्रयत्न करने की है।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्टता के बारे में निर्णय

5273. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून से पास आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

(रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) आपात कमीशन प्राप्त अफसर तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर मूल पद धारक की तारीख के अनुसार वरिष्ठता ग्रहण करते हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने में विस्फोट

5274. **श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बोकारो इस्पात कारखाने में एक बड़ा विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इससे जन-धन की कितनी हानि हुई और इस विस्फोट के क्या कारण थे;

(ग) क्या कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या इस कारखाने में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने में कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है । लेकिन 27 नवम्बर, 1972 को गैस क्लीनिंग प्लान्ट में एक वाल्व से कुछ धमन भट्टी गैस निकलने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में 28 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा था उनमें से एक कर्मचारी की गैस के प्रभाव के कारण मृत्यु हो गई थी बाकी 27 कर्मचारियों में से 25 कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज के पश्चात घर भेज दिया गया है। 2 को अभी आराम तथा निरीक्षण के लिए अस्पताल में ही रखा गया है । सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

(ग) बोकारो स्टील लि० ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त की है ।

(घ) जी, नहीं ।

सरकार द्वारा नियंत्रण में लिए गए एकक के अंशधारियों को मुआवजा देना

5275. श्री राम नारायण शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अंशधारी संघ ने 1971-72 में नियंत्रण में लिये गये राष्ट्रीयकृत की गई खानों के संबंध में दिए गए मुआवजें के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन संघों और खानों के नाम क्या है तथा अभ्यावेदन किस तिथि को प्राप्त हुए थे; और

(ग) इन अभ्यावेदनों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) मैसर्स शेठिया माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के, जिसकी न्यू धर्मबन्द कोकिंग कोल माइन ग्रहीत की गई थी, कुछ अंशधारियों ने अभिवेदन प्रस्तुत किया था कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन कम्पनी को संदय राशि पर्याप्त नहीं थी ।

(ग) सरकार द्वारा ग्रहीत प्रत्येक कोककारी कोयलाखान/कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में संदेय रीशि, संसद के अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई है।

थल सेनाध्यक्ष द्वारा प्रादेशिक सेना के एक अधिकारी को प्रादेशिक सेना पदक का दिया जाना

5276. श्री ई० आर० कृष्णन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष द्वारा प्रादेशिक सेना के एक अधिकारी को प्रादेशिक सेना पदक प्रदान किया गया था; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें ये पदक दिये तो गये हैं लेकिन समारोह परेड में नहीं दिये गये?

4—19 LSS/72

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) अब तक प्रादेशिक सेना के 57 अधिकारियों को प्रादेशिक सेना पदक प्रदान किए गए हैं। इन में से 8 अधिकारियों को थल सेनाध्यक्ष द्वारा पदक प्रदान कर दिए गए हैं और शेष को अभी दिए जाने हैं। थल सेना मुख्यालय अब इस बात पर विचार कर रहा है कि प्रादेशिक सेना के शेष 49 अधिकारियों को शीघ्र ही ये पदक समारोह-परडों में थल सेनाध्यक्ष अथवा राज्यपालों/राज्य के अध्यक्ष द्वारा दे दिए जाएं।

एशियाई लोगों के निष्काशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रतिनिधि की युगांडा के राष्ट्रपति से भेंट

5277. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रतिनिधि, डा० राबर्ट गार्डनर ने युगांडा के राष्ट्रपति जनरल अमीन से भारतीयों सहित युगाण्डा से एशियाई लोगों के निष्कासन के प्रश्न पर बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव को राष्ट्रपति अमीन का एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा, जाने वाले गैरनागरिक एशियाइयों के संबंध में इस आशय के कुछ आश्वासन दिये थे कि उन्हें अपने साथ अपना निजी सामान और उचित मात्रा में नकद धनराशि ले जाने दी जायगी, वे जो सम्पत्ति छोड़ेंगे उस पर बगैर मुआवजा दिये अधिकार नहीं किया जायेगा और उनके साथ दूर्व्यवहार नहीं किया जायेगा।

रक्षा प्रयोजनों के लिए हेलीकाप्टर

5278. **श्री पी० के० जाकब शरीफ** :
श्री पम्पन गौडा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रयोजनों के लिए देश में निर्मित परिवहन तथा अन्य किस्मों के कितने हैलीकाप्टरों का प्रयोग हो रहा है; और

(ख) क्या इस मामले में हम आत्म-निर्भर है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिंदुस्ताम एयरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) फ्रांस के मैसर्स लाइसेंस के अधीन इस समय एलाउट-3 तथा एस० ए०-315 हैलिकाप्टर की आम किस्म का निर्माण कर रहा है। हैलिकाप्टर का वार्षिक उत्पादन प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ख) जी नहीं श्रीमन्, हैलिकाप्टर के निर्माण में समीप भविष्य में पूरी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना कठिन है, परन्तु अधिकतम स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए हर प्रयत्न किया जाएगा।

गोदावरी नदी के प्रवाह को मोड़ने की आन्ध्र प्रदेश सरकार की योजना

5279. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री के० कोडण्डा रामो रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम के उद्योगों के लिए गोदावरी नदी का प्रवाह मोड़ने की योजना प्रस्तुत की है और इसके लिए ऋण भी मांगा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 50 लाख रुपये उपलब्ध किए जाने का भी अनुरोध किया है ताकि इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण और जांच पड़ताल की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चूंकि विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना की क्षमता तथा प्रोडक्ट-मिक्स के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, जल-प्रदाय योजना पर पुनः विचार करना होगा। आन्ध्र प्रदेश की सरकार को यह बात बता दी गई है।

इंडियन पब्लिक स्कूल कान्फरंस के सदस्यों के रूप में सैनिक स्कूल

5280. **श्री पी० के० चन्द्रभान :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कुछ सैनिक स्कूल पब्लिक स्कलों के अखिल भारतीय संगठन 'इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फरंस' के सदस्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चलाये जाते वाले संस्थानों को इस संगठन में सम्मिलित होने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सैनिक स्कूलों का सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा नियंत्रण किया जाता है जो कि एक स्वायत्त था पंजिकृत निकाय है। ये स्कूल इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेन्स के सदस्य हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल पब्लिक स्कूलों के नमून पर चलाए जाते हैं अतः शैक्षणिक तथा पब्लिक स्कूल शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में नवीनतम विचारधारा को पूरी जानकारी रखने के लिए इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रन्स में उनकी सदस्यता वांछनीय समझा गई है।

चीन के साथ परमाणु शस्त्रों के युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए परमाणु शस्त्रों का विकास

5281. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ते हाल में यह निर्णय किया है कि अन्तरिक्ष कार्यक्रम में तेजी लाई जाये जिससे इसमें प्रतिवर्ष लगभग 100 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और आगामी तीन वर्षों में परमाणु शस्त्र के संबंधित प्रौद्योगिको में अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए इसके बजट में तेजी से वृद्धि होगी ; और

(ख) इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार स्ट्रटटिव स्टडीज़ (लन्दन) के हाल के संस्करण में प्रकाशित इस समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि विश्व राजनिति के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए 1975 के अन्त तक चीन के साथ परमाणु शस्त्रों के युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत को स्वतंत्र शक्ति बनने के लिए चीन का ही अनुसरण करना होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) 1970-80 दशक के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अन्तरिक्ष कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य रूपरेखा परमाणु-ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए गये परमाणु-ऊर्जा और अन्तरिक्ष अनुसंधान 1970-80 दशक के लिए "रूप-रेखा" निर्दिष्ट की गई ह। अणु-ऊर्जा को केवल शान्ति प्रयोजनों के उपयोग में लाने के लिए सरकार की नीति मुझे सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) सरकार ने संदर्भित प्रकाशन को देखा है पन्रतू लेखक के विचारों और उस लेख में जो मूल्यांकन किया गया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

इस्पात की कतरनों का आयात तथा निर्यात

5282. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात की कतरन का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दर निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या भारत अन्य देशों को इस्पात की कतरनों का निर्यात भी कर रहा है और यदि हां, तो किस मूल्य पर ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां। हैवी मेल्टिंग स्क्रेप का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) एक टन का लागत और भाड़ा मूल्य 59 अमरीकी डालर (लगभग 430 रुपये) बैंठता है (जबकि 1 डालर=7.27 रुपये)।

(ग) जी, हां। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के फेरस स्क्रैप जो देशीय उपक्रय से अधिक होता है का निर्यात किया जा सकता है। (कास्ट आयरन बोरिंग का मूल्य 33 से 35.50 डालर है) (लगभग 240-258 रुपये) सी० एण्ड एफ० बी० टी० जापान और मिल स्केल स्क्रैप का मूल्य 16.00-17.50 डालर (116-127 रुपये) सी० एण्ड एफ० एफ० ओ० जापान है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा अर्जित लाभ

5283. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् उसके लाभ में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्ष 1971-72 के लिए इस कम्पनी के शेयर-धारियों के लिये कितना लाभांश घोषित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार ने 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। प्रबन्ध हाथ में लेने के बाद के महीनों के कार्य परिणाम अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1972 के कार्य परिणाम से अच्छे है।

(ख) वर्ष 1971-72 के लिए लाभांश की घोषणा के लिए अधिग्रहण के बाद की अवधि में कम्पनी के कार्यकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्ष 1971-72 में कम्पनी को घाटा हुआ है तथा किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई है।

असैनिक यातायात के लिए दो नए विमानों का विकास

5284. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने असैनिक यातायात के लिए दो नए विमानों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन्हें किस काम में लाया जाएगा और यदि उनके निर्माण का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मे राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका वाणिज्यिक फर्मो द्वारा भंडार उपकरणों की सप्लाई के ठेकों का नवीकरण

5285. **श्री डी० बी० चन्द गौडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उन अमरीकी वाणिज्यिक फर्मो पर जिन्होंने उत्तरी पाने पर बताने के लिए संचार उपकरण सप्लाई करने का ठेका लिया था यह दबाव डाला है कि या तो वे इन ठेकों का नवीकरण करें अन्यथा ठेके को रद्द कर दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) हम ने अमरीकी वाणिज्यिक फर्मों पर दबाव नहीं डाला है। वे और हम दोनों ही इस तथ्य को जानते हैं कि संचार उपकरण पर अमरीकी रोक ने ठेके सम्बन्धी वचन को पूरा करना असम्भव कर दिया है।

अपंग हुए सैनिकों को भूमि तथा आवास सुविधाएँ

5286. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपंग सैनिकों को आवास सुविधाएं देने और भूमि अलाट करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के बारे में सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिए हैं ; और

(घ) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) आवश्यक आवास तथा भूमि की व्यवस्था करना उन सुविधाओं का भाग है जिन पर राज्य सरकारें सहमत हुई हैं। ऐसे आवंटन हर व्यक्ति को आवश्यकताओं तथा संबंधित परिवारों की ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आम इच्छा तथा जिस वातावरण से वे परिचित है उनको ध्यान में रख कर किए जांएगे। राज्य सरकारों के उत्तर संतोषजनक रहा है। राज्य सरकारों द्वारा जो स्थिति बताई गई है वह निम्नांकित है :—

आन्ध्र प्रदेश : जिन गांवों मे उनको भर्ती किया गया था उनमें हरेक के लिए 2.50 एकड़ सींचित तथा 5 एकड़ शुष्क भूमि आरक्षित की गई है : अपंग सैनिकों को आवंटन के लिए विकाराबाद तालुका में कोथापल्ली परियोजना में 100 एकड़ विकसित भूमि भी आरक्षित की गई है।

बिहार : जो गत युद्ध में मारे गये/अपंग हुए उनके परिवारों के लिए पटना में 270 फ्लैटों का आरक्षण किया गया है। जहां आवश्यक है वहां उनकी इच्छा वाले स्थानों में आवास के लिए और आगे योजनाएं बनाई गई हैं। यदि वे भूमि द्वारा निर्वाह करना चाहते हैं तो हरेक को 5 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया जा रहा है। 12 डेसिमल अतिरिक्त आवासिय भूमि भी उनको दी जाएगी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है।

गुजरात : राज्य सरकार आवश्यक सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गई है।

असम : भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों की तरह मारे गये/अपंग सैनिकों के परिवारों के पुर्नस्थापन के लिए 21,000 बिघा भूमि का आवंटन किया गया है। उनको उपयुक्त आवास देने की व्यवस्था करना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण स्थायी रूप से अपंग हो गये सैनिकों को इमदादी दरों पर प्लाटों का आवंटन कर रहा है। मध्यम/न्यून आय वर्ष समूहों के अधीन इमदादी दरों/इमदादी किरायों पर फ्लैटों का भी आवंटन किया जा रहा है।

हरियाणा : स्थायी रूप से अपंग हरेक सैनिक को उपयुक्त आवास देने के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश : राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जम्मू व कश्मीर : राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केरल : जिन अपंग सैनिकों के पास उनके अपने मकान नहीं हैं उनको राज्य आवास बोर्ड द्वारा मकान के स्थल और मकान निःशुल्क दिए जाएंगे। वे अनधिकृत भूमि के आवंटन के मामले में भी वरिष्ठता के पात्र हैं। आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का 10 प्रतिशत उनको आवंटन के लिए आरक्षित किया जा रहा है। अपंग सैनिकों और जो युद्ध में मारे गए उनके परिवारों को जिनके पास एक एकड़ तक भूमि है और प्रति वर्ष परिवार को आय 6,000 रुपए से अधिक नहीं है उन्हें इन नियमों के शिथिलन में आवंटन के लिए पात्र करने की व्यवस्था की जा रही है।

महाराष्ट्र : जो संक्रियाओं में मारे गये हैं/अपंग हो गए हैं उनके परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि दी जा रही है। सरकार की बेकार; जंगली तथा जिरायत भूमि में से 10,000 हेक्टर क्षेत्र और परियोजनायें के लाभकारी क्षेत्रों में से भी उनके लिए आरक्षित किए गये हैं। हरेक अनुदानग्राहीं 4 हेक्टर शुष्क फसल अथवा दो हेक्टर अच्छी प्रकार से सींचित अथवा धान अथवा 1 हेक्टर द्विवार्षिक सींचित भूमि को पात्र है। अनुदानग्राही या तो ग्रामीण क्षेत्र में या नए गांवथानस में जहां भी उपलब्ध हो 200 वर्ग मीटर आवासीय प्लाट का भी पात्र है।

मैसूर : स्थायी रूप से अपंग सैनिकों को दो एकड़ भूमि अथवा चार एकड़ वर्षा द्वारा सींचित भूमि अथवा 8 एकड़ शुष्क भूमि आवंटित की जा रही है। राज्य द्वारा निर्मित उपयुक्त आवास का भी आवंटन किया जायेगा।

मणिपुर : 1971 के भारत-पाक युद्ध में जो सैनिक अपंग हो गये थे जौर जो भूमि-हिन हैं उन्हें 2.50 एकड़ कृषी भूमि और 0.2 एकड़ वास भूमि आवंटित की जा रही है। उपयुक्त आवास के आवंटन के प्रश्न को सिद्धांन्ततः स्वीकार कर लिया गया है और राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा : राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब : राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान : राजस्थान के स्थायी अपंग सैनिकों को या तो उनके घर के समीप या गंगानगर के आवंटन ब्लाक में $12\frac{1}{2}$ बिघा सींचित भूमि या 25 बिघा असींचित भूमि का आवंटन किया जा रहा है। बडे नगरो में आवासिय प्लाटों या आरक्षण किया गया है। उन्हें उपयुक्त आवास देने के प्रश्न पर राज्य सरकार से बातचित की जा रही है।

तमिल नाडु : जो स्थायी रूप से अपंग हो गये हो उन्हें 1.5 एकड़ सींचित अथवा 3 एकड शुष्क भूमि आवंटित की जा रही है। उन्हें आवासीय प्लाट भी दीए जा रहे हैं। उन्हें उपयुक्त आवास देने के प्रश्न पर उनके साथ बात-चित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश : उन अपंग सैनिकों को जो भूमिहीन हैं गांव सभा की फालतू भूमि और उत्तर प्रदेश भूमि सीमा अधिनियम के अधीन घोषित की गई फालतू भूमिमें से अग्रता के आधार पर भूमि आवंटित की जा रही है। स्थानीय निकायों द्वारा विकसित मकानों के प्लाटों का 15 प्रतिशत उनके लिये आरक्षित है।

पश्चिम बंगाल : हरेक जिल्हें में कृषि तथा बास भूमि निर्धारित की गयी है। हरेक परिवार 2 एकड़ कृषि भूमि तथा 10 कठाबास भूमि निःशुल्क प्राप्त का पात्र है बशर्ते उनके पास पहले भूमि नहीं हो।

त्रिपुरा : जो भूमिहीन हैं उन्हें 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

मिजोरम : जो अपंग सैनिक भूमि कृषि करना चाहता है उसे कृषि भूमि आवंटित की जा रही है। जो अपंग हो गए हैं उनके परिवारों के लिए प्रति मकान 3,500 रूपए खर्च करने के लिए राज्य सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो गई है।

अरुणाचल : सरकार के विचाराधीन है।

मेघालय : सरकार के विचाराधीन है।

2 जख्मी सैनिक जो अभी तक विभिन्न अस्पतालों में उपचार पा रहे हैं वे अपनी सेवा-मुक्ति तक सेवा में रहेंगे। उनकी अपंगता की प्रतिशतता निश्चित की जा रही है। यदि उनमें से कोई ऐसे राज्य का है जिसने इन रियायतों को औपचारिक तौर से घोषित नहीं किया है तो यह मामला उस राज्य के साथ अग्रता के आधार पर उठाया जाएगा।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस का आजाद हिंद फौज का प्रमाणित इतिहास

5287. **श्री समर गुह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को आजाद हिन्द फौज का प्रमाणित इतिहास तैयार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो यह कार्य किस इतिहास लेखकों को सौंपा गया है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या श्रोत सामग्री प्रयोग में लाई जायगी ; और

(घ) आजाद हिन्द फौज के इतिहास तैयार करने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) इस मंत्रालयके ऐतिहासिक अनुभाग द्वारा आजाद हिन्द फौज के वर्णनात्मक लेखों का एक को प्रारुए तैयार किया गया है। इस प्रारुप के लिए सामग्री प्रकाशित और गैर-प्रकाशित श्रोतों से ली गयी है। हमारे ध्यान में आयी अतिरिक्त सामग्री के प्रकाश में प्रारुप संशोधित किया जा रहा है।

Complaints against Indian Red Cross Society and Bangladesh Aid Committee regarding Unsatisfactory Distribution of Food Stuffs

5288. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether complaints in regard to unsatisfactory distribution of food stuff to refugees by the Central Bangladesh Aid Committee and Indian Red Cross Society have been received; and

(b) if so, whether Government have investigated in the matter and if so, the results thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) The Indian Red Cross Society and the Bangladesh Relief Assistance Committee are autonomous organisations. No specific complaint has been received alleging unsatisfactory distribution of food stuff to refugees by these organisations.

(b) Does not arise.

Proposal to purchase Iron Ore and Manganese for Bokaro Steel Project for Singhbhum (Bihar)

5289. Shri Madhukar: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Central-Government's attention has been drawn by the Minister of Mines of Bihar Government to the fact that iron ore and manganese are available in adequate quantity in Singhbhum of Bihar itself;

(b) if so, the reasons as to why these commodities are purchased for the Bokaro Steel Project from Orissa through Minerals and Metal Trading Corporation; and

(c) whether Government propose to purchase Iron Ore and Manganese for the Bokaro Steel Project on priority basis from Singhbhum of Bihar?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Only Manganese ore is being purchased through the MMTC which gets the ore from a number of sources.

(c) The Kiriburu Mine in Bihar is being expanded to supply the iron-ore requirements of the First Stage of Bokaro Steel Plant. It has also been decided to develop Maghahtaburu Mine to meet the iron-ore requirements in the Second Stage of the Steel Plant. Even now, all the lump ore required by the Steel Plant is being supplied from the Kiriburu Mine. After completion of the expansion scheme of the Mine, some quantity of iron-ore fines also will be available from this source. However, as this Mine will not be able to meet the full requirement of fines of Bokaro Steel Plant, some quantity of fines will continue to be obtained from other sources till the development of Maghahtaburu is completed.

राज्यों के रक्षा कारखानों को बिजली की सप्लाई मे कटौती

5290. श्री बी० माधवन :

श्री प्रभु दास पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मद्रास जैसे कुछ राज्यों में रक्षा कारखानों को दी जाने वाली बिजली में कटौती की गई है ;

(ख) किस-किस रक्षा कारखाने पर यह प्रभाव पड़ा है और क्या इसके रक्षा प्रयत्नों में बाधा पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को वहां स्थित रक्षा कारखानों को बिजली की सप्लाई में कटौती न करने का निर्देश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्। बिजली की सप्लाई में की गई कटौती का प्रभाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश मैसूर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों चन्डीगढ़ और गोवा में कुछ रक्षा उत्पादन यूनिटों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) प्रभावित रक्षा यूनिटों भारत इलेक्ट्रानिक्स, भारत अर्थमूवर्स, बंगलौर और कानपुर में स्थित हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स, प्रागा टूल्स, सिकन्दराबाद और उपर्युक्त राज्यों में स्थित आर्डनेन्स कारखाने है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय ने मैसूर सरकार से जहां कुछ महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन यूनिटों स्थित हैं बिजली की कटौती को बहाल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने एक यूनिट में कटौती में छूट दे दी है और अन्य यूनिटों के सम्बन्ध में स्थिति पर पुर्नविचार करने पर सहमत हो गए हैं।

Creation of a Buffer Stock of Steel

5291. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to create a buffer stock of 50 thousand tonnes of steel in the country;

(b) if so, the broad outlines, thereof; and

(c) the manner in which it will be distributed and the time by which the said buffer stock would be created?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c): There is no proposal for creation of a buffer stock but the Steel Bank scheme provides for a stock of critical items of steel for meeting the requirements of priority Units off the shelf against valid import licences/licences/release orders held by them. The Bank is under operational control of Hindustan Steel Limited. It will cater to the requirements of critical categories of steel which cannot await import under the normal import policy and thus obviate long and costly delays in the execution of various projects. As the supplies will be made by the Bank against surrendering of import licence/release orders, these will be utilised to replenish stocks by the Bank. The Bank is arranging import with a revolving credit of Rs. 15 crores given by the State Bank of India and Government has guaranteed the credit. For supplies from the Bank, the eligible licencee/release order holders can approach the Bank.

"हिन्दालको" द्वारा एल्युमिनियम का अतिरिक्त उत्पादन

5292. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'हिन्दालको' दो यूनिटों की स्वीकृति क्षमता के अतिरिक्त तीसरी यूनिट की स्थापना करके स्वीकृत उत्पादन से एल्युमीनियम का अधिक उत्पादन कर रहा है और इस प्रकार वास्तविक उत्पादन से बहुत कम उत्पादन दिखा कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा विक्रय कर के रूप में देय लाखों रुपयों का अपवंचन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न का संदर्भ हिन्दुस्थान एल्युमिनियम निगम द्वारा एल्युमिनियम तार छडों के उत्पादन से है।

सरकार ने मामले की जांच की है। कम्पनी ने 25-5-69 से 5-8-69 तक की कालावधि के दौरान तृतीय प्रोपरेजी मशीन को संचालित किया था और उससे एल्युमिनियम तार छडों के 988 टन का उत्पादन किया। कम्पनी ने तृतीय प्रोपरेजी मशीन को स्वदेशीय रूप से विकसीत किया था और उक्त कालावधि के दौरान उसे प्रायोगिक परीक्षण के अधीन रखा। अन्वेषण यह उद्घाटित नहीं करते है कि कम्पनी ने किसी अन्य अवधि के दौरान तृतीय प्रोपरेजी मशीन को संचालित किया था। तृतीय मशीन के उत्पादन को भी उत्पादन आंकड़ों में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किए गए स्वतंत्र जांच से यह प्रमाणित नहीं होता है कि कम्पनी ने उत्पाद शुल्क से बचने का प्रयत्न किया है।

सिंधानिया उद्योग समूह द्वारा एक एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना में विलम्ब

5293. श्री अर्जुन शेठी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंघानिया उद्योगसमूह को उड़ीसा में जैपुर (जिला कोरापुट) में एक एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति दी है ;

(ख) क्या प्रारम्भिक कार्यवाही करने के पश्चात यह परियोजना गतिबद्धता की स्थिति में है ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना को पूरा करने में क्या अड़चनें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी ने कहा है कि उसने इस परियोजना के लिए उनकी अनुदत्त औद्योगिक अनुज्ञप्ति के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की है। तथापि, उन्हें रेल विभाग से परियोजना स्थल पर रेल-साइडिंग की मंजूरी करवानी है। कम्पनी को यह भी आशंका है कि नयी परियोजना पर विनिहित की जाने वाली पूंजी पर प्रक्षेपित प्रतिफल पर्याप्त नहीं होगा, अतः उसने सरकार को यह अभ्यावेदित किया है कि वह अधिकतम पूंजी लगाने के बाद स्थापित किए गए नए ऐल्युमिनियम संयंत्र के साथ, अन्य एककों की तुलना में, बिक्री कीमत को बढ़ाने और उत्पादन शुल्क रिबेट को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहार करे।

P.O.Ws Attempts to Escape from Camps by Creating Troubles

5294. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of times the Pakistani P.O.Ws in India attempted to escape or harassed jail authorities by creating troubles; and

(b) the number of P.O.Ws who managed to escape and the reasons for which they could not be taken into custody again?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A total of 20 attempts have been made by Pakistani POWs to escape from different POW Camps. There have also been 3 incidents where the POWs created trouble in the Camps.

(b) A total of 61 POWs attempted to escape, of which 34 were apprehended, and 7 got killed. The remaining 20 are still not traceable. Search for them still continues.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये रक्षा सेनाओं के अधिकारी

5295. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रक्षा सेनाओं के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये ; और

(ख) सरकार द्वारा उन मामलों में क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970, 1971 तथा 1972 (1-12-72 तक) के दौरान क्रमशः 45, 42 और 19।

(ख) 5 अफसरों के विरुद्ध अभियोग चल रहे हैं। शेष मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनकी जांच-पड़ताल के परिणाम स्वरूप जहां विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है उपयुक्त सैनिक अफसरों को लागू उनके अपने-अपने सेवा अधिनियमों/नियमों के अधीन कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है।

कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा उसके पश्चात् कोयले का उत्पादन

5296. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोक कर कोयले के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा उसके पश्चात् कोक-कर कोयला का उत्पादन कितना हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) राष्ट्रीयकरण के तत्काल 12 माह पूर्व अर्थात् अक्तूबर 1970 से सितम्बर 1971 की कालावधि के दौरान के 10,575,000 टन के उत्पादन की तुलना में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नियंत्रणाधीन खानों से अक्तूबर 1971 से सितम्बर 1972 तक की कालावधि के दौरान कोककारी कोयले का उत्पादन 10,130,000 टन था। अक्तूबर और नवम्बर 1972 के दौरान कोककारी कोयले का उत्पादन क्रमशः 807,000 और 837,000 टन रहा। इस प्रकार कोककारी कोयले का उत्पादन न्यूनाधिक रूप से लगभग एक ही स्तर पर बनाए रखा गया है।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण वैगनों की कमी, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पुनर्गठन उपाय, बिजली की आपूर्ति और औद्योगिक संबंध हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान समस्त संसाधनों से कोककारी कोयला का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
1969—70	181.00
1970—71	178.50
1971—72	162.30 (अनंतिम)
1972—73 (7 माह)	93.80 (अनंतिम)

लौह अयस्क बोर्ड के सदस्य तथा उसके कार्य

5297. श्री पी० गंगा देव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लौह अयस्क बोर्ड स्थापित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में कितने भारतीय हैं तथा इसके अध्यक्ष (चेयरमैन) का नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार ने लोह अयस्क बोर्ड की स्थापना का विनिश्चय किया है।

(ख) बोर्ड की संरचना, जिसमें केवल भारतीय ही होंगे, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । तथापि श्री आर० सी० दत्त को बोर्ड के अवैतनिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है !

हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव

5298. श्री पी० गंगादेव :
श्री के० बालतन्डायुत्तम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, श्रीलंका, तनजानिया, पाकिस्तान तथा 17 अन्य राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया है कि विश्व की बड़ी शक्तियों को हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) संयुवत राष्ट्र महासभा में इस पर कब चर्चा की गयी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत, श्रीलंका, तंजानिया एवं पाकिस्तान सहित 27 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा गया जिसका शीर्षक था, 'हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना'।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ प्रस्ताव में (1) हिन्द महासागर के तटवर्ती तथा भीतरी प्रदेश के राज्यों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों तथा हिन्द महासागर के बड़े नौ-प्रयोग कर्ताओं से, हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के विचार का समर्थन करने को कहा गया था; और (2) यह तय किया गया था कि प्रस्ताव के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सम्भव व्यावहारिक उपायों के संदर्भ में प्रस्ताव के आशय का अध्ययन करने के लिए, अधिक से अधिक 15 सदस्यों की एक तदर्थ समिति गठित की जाए।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम समिति ने यह प्रस्ताव दिनांक 6 दिसम्बर, 1972 को स्वीकार कर लिया। मतदान में 72 देशों ने पक्ष में मत दिया, 35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और किसी भी देश ने प्रस्ताव के विरोध में मत नहीं दिया। अब यह प्रस्ताव महासभा द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इसके मतदान में 95 मत पक्ष में थे तथा विरोध में कोई नहीं था 33 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

संयुक्त राष्ट्र वार्षिक प्रतिवेदन से "चीनी शरणार्थी" तथा "तिब्बती शरणार्थी" शब्दों को हटाना

5299. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "चीनी शरणार्थी" तथा "तिब्बती शरणार्थी" शब्दों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी वार्षिक प्रतिवेदन से हटा दिया गया है;

(ख) क्या चीन अभी भी सन्तुष्ट नहीं है और चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे लोगों को सहायता न दे; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने तिब्बती शरणार्थियों को सहायता न देने सम्बन्धी चीनी प्रस्ताव पर आपत्ति की है और क्या इससे भारत में तिब्बती शरणार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक और सामाजिक परिषद के 53 वें अधिवेशन में, और उसके बाद शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायोग की कार्यकारी समिति के 23 वें अधिवेशन में तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27 वें अधिवेशन में चीनी प्रतिनिधि नें अपने एक ही प्रकार के बयानों में यह मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्यालय तथाकथित "तिब्बती शरणार्थियों" और "चीनी शरणार्थियों" की अवैध कार्रवाइयां तुरंत पूर्णरूप से बंद कर दे, और इन "अवैध कार्रवाइयों के लिए स्थापित सभी अंगों को समाप्त कर दे और सभी सम्बन्धित अंशों को रिपोर्ट से निकाल दे।" शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27 वें अधिवेशन में जो रिपोर्ट रखी थी उसमें "चीनी शरणार्थी" या "तिब्बती शरणार्थी" शब्द नहीं है। इसके विपरीत सम्बन्ध अंशों में "शरणार्थी" शब्द का ही प्रयोग हुआ है।

(ग) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायोग को भारत पूर्ण समर्थन देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग ने अपनी गतिविधियों को बंद करने या कम करने का अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

उद्योगों के उत्पादन के बारे म इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा सर्वेक्षण

5300. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के सीमित उत्पादन के बारे में इंडियन इंजीनियरिंग एसोशियन द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात की कमी इसका मुख्य कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) जी, हां। अन्य कारणों के साथ-साथ इस्पात की कमी का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) अभी हाल तक कई श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धि मांग से कम थी। स्थिति का सामना करने के लिए किए गए उपायों में--प्रौद्योगिकी में सुधार द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि के प्रयत्न, मालिक मजदूर संबंधों में सुधार, बेहतर रख-रखाव, काफी उदार आयात नीति, विशेषकर उन श्रेणियों के बारे में जिनकी सप्लाई अपर्याप्त है, निर्यात का विनियमन, वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, इस्पात के आवंटन के दुरुपयोग को रोकना, पुनर्वेलन योग्य माल, जो न्यायालय के व्यादेश के कारण रुका पड़ा था की काफी माला में उपलब्धियां आदि शामिल हैं।

बीमार तथा घायल पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की स्वदेश वापसी

5301. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बीमार तथा घायल कुल कितने पाकिस्तानी युद्ध बन्दी हैं और उनमें से कितने अब तक पाकिस्तान वापस चले गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : बीमार तथा घायल बन्दियों की संख्या जो देश प्रत्यावर्तन के हकदार होते हैं उसमें विधिता होती है जो उनकी बीमारी के प्रकार तथा उसकी माला और अस्पताल में भर्ती तथा वहां से मुक्त होने पर निर्भर करती है। अतः ऐसी व्यक्तियों की निश्चित संख्या किसी एक संख्या को नहीं दी जा सकती है।

522 बीमार तथा घायल पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को अभी तक पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का पुनर्वास

5302. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में अब तक कितने भारतीय श्रीलंका से स्वदेश लौटे और उनके पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी; और

(ख) श्रीलंका में अभी कुल कितने भारतीय रह रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	लौटे व्यक्तियों की संख्या	श्री लंका से लौटे लोगों के राहत तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को दी गई कुल राशि
		रुपये
1971—72	29,463	139.00 लाख
1972—73 . . . . (30 नवम्बर, 1972 तक)	24,565	14.13 लाख*

*31—3—1973 तक 153.99 लाख रुपये की और राशि के दिए जाने की आशा है।

(ख) भारत श्रीलंका करार, 1964 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें हैं :—

(1) करार का घोषित ध्येय है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के सभी व्यक्ति, जिन्हें अभी तक भारतीय या श्रीलंका के राष्ट्रिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, ऐसे व्यक्ति श्रीलंका या भारत के राष्ट्रिक बन सकते हैं।

(2) इस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 9,75,000 है। इन आंकड़ों में अवैध प्रवासी और भारतीय पासपोर्ट वाले व्यक्ति शामिल नहीं है।

(3) इन व्यक्तियों में से 300,000 व्यक्तियों तथा उनमें प्राकृतिक वृद्धि वालों को श्रीलंका की सरकार द्वारा श्रीलंका की नागरिकता दी जाएगी; भारत सरकार इनमें से 525,000 व्यक्तियों तथा उनमें होने वाली प्राकृतिक वृद्धि के भारत लौटने को मान लेगी। भारत सरकार इन लोगों को राष्ट्रीयता दे देगी।

(4) इनमें से शेष 150,000 व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति तथा भविष्य का मामला दोनों सरकारों के मध्य अलग करार का विषय होगा।

(5) भारत सरकार स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के प्रत्यावसन को इस करार की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के अन्दर यथाप्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मंजूर करेगी।

30—11—1972 तक 79,025 प्रत्यावासी भारत आ चुके हैं।

Demand and Supply of Iron and Steel in the Country

5303. Dr. Laxminarayan Pandeya:
Shri Nawal Kishore Sharma:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the present demand and supply of Iron and Steel in the country; and

(b) the main features of the scheme to bridge this gap and the time by which it is likely to be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) : The National Council of Applied Economic Research has estimated the total demand for saleable pig iron at 1.4 million tonnes in 1975 and at 2.2 million tonnes in 1980. The present annual demand is about a million tonnes. There is no shortage for pig iron in the country.

The demand for finished mild steel has been estimated at 7.6 million tonnes in 1975 and at 12.9 million tonnes in 1980 by the National Council of Applied Economic Research. Based on this, the demand for 1972-73 is estimated to be about 6.2 million tonnes. The availability was short of the demand in respect of several categories of steel till recently. The steps taken to meet this situation include efforts to increase indigenous production by technological improvements, better industrial relations, improved maintenance etc., a fairly liberal import policy, particularly in respect of categories in short supply; regulation of exports, streamlining of the distribution system; prevention of misuse of allocation of steel; release of a substantial quantity of rerollable material, which had been held up by Court injunctions; and encouragement for the setting up of electric furnaces. These measures have already started having effect, as evidenced by the drop in open market prices of several categories of steel such as Joists, Channels, Angles etc. in the last few months.

It is expected that near-self-sufficiency in steel production can be reached in two or three years with the commissioning of Bokaro Steel Plant and the existing steel plants attaining production of 90% of their rated capacity.

Supply of Steel to Factories Manufacturing Nut Bolts

5304. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the period in months in which the small scale factories manufacturing nut-bolts in small towns and backward areas are able to get steel after submitting applications therefor;

(b) the total number of Offices and Officers who go through this application and the number of times it has to be submitted to them in this entire process;

(c) whether this procedure for the small scale industries would be simplified to the extent that they may be able to get raw material after 10 days of their demands having been acceded to by the district industrial authorities; and

(d) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) : Presumably, the reference is to small scale units manufacturing nuts and bolts. According to the present system of distribution of steel to such plants, they should get steel either through Small Scale Industries Corporations of their respective States or Stockyards of the main Steel Producers on the recommendations of the respective State Directors of Industries. They have to approach the Corporation only in the first instance; otherwise they have to obtain a recommendation from the State Directorate of Industries on the Stockyards.

Production and Distribution of Coal to Steel Factories

5305. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**

Shri R. R. Sharma:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the improvement made or proposed therefor in regard to production of coal, distribution of coal to steel factories and wages of the mine workers after Government took over the management of coal mines in Shahdol District?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): Government have not taken over the management of coal mines in Shahdol District.

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये प्राप्त सहायता सामान की बिक्री की जांच के लिए जांच समिति की स्थापना

5306. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को सहायता देने के लिये प्राप्त सामान अनेक स्थानों पर बिकता हुआ पकड़ा गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई जांच समिति भी बनाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त समिति की रिपोर्ट क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Incentive to Trainees in Indian Institute of Labour Studies

5307. **Shri M. S. Purty:**

Shri Dhan Shah Pradhan:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the annual expenditure incurred by the Indian Institute of Labour Studies; and

(b) the measures being taken by Government to provide incentives for the training so that more and more workers may take interests therein?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) The annual average expenditure incurred during 1967-68 to 1971-72 is Rs. 3,43,978.97.

(b) The Institute provides for specialised in-service training to officers dealing with labour administration in the Central and State Governments and Public Sector Undertakings etc. The trainees are not workers and the question of providing them incentives does not arise.

बंगला देश से आये शरणार्थी

5308. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार-पाच महीनों में बंगला देश से अनेक परिवार पश्चिम बंगाल में आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) यह निश्चय किया गया था कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आ गए थे और जो बंगला देश के स्वतंत्र होने पर बंगला देश वापस चले गए थे, उन्हें उस देश में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वे उस देश के राष्ट्रिक नहीं है। भारत सरकार ने उपर्युक्त श्रेणी के शरणार्थियों को, उचित संस्थापन के उपरान्त वापिस लेने का निश्चय किया है। इन व्यक्तियों को रायपुर (मध्य प्रदेश) के निकट केन्द्रीय शिविर, माना में भेजा जा रहा है जहां उन्हें इस समय आवश्यक राहत सहायता दी जा रही हैं।

इंडियन एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली में छंटनी

5309. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के कर्मचारियों ने कम्पनी के प्रबंध निदेशक के निवास के सामने धरना दिया था ; और यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं ; और

(ख) क्या कम्पनी को होने वाली बिजली की सप्लाई में कटौती करने के परिणामस्वरूप घाटा होने के बहाने से इन कर्मचारियों की सेवाओं से छंटनी कर दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना कें अनुसार इंडियन एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने अपनी छंटनी का विरोध करते हुए कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक के निवास-स्थान के सामने धरना दिया था। सूचित किया गया है, कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा हरियाणा में स्थित इस के कारखानों में बिजली की पूर्ति में कमी आने और इससे सम्बद्ध संस्थाओं के पुनर्गठन करने के कारण संबधित कर्मचारियों की छंटनी की गई है। तथापि, छंटनी पर हुआ विवाद, पक्षों द्वारा सुलझाया जा चुका है और संबन्धित कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध मंडल से अपना हिसाब चुकता कर लेने की सूचना मिली है।

अपनी पूरी क्षमता से काम न करने वाले आयुध कारखाने

5310. **श्री एम० राव गोपाल रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आयुध कारखाने अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी नहीं, श्रीमन्। आयुध कारखाने आमतौर पर अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। वे रक्षा सेवाओं और अन्य सरकारी विभागों—सिविल मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के पालामाऊ में खनिज पदार्थों को निकालने के लिए लाइसेंस दिया जाना

5311. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामाऊ (बिहार) में खनिज पदार्थों को निकालने के लिए सरकार का विचार पहले स्थानीय लोगों को लाइसेंस देने का है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या खनिज पदार्थों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और यदि नहीं, तो बाक्साइट, लौह और चूना पत्थर के लिए दिये गये लाइसेंसों से संबंधित विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं । खनिजों के समुपयोजन के लिए पट्टे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज, विनियमन और विकास अधिनियम 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार अनुदत्त किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के बारे में उपरिलिखित अधिनियम/नियमों में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है । यदि स्थानीय व्यक्ति खनिज रियायत के अनुदान के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन-पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । 1970 तक पालामाऊ में बिहार सरकार द्वारा बाक्साइट के लिए 2 पट्टे, लौह आयस्क के लिए 8 पट्टे और चुनाश्म के लिए 12 पट्टे अनुदत्त किए गए जिनमें से 5 पट्टे स्थानीय व्यक्तियों को अनुदत्त किए गए हैं ।

अधिकारियों और जवानों के लिए एक ही मैस

5312. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारियों तथा जवानों के लिए एक ही मैस बनाने तथा जवानों को अधिक सुविधायें देने के लिए नियमों में परिवर्तन करने के बारे में कोई प्रस्ताव हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं, श्रीमन् । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जवानों के लिए पर्याप्त मैस सुविधाएं उपलब्ध हैं और समय समय पर इन सुविधाओं में सुधार किया जाता है ।

गोहाटी के समीप रक्षा छावनी के लिए भूमि का अधिग्रहण

5313. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा छावनो के लिए आसाम में गोहाटी के समीप अपेचांग में भूमि का अधिग्रहण कब किया गया और उसके लिए कुल कितनी राशि दी गई तथा उसकी प्रति बीघा दर क्या थी ; और

(ख) क्या वह भूमि स्वेच्छा से दी गई, भूमि का अधिग्रहण मालिक की पूरी सहमति से किया गया अथवा उसका जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया ?

र ा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 31.96 लाख रुपए की कुल लागत पर नवम्बर/दिसम्बर 1961 में गांव अपचांग में 885.372 एकड़ क्षेत्र भूमि का अधिग्रहण किया गया था । भूमि की दर 300 रु० से 900 रु० प्रति बीघा तक भिन्न-भिन्न है । क्योंकि भूमि सड़क के किनारे पर है अतः मुआवजे के रुप में 100 रूपए से 150 रुपए प्रति बीघा का अतिरिक्त मुआवजा मंजूर किया गया था ।

(ख) भूमि, मालिकों की सहमति से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहित की गई थी ।

Decision to increase prices of Steel Bars, Wires, Ingots and Rails

5314. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase the price of steel bars, wires, ingots and rails;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the facts in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a), (b) & (c): With effect from 22-7-1972, prices of the following categories have been increased by amounts as indicated against each :—

(i) Billets	Rs. 80/- per tonne
(ii) Bars & Rods	Rs. 85/- per tonne
(iii) Structural & Rails	Rs. 50/- per tonne

The above increase in price was allowed after carefully considering the representations of the main producers of steel. In their representations, the main producers referred to various items of cost escalations which had not been covered by the increase in steel prices approved by Government on December 30, 1969 and also to further cost escalation factors which had taken place since then.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर

5315. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्राधिकारियों ने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए और संगठन के केन्द्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले स्टाफ और अधिकारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए नई दिल्ली में दो प्लाट खरीदे हैं ;

(ख) क्या इसके लिए डी० डी० ए० को भारी रकम दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण न करने और इनके लिए भारी किराया देने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क), (ख) और (ग) कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से मालविया नगर के निकट लगभग 5 एकड़ का एक भूमि-खंड 12.12 लाख रुपये की लागत पर खरीद लिया गया है । कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए, निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा 0.219 एकड़ का एक अन्य भूमि-खंड बाराखम्बा लेन पर 6.8 लाख रुपये की लागत पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए दिया गया है ।

कर्मचारी क्वाटरों के निर्माण के लिए खाके और विकास नक्शे तैयार किए गए हैं और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है । स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । जहां तक कार्यालय भवन का संबंध है, एफ० ए० आर० के मूल करार के आधार पर बहुमंजिली इमारत के निर्माण के नक्शे तैयार किए गये थे और उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका समिति के पास स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया था । इस समिति ने कनौटप्लेस में और उसके निकट ऊंची इमारतों के निर्माण में लगाई गई हाल की रोकों को ध्यान में रखते हुए, निर्माण तथा आवास मंत्रालय के भूमि विकास अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की मांग की है । जैसा कि निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने सुझाव दिया है, इमारत की ऊंचाई को लगभग 120 फीट तक सीमित करके संशोधित नक्शे तयार किये गये और उन्हें, उनके पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । जैसे ही उस मंत्रालय से निर्बाधन प्राप्त हो जायेगा, संशोधित नक्शे नई दिल्ली नगरपालिका को उनकी स्वीकृति के लिए भेजे दिये जायेंगे ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्लर्कों के रूप में पदोन्नति

5316. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री ।

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के निम्न श्रेणी लिपिक संवर्ग में पदोन्नत करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उनके लिए निश्चित की गई परीक्षा बड़ी कठिन है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके लिए सरल परीक्षा निश्चित करने का है जिससे]इस रियायत को चालू रखा जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्रधिकारियों ने इस प्रकार सू.चत ।कया है :—

(क) कर्मचारी सेवा विनियमों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, मैट्रिक और गैर-मैट्रिक दोनों ही, कुछ विहित सवा शर्तों के अधीन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों के विहित कोटे के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं ।

(ख) और (ग) : निर्धारित पाठ्यक्रम अधिक कठिन नहीं है, परन्तु उसका आशय यह सुनिश्चित करने का है कि सफल उम्मीदवार पदोन्नति पर दक्षता के न्यूनतम मापदण्ड के साथ काम को सम्हाल सकें ।

व्यावसायिक संस्थाओं में भतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को प्रवेश देना

5317. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नें यह सुनिश्चित कर लिया है कि व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेना कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित हैं तथा उन्हें उम्र और प्राप्तांकों की न्यूनतम सीमा में रियायत दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या रियायतें उपलब्ध हैं ; और

(ग) उन राज्यों, विश्वविद्यालयों और मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों के नाम क्या हैं जहां ये रियायतें दी गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1972 तक मेडिकल और डेन्टल कालेजों में सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रख जाते रहे थे । 1973 से ये स्थान मृत/अशक्त सैनिकों के बच्चों के लिए रखे जाएंगे । जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सम्बन्ध है, सैनिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । तथापि प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 स्थान आरक्षित रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त 1,000 व्यक्तियों को उनके सेवा के अन्तिम वर्ष और उसके पश्चात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आरक्षित संस्थानों के विरुद्ध भेजा जाता है । जहां तक मेडिकल/दंत चिकित्सा के अध्ययन का सम्बन्ध है, मृत/अशक्त सैनिकों के बच्चों को मेडिकल/डेन्टल कालेजों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी, भौतिक रसायन और जीव-विज्ञान जैसे आवश्यक विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होता है । जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सम्बन्ध है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए "शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाली विधवाओं को आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी गई है ।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली रियायतें-छूट प्रत्येक राज्य में अलग अलग है । इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय और प्रयत्न इससे प्राप्त हो वाले परिणामों को अनुरूप नहीं होंगे ।

दूषण से बचाव हेतु 79 देशों की संधि

5318. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में 14 नवम्बर, 1972 को 79 देशों के प्रतिनिधियों ने समुद्र में गंदगी डालने पर नियंत्रण करने और संसार के महासागरों को दूषण से बचाने के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) समुद्र में कूड़ा फैलने से संबद्ध अभिसमय पर एक अंतर्सरकारी सम्मेलन 30 अक्तूबर से 13 नवम्बर 1972 तक लंदन में आयोजित किया गया था ।

13 नवम्बर, 1972 को 61 देशों ने सम्मेलन के अंतिम कार्य (फाइनल एक्ट) पर हस्ताक्षर किए ।

इस सम्मेलन का परिणाम यह हुआ कि सड़ा तथा अन्य सामग्री फेंक कर समुद्र दूषण को रोकने के विषय पर एक अभिसमय संपन्न किया गया । यह अभिसमय 29 दिसंबर, 1972 से 31 दिसंबर 1972 तक हस्ताक्षरों के लिए खुला रहेगा ।

80 देशों ने सम्मेलन में भाग लिया तथा 12 और देशों ने प्रेक्षक भेजे ।

(ख) इस अभिसमय में यह व्यवस्था हैं कि संविदाकारी पक्ष अलग-अलग और सामूहिक रूप से सामूद्रिक वातावरण के दूषण के सभी स्रोतों पर प्रभावकारी नियंत्रण करें । इसमें व्यवस्था है कि समान हित वाले देश अभिसमय के अनुरूप प्रादेशिक क़रार कर सकते हैं । इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उपकरण देना, अनुसंधान तथा अनुश्रवण की सुविधाएं तथा कूड़े का निपटान और कूड़ा फैंकने से उत्पन्न दूषण को रोकना तथा समाप्त करना शामिल है ताकि, अभिसमय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ।

बैरकपुर एयरोनाटिक्स में अप्रयुक्त क्षमता

5319. **श्री समर गुह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपुर एयरोनाटिक्स ने वर्ष 1965 तथा 1971 के युद्धों के दौरान मरम्मत तथा अन्य कार्य सराहनीय ढंग से किए ;

(ख) क्या इस समय इस एयरोनाटिक्स-कल इंजीनियरिंग एकक मै करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसकी अधिस्थापित क्षमता को उपयोग में लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या लखनऊ में एक नए एयरोनाटिकल कारखाने की स्थापना की गई है जबकि बैरकपुर के एकक की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख)और(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बैरकपूर शाखा फैक्ट्री डेकोटा विमान की पूरी तरह से मरम्मत के कार्य को करती रही है परन्तु भारतीय वायु सेना की डेकोटा सम्पत्ति में कुछ कमी के कारण कार्यभार में कुछ कमी रही है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए इस फैक्ट्री के लिए अतिरिक्त कार्य का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) वायुयान के सहायक पुर्जे तथा उपकरणों का निर्माण करने के लिए एक नई फैक्ट्री का लखनऊ में निर्माण किया जा रहा है क्योंकि बैरकपुर फैक्ट्री डेकोटा वायुयान की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए स्थापित की गई थी और वायुयान अथवा उसके सहायक पुर्जो के निर्माण के लिए नहीं । अतः उस फैक्ट्री द्वारा सहायक पुर्जो का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं जिसमें आधुनिकतम मशीनरी और उपकरण तथा विभिन्न प्रकार की तकनीकी प्रवीणता की आवश्यकता होती है ।

चौथी योजना में रोजगार लक्ष्य

5320. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में योजना मंत्री द्वारा लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1376, दिनांक 22-11-1972 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में सदन की मेज पर रखे विवरण को देखें।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में भारतीय और विदेशी पूंजी निवेश

5321. श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सरकार द्वारा अब तक कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) इस कारखाने में विदेशी पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा अब तक कुल कितना ब्याज दिया गया है ; और

(ग) कितनी अनुमानित अतिरिक्त विदेशी पूंजी लगाये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जो हिन्दुस्तान स्टील लि० का एक कारखाना है। सीधे रूप से कोई पूंजी नहीं लगाई है। सारी पूंजी हिन्दुस्तान स्टील लि० में लगाई गई है जो कारखानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धन देती है। 31 मार्च, 1972 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पूंजीगत खर्च जो सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी से दिया गया है 234.7 करोड़ रुपये है जिसमें 134.9 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में और 99.8 करोड़ रूपये सरकारी ऋण के रूप में है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोई विदेशी पूंजी नहीं लगी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाने वाले दो कश्मीरियों पर मुकदमा चलाना

5322. श्री रण बहादुर सिंह :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इंडियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाने और उसे जलाने के जुर्म में पकड़े गये दो कश्मीरियों पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने के आदेश दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सूचना दी थी कि "अपहरणकर्ताओं और उनके साथियों के खिलाफ पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर जज की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है"। लेकिन सरकार को इस मुकदमे की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

दण्डकारण्य के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

5323. श्री समर गुह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों के उपचार के लिए उपवास और आन्दोलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें क्या है और उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :(क) जी, हां। स्टाफ की एक एशोसिएशन ने 69 मांगों का एक मांग-पत्र, जब कि दूसरी एशोसिएशन ने 38 मांगों का एक और मांग-पत्र मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना, कोरापुट को दिया है। एक एशोसियेशन ने 'रिले' (अभिचालित) भूख हड़ताल प्रारंभ की थी जिसका अनुसरण बाद में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया गया था, परन्तु वह 15-12-72 को वापस ले ली गई थी।

(ख) इन मांग-पत्रों में वर्णित प्रमुख शिकायतें नीचे दी गई हैं :

(i) प्रभारी कर्मचारियों की छटनी ;

(ii) केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को दण्डकारण्य परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर लाना ;

(iii) 50% अस्थायी पदों को स्थायी करना ;

(iv) परियोजना भत्ते में की गई कटौती को फिर से चालू करना; और

(v) सभी परियोजना कर्मचारियों आदि को बिना किराए के मकान देना।

(ग) दोनों एशोसिएशनों की कथित शिकायतों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की व्यवस्था की गई है।

सैनिक कार्यों के लिए "लेसर बीम" उपकरण का प्रयोग

5324. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा संगठन की सैनिक कार्यों के लिए "लेसर बीम" उपकरण के उपयोग सम्बन्धी सूचना की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो "लेसर बीम" को सैनिक कार्यों में उपयोग करने सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या भारतीय रक्षा संगठन ने हाल ही में आविष्कार किए गए बीम के उपयोग के लिए एक ठोस परियोजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) प्रकाशित साहित्य से यह पता चलता है कि लेसर प्रणाली के रक्षा के लिए बहुत से लाभ हैं। लेसर को ठीक परास पाने, लक्ष्य को ढूंढने, मार्गदर्शन तथा नियन्त्रण, संचार, नेत्रों को अंधा करने तथा सुराखों की माइक्रों ड्रीलिंग के उपयोग में लाया जा सकता है। दृष्टिपटल को वेल्द करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में लेसर का उपयोग काफी महत्व का है।

(ग) जी हां, श्रीमन्।

(घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने लेसर जात कुछ प्रणालियों के विकास पर अन्वेषणीय समस्याओं की पहले ही हाथ में ले लिया है। इस क्षेत्र में हमारी गतिविधियों का विस्तार अगले कुछ वर्षों में होने जा रहा है। इस अवस्था में और अधिक ब्यौरे प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

हड़ताल से प्रभावित जलन्धर के समाचार-पत्र

5325. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जलन्धर से प्रकाशित होने वाले सभी 12 समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्र कर्मचारियों की संयुक्त कार्यवाही समिति की मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मामला अनिवार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य औद्योगिक सम्पर्क तंत्र इससे अवगत है ; राज्य श्रम मंत्री ने पक्षों के साथ पहले ही कई बैठकें की है और सौहार्दपूर्ण समझोता कराने हेतु उनके प्रयत्न जारी हैं।

Implementation of orders issued by Ministry of Home Affairs

5326. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has implemented the instructions contained in the Ministry of Home Affairs letters dated the 22nd December, 1959 and the 30th April, 1962 and on the 11th March, 1965 instead of implementing them immediately and if so, the reasons therefor ;

(b) whether the instructions contained in the aforesaid letters were made applicable to Class I, and Class II employees working in the Army Ordnance Corps, a Department of the Ministry of Defence in 1955/1965 as also their number at present ; and

(c) the reasons for which the said instructions were not made applicable to all categories of employees of Class III and Class IV?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). The principles of seniority laid down in the Ministry of Home Affairs Office Memoranda No. 9/11/55-RPS, dated 22-12-1959 and No. 9/45/60-Estt(D), dated 20-4-1961 have been implemented in respect of Class I and Class II officers in the lower formations of the Ministry of Defence including the Army Ordnance Corps with effect from 11-3-1965. The orders of Ministry of Home Affairs are not automatically applicable to Defence civilians and the question of their applicability has to be examined at length in consultation with the Services Headquarters and other Ministries of the Government.

The number of Class I and II employees of the Army Ordnance Corps is being ascertained.

(c) The principles referred to in (a) and (b) above have not been extended in respect of Class III and Class IV employees of the lower formations of the Ministry of Defence (except those in Ordnance Factories Organisation), as these would adversely affect the seniority of ex-servicemen re-employed in civilian posts and surplus civilian employees in Defence installations absorbed in alternative employments under the scheme of adjustment of surpluses and deficiencies.

Allotment of steel for industries and building purposes in Madhya Pradesh

5327. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have made any official study with regard to requirements of iron and steel for the industries in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the names of the persons in Madhya Pradesh who have been allocated iron for building purposes during the year 1971-72 indicating the quantity of iron allocated to each of them along with the basis of allocation?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Under the present system of distribution there are no state-wise allocations. Despatches of steel from the main steel producers are regulated by the Steel Priority Committee after taking into account the end use for which steel is required, the availability and competing demands. In view of this, no assessment of state-wise requirement is made.

Steel supplies to small scale units are mostly routed through the respective State Small Scale Industries Corporations. The Corporations make their own assessment of the requirements of the units in their respective States and place their consolidated demand on the Joint Plant Committee. The material received is distributed by the Corporation through their depots.

(b) Does not arise.

पाकिस्तानी असैनिकों का भारत स्थित पाक हाई कमिशन के परिसर में रहना

5328. श्री राम भगत पास्वान : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पाकिस्तानी असैनिक अभी भी दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन के परिसर में रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन को भारत में रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ये असैनिक युद्ध से पूर्व वास्तव में भारत में तोड़-फोड़ की कार्रवाई में लगे थे और यदि हां, तो उन के विरुद्ध अभियोग न चलाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 3 दिसम्बर, 1971 से पहले जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने बंगला देश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था वे अब भी उस इमारत में रह रहे हैं जिसमें पहले पाकिस्तान का हाई कमीशन था और जो अब नई दिल्ली स्थित स्विटजरलैंड के राजदूतावास के अधीन है ।

(ख) चूंकि इन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था इसलिए उन्हें तब तक भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे मिशन के अहाते से निकल कर अपने को हमारे अधिकार-क्षेत्र में समर्पित नहीं कर देते ।

(ग) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि ये पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में किसी तरह की तोड़-फोड़ की कार्रवाई में लगे थे ।

रक्षा विज्ञान सेवाओं में असैनिक तकनीकी अधिकारियों/असैनिक सिग्नल प्रशिक्षकों का चयन

5329. श्री आर० बी० बड़े : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विज्ञान सेवा में असैनिक तकनीकी अधिकारियों/असैनिक प्रशिक्षकों सिग्नल (सी० जी० ओ०) का चयन तथा अनुमोदन 1962 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए व्यक्तियों को रक्षा विभाग में कोर आफ सिग्नल में संकेत प्रशिक्षकों के रूप में रख लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रक्षा विभाग में इस प्रकार रख लिए गए व्यक्तियों को स्थायी बना दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् । 1962 में संघ लोक सेवा आयोग असैनिक तकनीकी अधिकारियों/असैनिक राजपत्रित अधिकारियों (प्रशिक्षको) को रक्षा विज्ञान सेवा में खपाने की सहमत हो गई थी ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) अभी नहीं ।

Production and Distribution of Coal to Steel Industries

5330. Shri Lalji Bhai :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the improvement made or proposed to be made in the production of coal distribution of coal to the steel factories and in regard to wages of the mine workers after taking over management of coal mines of Bihar by the Government?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): The Coking Coal collieries were taken over by the Government for the purpose of conserving the resources of coking coal and promoting scientific development needed to meet the growing requirements of the metallurgical industry. With this object in view the collieries in the Jharia coalfield are to be reorganised and reconstructed. A feasibility report in this regard will be prepared with the assistance of Polish experts who are expected to arrive in the country shortly. After nationalisation, constant efforts are being made to improve production and supplies to steel plants. The recommendations of the Wage Board have been implemented and a minimum assured wage of category one is being given to every worker and variable dearness allowance related to the cost of living index is being paid at the rate recommended by the Wage Board. A large number of contract workers have also been given regular employment.

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था के नैमित्तिक श्रमिकों के लिए सुविधाएं

5331. श्री लालजी भाई : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था के नैमित्तिक श्रमिकों को जिन्हें देश भर के विभिन्न शिविरों में नियुक्त किया गया है मासिक वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता है ;

(ख) क्या उन्हें छुट्टी, इलाज, भविश्य निधि जैसी आवश्यक सुविधाएं, नहीं दी जाती है ; और

(ग) क्या इन की सेवाओं को स्थायी बनाने में बहुत सी अनियमितताएं की जाती हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड को अन्तरित हो रहे, भूतल जल व्यधन साजसामान से संलग्न समाश्रित कर्मचारियों की मासिक मजदूरी न मिलने के बारे में पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय से प्राप्त हुई रिपोर्ट को छोड़कर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के किसी शिविर से समाश्रित कर्मचारियों से मासिक मजदूरी की प्राप्ति के बारे में किसी प्रकार की अनिय-

मितता की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड के स्थानीय प्राधिकारियों से प्रमाणीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित उपस्थिति नामावली प्राप्त होने पर, अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय द्वारा इन समाश्रित कर्मचारियों को मजदूरी के संदाय का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) खान अधिनियम और फैक्टरी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समाश्रित कर्मचारियों को मजदूरी सहित छुट्टी लाभ आदि, जहां ग्राह्य हो, दिए जाते हैं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समाश्रित कर्मचारियों को सीधे स्थायी करने का कोई उपबन्ध नहीं हैं। तथापि, सेवा में वरिष्ठता और अन्य रूप से उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन जहां तक संभव हो उन्हें नयमित पदों के विरूद्ध आमेलित किया जा रहा है।

Survey for Minerals in different parts of Rajasthan

5332. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the number of various types of minerals available in different districts of Rajasthan indicating the names of places where they are available:

(b) whether there is possibility of various types of minerals being found in other mountaineous regions of different districts of Rajasthan; and

(c) if so, whether Government propose to carry out survey there?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) A statement is annexed. **[Placed in Library. See No. LT. 4113/72].**

(b) & (c) The Geological Survey of India are already carrying out systematic geological mapping and mineral exploration in different parts including mountaineous regions. Availability of the minerals will be known on completion of the work.

एल्यूमीनियम की चद्दरों की मांग और उत्पादन

5333. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमीनियम की चद्दरों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है यदि हो तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में उस का उत्पादन लक्ष्य क्या है ; और

(ग) एल्यूमिनियम की चद्दरों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (शाह नवाज खाँ) : (क) केवल ऐलूमिनियम की चादरों के उत्पादन के लिए कोई पृथक अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है। अनुज्ञप्तियां बैल्लित उत्पादों के लिए जारी की जाती है जिसमें एलूमिनियम चादरें, सर्किल्स, पट्टियां और स्लग इत्यादि सम्मिलित है। इस समय एलूमिनियम की बैल्लित उत्पादों के लिए 74,000 टन प्रतिवर्ष की मांग प्राक्कलित की गई है जिसकी तुलना में विद्यमान क्षमता 77,000 टन प्रतिवर्ष है।

(ख) चतुर्थ योजना (1973-74) के अंतिम चरण तक बेल्लित उत्पादों का उत्पादन लक्ष्य लगभग 81,000 टन प्रति वर्ष है।

(ग) कुछ सीमा को छोड़कर देश एलूमिनियम के बेल्लित उत्पादों के उत्पादन में आत्म-निर्भर है।

Ceiling on Employees Salary to Remove Unemployment

5334. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to lower the ceiling of pay of the employees working in all the Central, State and Public as well as private sectors with a view to remove unemployment in the country; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No.

(b) Does not arise.

बंगला देश और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थीयों पर हुआ व्यय

5335 **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर मदवार आवास और भोजन पर कितना व्यय हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : खर्च के लेखे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दया गया है । फिर भी, अनुमानित व्यय को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बंगला देश से आए शरणार्थियों को दी गई राहत पर हुआ व्यय

(रुपये करोड़ो में)

आधारभूत खाद्य राशन, दैनिक नकद भत्ते सहित नकद या सामान के रुप में अन्य मदों का मूल्य	134.82
आश्रय स्थान	57.82
बिस्तर	0.04
पानी की सप्लाई और सफाई	6.25
वाहन	7.10
यातायात खर्च (प्रचलित व्यय)	3.00
कम्बल	3.60
बर्तन	1.43
वस्त्र	4.32
दवाइयां	7.37
बालाहार, दुध का चूर्ण, सी एस एम/डब्लयू एस बी, टिन्नों में बन्द सामान, अन्य खादयान मदें	15.00
औपरेशन लाइफ लाइन (सुपोषण योजना)	2.67
प्रत्यावासन व्यय	40.93
विविध (प्रशासनिक व्यय सहित)	18.54
	303.04
बाकी देयताएं	20.00
	323.04

दिसम्बर 1971 के युद्ध के बाद जिन पाकिस्तानी राषिकों ने भारत में आश्रय चाहा था उनके लिए राहत सुविधाओं पर हुए व्यय का विवरण

(रूपये लाखों में)

अब तक राहत सुविधाओं की व्यवस्था पर किया गया कुल व्यय . . .	93.00
(शीर्षानुसार व्यय के आंकड़े प्राप्त नहीं है)	

रायल थाईलण्ड नेवी के प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा

5336. श्री पी० ए० स्वामीनाथन :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल थाइलैण्ड नेवी के एक दस सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 25 नवम्बर को भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) यात्रा का प्रयोजन नौसैनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का अध्ययन तथा देश में रक्षा उत्पादन की सुविधाओं का अध्ययन करना था जिससे रायल थाई नौसेना को भारत में प्रशिक्षण सुविधा का उपयोग करने तथा नौसेना के लिए कुछ पुर्जों भण्डारों को प्राप्त करने की सम्भावनाओं को खोजना था ।

थाईलैण्ड में विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध

5337. श्री राम सहाय पांडे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैण्ड सरकार ने अपने देश में विदेश व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) इस आदेश के कारण वहां भारतीय व्यापार के हितों को कितनी हानि हुई है; और

(ग) थाईलैण्ड में भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गय है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। थाईलैण्ड सरकार ने 24 नवम्बर, 1972 को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की घोषणा संख्या 281 जारी करके थाईलैण्ड में विदेश व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) और (ग) इस समय इस बात का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना कठिन है कि इसका भारतीय व्यापार हितों पर कितना असर पड़ेगा तथा इस आदेश की व्यवस्थाओं को किस ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा इस संबंध में आगे स्पष्टिकरण एवं सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। थाईलैण्ड सरकार ने कहा है कि इस घोषणा का उद्देश्य राष्ट्रीय व्यापार में तथा थाई राष्ट्रिकों

को एवं विदेशियों के बीच अर्थव्यवस्था में संतुलन शक्ति बनाये रखना, और विदेशियों के व्यापारिक कार्यों से देश को अधिकाधिक संभव लाभ दिलाना है। जो भी हो, इन तरीकों से भारतीय राष्ट्रिकों के व्यापार हितों पर अनुचित प्रतिबंध लगने की आशा नहीं है। थाईलैण्ड में भारतीयों के वैध व्यापारहितों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्थिति पर नज़र रख रही है।

उदयपुर स्थित हिन्दुस्तान जस्त कारखाने का विस्तार

5338. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर स्थित हिन्दुस्तान जस्त पिघलाने के कारखाने का विस्तार किया जाने वाला है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) इसका विस्तार कब तक किए जाने की सम्भावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी हां। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का देवरी जस्ता प्रद्रावक (उदयपुर के समीप) को उपोत्पादों के उत्पादन में तत्समान वृद्धि और अनुकुल खनन प्रसुविधाओं के साथ 18000 से 36000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तारित किया जा रहा है।

(ख) जस्ता प्रद्रावक को जस्ता धातु के स्वदेशीय उत्पादन को वर्धित करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है जिससे कि आयात पर निर्भर रहने में कमी की जा सके।

(ग) विस्तारण के 1975 में कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

भारत में और अन्य देशों में इस्पात का प्रति व्यक्ति उत्पादन

5339. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, रुस और अमरीका में प्रति व्यक्ति कितने इस्पात का उत्पादन होता है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की मिलों और टाटा बन्धुओं द्वारा प्रति व्यक्ति कितने इस्पात का उत्पादन होता है?

6—19LSS/72

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) **प्रति व्यक्ति इस्पात पिण्ड का वार्षिक उत्पादन**

जापान (1971)	280
अमरीका (1971)	244
भिलाई (1971–72)	76
दुर्गापुर (1971–72)	36
राउरकेला (1971–72)	41
टिस्को (1971–72)	60

टिप्पणियां :—(1) सोवियत रूस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जापान तथा अमरीका के बारे में, इस्पात पिण्ड के उत्पादन के समस्त लोह तथा इस्पात उद्योग (फाउन्ड्री तथा फोर्जिंग में लगे कुल यूनिट भी शामिल है) कुल कर्मचारियों की संख्या से भाग दिया गया है।

(3) पिण्ड उत्पादन जमा विक्रय कच्चे लोहे के 25 प्रतिशत को भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से भाग दिया गया है।

(4) टिस्को के बारे में हिसाब 1971-72 में उत्पादन तथा 1970-71 कर्मचारियों की संख्या के आधार पर लगाया गया है।

भारत के इस्पात कारखानों तथा विदेशों के इस्पात कारखानों की श्रमिक उत्पादिता की आपस में तुलना करना कई कारणों से संभव नहीं है। जैसे उपकरण तथा प्रौद्योगिकी, प्राडेक्ट मिक्स, उत्पादन इकाइओं की क्षमता का उपयोग, उपकरणों के रख-रखाव की स्थिती बाहरी एजन्सियों द्वारा किए गये कार्य की मात्रा, श्रम घन्टे, छुट्टियोंकी हकदारी तथा अनुपस्थिती आदि में विभिन्न प्रकार का अंतर है।

किसी नए इस्पात कारखाने को स्थापना से पहले वर्तमान इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाना

5340. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार तब तक कोई और इस्पात कारखाना स्थापित करने का नहीं है जब तक कि वर्तमान कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता को 75 प्रतिशत तक न बढ़ा दिया जायें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : जी, नहीं। जबकि यह अत्यावश्यक है कि वर्तमान इस्पात कारखानों का उत्पादन इष्टतम स्तर तक बढ़ाया जाय और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कोशिश की जा रही है। यह भी आवश्यक है कि तेजी से बढ़ती हुई इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित क्षमता बढ़ाई जाय।

तीन नए इस्पात कारखानों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति

5341. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने तीन नए इस्पात कारखानों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) तीन नये इस्पात कारखानों के लिए तकनीकी-आर्थिक प्रतिवदन तैयार करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किये गये थे और उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अगले चरणों के लिए परामर्शदात् कार्य सौंपने का प्रश्न विचाराधीन है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

5342. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रचार बढ़ा दिया है;

(ख) भारत ने उसकी जवाबी कार्यवाही के रूप में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे इस भारत-विरोधी प्रचार पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रवेश और युद्धबंदियों की वापसी आदि के मामलों पर पाकिस्तान वक्तव्यों, प्रचार विज्ञप्तियों के माध्यम से और लौबी में प्रतिनिधियों से अपनी बात कह-कह कर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता रहा है। साथ ही वह उपमहाद्वीप में शांति की इच्छा बनाये रखने और शिमला-समझौते के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर देता रहा है।

भारतीय प्रतिनिधियों ने सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिये सभी संभव उपाय बरते हैं। शिमला-समझौते की ओर स्थायी शांति की दिशा में किए गये प्रयत्नों का संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक स्वागत हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की आम धारणा यही है कि विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इस उपमहाद्वीप की स्थिति सुधर रही है।

चित्तूर में बिसनाथन स्वर्ण खान के निक्षेपों की क्षमता के बारे में अध्ययन

5343. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बिसनाथन स्वर्ण खान में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा खान के खत्तों के हाल में किए गए अध्ययन से संकेत मिला है कि चूंकि शीलाइट (टंगस्टन अयस्क) में प्रचुर मात्रा में अयस्क है इसलिए इसे पुनः खोलना लाभप्रद होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) 1965-1967 के दौरान में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने बिसनाथन खान के इर्दगिर्द खान के खत्तों और अपशिष्ट चट्टानों में लगभग 157 टन सीलाइट की उपस्थिति को उपदर्शित किया है क्योंकि मात्ना बहुत ही कम है अतः यह स्वर्ण के लिए खनन के दौरान में उपोत्पाद के रूप में अभिप्राप्त की जा सकती है। इस समय कार्यहीन बिसनाथन खानों को खोलने का कोई आशय नहीं है। बिसनाथन में जब भी स्वर्ण-खनन का कार्य किया जाएगा उपोत्पाद के रूप में सीलाइट को निकालने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले में "एसबेस्टास" के उत्पादन के लिए निक्षेपों के विदोहन का कार्यक्रम

5344. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले में उत्पादित होने वाला "एस्बेसटास" देश में उपलब्ध "एसबेस्टास" में से सर्वोत्तम किस्म का है; और

(ख) उक्त खनिज का अनुमानतः कितना भंडार है, विदोहन में कितनी प्रगति की गई है और पूर्ण विदोहन के लिए वर्तमान कार्यक्रम क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले के पुलीबेन्हला तालुक में अच्छे प्रकार का क्रिसोटाइल ऐसबेस्टास पाया जाता है।

(ख) 1971 के अन्त तक पुलीबेन्हला पट्टी में क्रिसोटाइल की कुल 26,977 टन उपलब्ध राशियां प्राक्कलित की गई हैं। इस क्षेत्र का दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों द्वारा समुपयोजन किया जा रहा है।

कुड्डपा जिले में कमालपुरम, येरागुंटा और भोगसमुद्रम् क्षेत्रों में फ्लक्स-ग्रेड चुना पत्थर के निक्षेपों का विदोहन

5345. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हास्पेट में इस्पात सयंत्र की स्थापना की दृष्टि से सरकार आंध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले के कमालपुरम, येरागुंटा और भोगसमुद्रम् क्षेत्रों में फ्लक्स-ग्रेड चूना पत्थर के निक्षेपों का पता लगाने और उनका विदोहन करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : विजयनगर इस्पात कारखाने की फ्लक्स ग्रेड के चूना पत्थर की आवश्यकता को मैचर राज्य के बीजापूर जिले में बागलकोट के समीपवर्ती भंडारों से पूरा करने का विचार है। उपलब्धि, किस्म तथा मूल्यों के आधार पर अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिय आवश्यक खोज भी की जाएगी।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अन्तपुर में, "कोरंडम" की खोज

5346. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कोरंडम की खोज करने पर विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1954–55 में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कल्याणद्रुग तालुक के भागों में सुव्यवस्थित मानचित्रण के दौरान कुरण्ड के प्राप्ति-स्थल पहले ही अन्वेक्षित किए जा चुके है। इस अन्वेषण के परिणामस्वरूप, 3 से 6 कि० मी० चौड़े क्षेत्र में, जो उत्तर में सिद्दरामपुरम् से दक्षिण में तिम्मापुरन् तक फैला हुआ है, कंकरीली मिट्टी में छोटे-छोटे क्रिस्टल के रूप में कुरण्ड के बिखरे प्राप्ति-स्थल पाए गए थे।

1972–73 में राज्यों को इस्पात का आबंटन

5347. **श्री बेकारिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 में भिन्न राज्यों को, राज्यवार, इस्पात का कितना कोटा आबंटित किया गया?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : मई, 1970 में जब इस्पात वितरण नीति में संशोधन किया गया था उस समय कोटा प्रणाली खत्म कर दी गई थी अब मुख्य उत्पादकों से सभी प्रेषण इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिये निश्चित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किये जाते है। यह समिति ऐसा करते समय इस्पात के अन्तत: उपयोग, उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। फिर भी, मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा 1972-73 (एप्रिल जून 1972) में विभिन्न राज्यों को दिए गये तैयार इस्पात के प्रेषणों का विवरण संलग्न है

विवरण

मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा 1972–73 में किये गये तैयार इस्पात के प्रेषण

जोड़

(हजार टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1972–73*
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	28.4
2	असम	7.5
3	बिहार	63.1
4	दिल्ली	23.5

1	2	3
5	गोआ	1.1
6	गुजरात	23.0
7	हरियाना	20.0
8	हिमाचल प्रदेश	1.1
9	जम्मू तथा कश्मीर	3.1
10	केरल	8.1
11	मध्य प्रदेश	27.6
12	महाराष्ट्र	82.1
13	मणिपुर	1.5
14	मैसूर	11.1
15	नागालैण्ड	2.3
16	नेफा	..
17	उड़ीसा	17.1
18	पाण्डीचेरी	0.3
19	पंजाब	36.4
20	राजस्थान	16.8
21	तमिल नाडु	31.4
22	त्रिपुरा	0.1
23	उत्तर प्रदेश	47.8
24	पश्चिम बंगाल	72.3
	जोड़	525.7

*आंकड़े अप्रैल-जून, 1972 की अवधि के है।

"रेडार" तथा "एयर गाइडिड वैपन्ज" में तकनीकी अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

5348. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रेडार" और "एयर गाइडिड वैपन्ज" में तकनीकी अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) भारतीय वायु सेना की इलैक्ट्रानिक शाखा के सभी तकनीकी अधिकारियों को उनके बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान रेडार टेक्नालोजी में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुए अधिकारियों को गाइडिड वैपन्ज टैक्नालोजी में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। सिग्नल ट्रेड के वायु सैनिकों को भी रेडार और गाइडिड वैपन्ज टेक्नालोजी में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिये मकान किराया

5349. **श्री मधु दंडवते :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड के उन सर्वसम्मत निर्णयों का विरोध किया है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि के बारे में है ;

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र के संगठनों में अपने प्रतिनिधियों को अनुदेश दिये हैं कि वे उन सरकारी क्षेत्र के संगठनों जिनके कार्यालय नगरों में हैं, के कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले मकान किराया भत्ते का समान ढांचा अपनायें ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के मामले में मकान किराया देने सम्बन्धी इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार की स्वीकृत से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को 1-6-1972 से, उन सभी स्थानों पर जहां मकान किराया भत्ता केन्द्रीय सरकार के तदनुरूपी वर्गों के कर्मचारियों को वर्तमान नियमों के अधीन स्वीकार्य है; इस प्रकार के भत्ते की वर्तमान दर से 5 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि जैसा कि प्रश्न में निर्दिष्ट किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकारी क्षेत्र उपक्रम नहीं है ।

अभ्रक के कम हो रहे निक्षेपों के कारण अभ्रक की खानों के उत्पादन में कमी

5350. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1958 के 31,942 मीट्रिक टन कच्चे अभ्रक के सबसे अधिक उत्पादन के बाद, अभ्रक की खानों का उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है;

(ख) 1958 और उसके बाद अभ्रक निकाले जाने के कारण अभ्रक के निक्षेप कम हो रहे हैं;

(ग) क्या भू-विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार, आस-पास के क्षेत्र में अथवा देश के अन्य भागों में अभ्रक की खोज के प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) क्या एक शताब्दी से विश्व मंडी में भारत के अभ्रक के निर्यात का लगभग जो एकाधिकार रहा है वह शनैः शनैः कम हो रहा है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उत्पादन और निर्यात की मात्रा घट जाने के मुख्य कारण क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ङ) अभ्रक के उत्पादन और आपूर्ति में अनेक दशाब्दियों से भारत का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एकाधिकार रहा है, यद्यपि अनेक वैज्ञानिक विकासों के कारण अभ्रक के प्रयोग में कुछ परिवर्तन हुए है और अभ्रक की विश्व मांग के परिणाम स्वरूप इसमें समग्रतः पर्याप्त कमी हुई है तथापि यह तत्समान स्थिति को अभी भी बनाए हुए है।

यद्यपि सतत समुपयोजन के कारण अभ्रक की उपलब्ध राशियों में कुछ कमी हुई है, तथापि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के प्रमुख अभ्रक पट्टियों अर्थात् राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और देश के कतिपय अन्य भागों में भी प्राप्ति स्थलों के अध्ययन के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग में कुछ कमी होने के बावजूद भी भारत अभ्रक निर्यातक के रूप में अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखने में समर्थ हुआ है। अभ्रक के लिए मांग में कमी का प्रमुख कारण कृत्रिम अनुकल्पों आदि का आगमन है।

भारत सरकार ने निर्यात-बाजार में भारतीय अभ्रक की स्थिति को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए, निर्यात-शुल्क आदि में अनेक रियायत देकर, अनेक प्रकार के उपाय किये हैं/कर रही है।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय परिषद द्वारा तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करने तथा पी० टी० आई० को सार्वजनिक निगम में परिवर्तित करने की मांग

5351. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय परिषद द्वारा, कोचीन में गत अगस्त में, पारित संकल्पों के बारे में पता है जिसमें तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति तथा पी० टी० आई० को सार्वजनिक निगम के रूप में परिवर्तित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड गठित करने की मांग पर राष्ट्रीय श्रम आयोग और श्रमिकों और नियोजकों के मजूरी बोर्डों के सामान्य प्रश्न पर विचारों को ध्यान में रखते हुए गौर करना होगा। जहां तक वर्तमान समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के प्रतिरूप को बदलने की मांग का संबंध है, यह विचाराधिन है।

मैसूर-भद्रावती इस्पात संयंत्र का विस्तार

5352. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में भद्रावती इस्पात संयंत्र का विस्तार करने संबंधी 120 करोड़ रूपये की योजना है;

(ख) क्या निर्माण लागत की अपेक्षा विस्तार लागत कम होगी और इससे शीघ्र ही अच्छे परिणाम निकलेंगे; और

(ग) क्या विस्तार कार्यक्रम में "वैगन एक्सल", "वायर रौपंस" का उत्पादन और आक्सीजन संयंत्र आदि का विस्तार शामिल हैं; और यदि हां, तो इसकी स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः यही बात है और यह उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर है।

(ग) कारखाने ने अभी इस योजना के ब्यौरे पूरी तरह तैयार नहीं किये है और योजना के रूप में सरकार को अनुमोदनार्थ अभी यह प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए स्वीकृति देने में विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

5353. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पांच से दस वर्ष तक की नौकरी वाले कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ख) क्या अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों को इस लिए सीधे ही बर्खास्त कर दिया है क्योंकि उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और अधिकारियों को गलत कार्यवाही करने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Memorandum by All-India Reserve Bank Employees Association

5334. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the All-India Reserve Bank Employees Association submitted memorandum to him on the 15th November, 1971 and to the Chairman of the Bonus Review Committee on the 10th August, 1972;

(b) if so, the salient features of the said two memoranda; and

(c) the reaction of Government thereto and the reasons for not accepting them?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) Yes, Sir.

(b) It has been represented that the Employees of the Reserve Bank of India who are excluded from the purview of the Payment of Bonus Act, 1965, should be covered through a suitable amendment to the Act.

(c) The earnings and expenses of Reserve Bank of India, which is the Central Bank of the country, are determined by considerations and policies very different from those obtaining in commercial banks. It is, therefore, for this reason, amongst others, that the employees of the Reserve Bank do not come under the coverage of the Act.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारी संघ (स्टाफ यूनियन)

5355. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में काम कर रहे मुट्ठीभर कर्मचारियों को केन्द्रीय आयुक्त द्वारा मान्यता दे दी गई है जब कि बहुत बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की है, जिन्होंने पहले से ही संघ रजिस्टर कर रखा है और जो 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) क्या उक्त संघ में कुल कर्मचारियों के दस प्रतिशत से भी कम कर्मचारी रह गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संघ को मान्यता न देने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क), (ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगटन के कर्मचारी-वर्ग के कुछ सदस्यों ने मार्च, 1972 में एक ऐसोशिएशन बनाया और उस समय लागू मान्यता संबंधी सिद्धांतों के अनुसार मान्यता के लिए प्रार्थना की। यह पाया गया कि यह ऐसोसिएशन मान्यता के लिए पात्रता संबंधी मापदण्डों को संतुष्ट करता है और तदनुसार, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उसे मान्यता दे दी। तब से मान्यता के सिद्धान्तों में कुछ परिवर्तन हुए हैं। अंतिम रूप से यथा-अनुमोदित, मान्यता के संशोधित सिद्धांत इस मान्यता-प्राप्त ऐसोसिएशन और अन्य मान्यता न प्राप्त फेडरेशनों / संघों को परिचालित किए गए हैं। मान्यता-प्राप्त इस एसोसिएशन को और ब्यौरे देने के लिए कहा गया है ताकि संशोधित पुनरीक्षित सिद्धांतों के अधीन उसके मान्यता-प्राप्त ऐसोसिएशन के रूप में बने रहने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

शोधित सिद्धांतों में, उन में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, कर्मचारियों की एक से अधिक एसोसिएशनों को मान्यता देना अवैध घोषित नहीं किया गया है। इसे दृष्टि में रखते हुए, इस ऐसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र और उड़ीसा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मकान किराया की अदायगी

5356. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत मकान किराया भत्त की सिफ़ारिश की है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत की;

(ख) क्या उड़ीसा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत मकान किराया भत्ते की अदायगी नहीं की गई है और महाराष्ट्र के कर्मचारियों को केवल 5 प्रतिशत की ही अदायगी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) और (ग) वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान समझे जाते हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने तक, महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय के संबध में मकान किराए भत्ते की 10 प्रतिशत तक और बम्बई के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि के संबंध में बोर्ड की सिफारिश को नहीं माना फिर भी ऐसे नगरों में जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय स्थित हैं, मकान किराये में हूई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने बाद में यह निर्णय किया कि, ऐसे सभी स्थानों में जहां केन्द्रीय सरकार ने नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है, संगठन के सभी कर्मचारियों को, वर्तमान स्तरों के अतिरिक्त वेतन के 5 प्रतिशत मकान किराए भत्ते में 1–6–1972 से वृद्धि मंजूर की जाय। तदनुसार, महाराष्ट्र क्षेत्र में, संगठन के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ता अदा किया गया। जहां तक उड़ीसा के क्षेत्र का प्रश्न है, चूंकि सरकारी आदेशों के जारी होंने के समय भुवनेश्वर को किसी भी वर्ग के नगरों में वर्गीकृत नहीं किया गया था, और उस स्थान पर कोई मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं था, क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ता नहीं लेने दिया गया। चूंकि भुवनेश्वर नगर को 1–8–1972 से वर्ग "ग" नगर के रूप में उन्नत किया गया है, इसलिए उड़ीसा क्षेत्र में, संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अदा करने का प्रश्न सरकार के विचाराधिन है।

Memorandum by General Secretary, Hatia Projects Workers' Union

5357. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the General Secretary of the Hatia Projects Workers' Union, affiliated with I.N.T.U.C., submitted a memorandum to the Prime Minister and to him on the 13th September last;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) & (c): Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ में अंगोला तथा मोज़ाम्बिक के लोगों के प्रति भारत का समर्थन

5358. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पुर्तगाली औपनिवेशिक सरकार के अस्तित्व के विरूद्ध आवाज उठायी थी तथा अंगोला, मोज़ाम्बिक तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों के मुक्ति संग्राम का समर्थन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां। भारत सरकार ने पुर्तगाल को औपनिवेशिक नीतियों का हमेशा विरोध किया है तथा इन क्षेत्रों में स्वाधीनता एवं मुक्ति के लिए हो रहे समुचित संघर्ष में वहां के लोगों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। इस वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद में विचार विनियम के क्रम में भारतीय प्रतिनिधियों ने इस नीति को दुहराया है।

पुर्तगाल पर हर संभव तरीके से प्रभाव डालने के लिए भारत अब भी संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रश्न पर अफ़्रीकी देशों से भी भारत निकट सम्पर्क बनाए हुए है।

(ख) अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों को पुर्तगाल सरकार द्वारा आत्मनिर्णय का अधिकार न देने का संयुक्त राष्ट्र ने अनेक बार विरोध किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के पहले के उन प्रस्तावों को लगातार क्रियान्वित न करने के लिए एक बार फिर पुर्तगाल सरकार को निन्दा की गई जिन प्रस्तावों में उससे उपनिवेशों को छोड़ने को कहा गया था और पुर्तगाल से अंगोला तथा मोज़ाम्बिक आदि के लोगों पर दमनकारी कार्यवाही और औपनिवेशिक युद्ध तुरंत समाप्त करने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में सभी सरकारों तथा अन्य संगठनों से यह भी अपील की गई थी कि पुर्तगाली उपनिवेश के लोगों द्वारा उनकी स्वाधीनता एवं आत्मनिर्णय के अविच्छेद्य अधिकार प्राप्त करने के लिए हो रहे संघर्ष को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक नैतिक एवं भौतिक सहायता प्रदान करें।

कालीकट जिला क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण

5359. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कालीकट जिले में "पेरु-क्याल" के निकट "पौपरा" में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है कि वहां लौह अयस्क के निक्षेप हैं अथवा नहीं;

(ख) यदि हां, तो जो जांच की गई उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) तत्संबधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते है।

कारखानों में दुर्घटनाएं

5360. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 में राज्य-वार कारखानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) सबसे अधिक दुर्घटनीएं किस राज्य में हुई और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

दिल्ली छावनी और शकूर बस्ती के गैरसैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

5361. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती के गैर-सैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का उत्तरदायित्व लिया था और बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है तथा कर्मचारियों को अभी तक मकान नहीं मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत 15 वर्षों में उनके मंत्रालय ने गैर-सैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिए कितने मकान बनाए हैं तथा इसका विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाये ; और

(ग) सम्पदा कार्यालय द्वारा मकानों का आवंटन किए जाने के मामले में दिल्ली में रहने वाले गैर-सैनिक रक्षा कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों में बरते जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा स्थापनाओं में नियुक्त सिविलियन कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था करना उनकी सेवा शर्तों में शामिल नहीं है। तब भी सुविधा के लिए सरकार ने धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विभिन्न चरणों में 10 विभिन्न स्टेशनों पर रक्षा सिविलियनों को उनकी प्राधिकृत संख्या शक्ति के 15 प्रतिशत तक आवास मुहैरा करने का निर्णय किया है। दिल्ली छावनी इन 10 स्टेशनों में से एक है, लेकिन शकूरबस्ती उनमें शामिल नहीं है। अब तक बन चुके मकानों के संबंध में सूचना एकत्रीत की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस संबंध में किसी प्रकार के पग उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि सम्पदा कार्यालय द्वारा आवास के आवंटन के मामले में गैर सैनिक रक्षा कर्मचारियों और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है बशर्ते वे उक्त आवास पाने के पात्र हों। लेकिन दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती में स्थित कार्यालयों के कर्मचारी ऐसे आवास के पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनके कार्यालय, सम्पदा कार्यालय द्वारा प्रशासित क्षेत्र के बाहर हैं।

रक्षा प्रतिष्ठानों के कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना

5362. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों के कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मानने के लिए कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कैंटीन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर रखना सम्भव नहीं हैं। तथापि, उन्हें कुछ रियायतें अथवा भत्ते देने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधिन है।

रक्षा विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में वृद्धि

5363. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत मध्यस्थता बोर्ड के निर्णय के फलस्वरूप 1 सितम्बर, 1971 से रेलवे विभागों के वर्कशाप कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश को एक वर्ष में 7 से बढ़ा कर 12 कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों को यह लाभ अभी तक नहीं दिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) भारतीय रेलवे के वर्कशाप कर्मचारियों को अब एक वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक छुटटी का हकदार कर दिया गया है। रक्षा विभागों के औद्योगिक कर्मचारी अभी भी एक वर्ष में 7 दिन के आकस्मिक छुटटी के हकदार हैं ऐसा 'रक्षा सेवाओं में सिविलियन (औद्योगिक कर्मचारियों) छुटटी नियमावली, 1954' के अन्तर्गत है।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

5364. श्री एस० एन० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 425 पर दी गई उन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है जो वर्कशाप कर्मचारियों (औद्योगिक कर्मचारी) के अर्जित अवकाश के संबंध में हैं और अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को पिछली तारीख से लागू करने और रक्षा विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों को इसके लाभ देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) द्वितीय वेतन आयोग की रक्षा स्थापनाओं के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए छुट्टी के हकों की, केवल "अर्जित छुट्टी" छोड़ कर, सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। अर्जित छुट्टी के संबंध में सिफारिश में कुछ मामलों में थोड़ी अनुदारता थी। बाद में इस मामले पर जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद में चर्चा हुई थी। यह महसूस किया गया था कि चूंकि छुट्टी का मामला पूर्ण रूप से तृतीय वेतन आयोग के पास पहले से विचाराधिन है, अतः छुट्टी से संबंधित सेवा शर्तों में कोई भी आधारिक परिवर्तन के संबंध में आयोग उपयुक्त ढंग से विचार कर सकता है। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें होने तक अन्तरिम उपाय के रूप में तथा राष्ट्रीय परिषद में हुए एक समझौते के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने कुछ आदेश जारी किए थे। भली प्रकार विचार करने के उपरान्त इन आदेशों को रक्षा स्थापनाओं के औद्योगिक कर्मचारियों पर 1-1-1973 से लागू कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार अधिकतम संचित छुट्टी 30 दिन के स्थान पर बढाकर 60 दिन तक कर दी गई है तथा ऐसी छुट्टी एक बार में 30 दिनों तक की लो जा सकती है।

टीन की प्लेटें बनाने के लिए कच्चे माल की कमी

5365. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीन की प्लेटें बनाने के लिये देश में कच्चे माल की कमी है और कारखाने बन्द हो जाने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार ने टीन की प्लेटें बनाने लिये कारखानों को उपयुक्त समय पर कच्चा माल सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) मंत्रालय में टिनप्लेट के किसी उत्पादन से कोई ऐसा अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि कच्चे माल की कमी के कारण उसके कारखाने के बन्द होने की नौबत आ गई है।

क्षयरोग-ग्रस्त सैनिक रसोईयें

5366. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा में कार्य करने वाले अधिकांश रसोइयें क्षय-रोगग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) लांगरी जैसी विविध श्रेणियों सहित जिसमें जे० सी० एम० तथा योद्धा भी सम्मिलित हैं उनके बीच क्षय रोग की जांच करने और व्यापकता की दर निश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके परिणाम निम्नांकित हैं :—

जूनियर कमीशन्ड अफसर	3.60 प्रति 1000
अन्य रैंक	3.31 प्रति 1000
लांगरी, स्वीपर, धोबी आदि जैसी योद्धी की विविध श्रेणियां .	3.97 प्रति 1000

इन परिणामों के विश्लेषणों से यह निष्कर्ष निकला है कि योध्दों की विविध श्रेणियों के बीच जिसमें लांगरी भी सम्मीलित है, इस रोग की घटना की प्रतिशतता असामान्य नहीं है और इसमें आंकड़े सम्बन्धी विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता है। अत: सैनिक लांगरियों के बीच इस बीमारी की रोक थाम के लिए कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। यदि, सामान्य मासिक स्वास्थ्य्य परीक्षा के दौरान कोई सैनिक लांगरी इस रोग से ग्रस्त समझा जाता है तो वह लांगरी की ड्यूटी पर नहीं रखा जाता है ; उसके मामले की पूरी तरह से जांच की जाती है और उसका जैसा भी आवश्यक हो, या तो "बहिरंगरोगी" के रूप में अथवा अस्पताल में रख कर उपचार किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में विवादग्रस्त क्षेत्र को ठाकूचक का नाम देना

5367. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पुनर्निर्माण के विवाद के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच लाहौर (पाकिस्तान) में हुई द्विपक्षीय बातचीत की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में विवादग्रस्त भूमि को ठाकूचक का नाम दिया गया है;

(ख) भूमि के इस टुकड़े का मूल नाम क्या है;

(ग) क्या भारतीय सेनाध्यक्ष ने ठाकूचक नाम को स्वीकार नहीं किया जिसका पाकिस्तान द्वारा उल्लेख किया गया था और जो ठीक भी लगता है; और

(घ) विवाद को हल करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) संयुक्त वक्तव्य में विवादग्रस्त क्षेत्र को ठाकूचक कहा गया है।

(ख) राजस्व रिकार्ड में मूल नाम तकोचक है।

(ग) पाकिस्तान की ओर प्रारम्भ में इस स्थान को ताखोचक कहा गया; परन्तु संयुक्त वक्तव्य में इस स्थान को ठाकूचक उल्लिखित किया गया।

(घ) पाकिस्तानी सेना द्वारा यह क्षेत्र पहले ही खाली कर दिया गया है।

विदेशों में भारतीय मिशनों के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में विलम्ब

5368. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में जहां कहीं रिक्त स्थान हैं, भारतीय मिशनों के मुख्य राजनयिकों तथा राजदूतों आदि की नियुक्तियों में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) किन-किन देशों में कितने रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिये सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ; और

(ग) नियुक्ति करने का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भवना है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विभिन्न देशों में हमारे मिशन प्रमुखों, राजदूतों तथा अन्य वरिष्ठ राजनयिकों की नियुक्ति में जान-बूझकर विलम्ब नहीं किया जा रहा है। नियुक्ति के बाद अधिकारी को छुट्टी लेने की जरूरत होती है या उसे कुछ निर्देश एवं परामर्श आदि लेना होता है और औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस सब में समय लगता है ।

(ख) और (ग) : विदेश-स्थित हमारे मिशनों में निम्नलिखित स्थान खाली हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं ;

(1) लंदन (यू० के०) — हाई कमिश्नर

(2) नोम पेन्ह (कम्बोडिया) — राजदूत

(3) मस्कत (ओमन) — राजदूत

(4) पेकिंग (चीन) — राजदूत

उपरोक्त रिक्त पदों को भरने में विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मामला सरकार के विचाराधिन है।

Standing Rules Regarding Workers in Private Industries

5369. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether every private industry formulates its separate Standing Rules for workers for carrying on the work;

(b) whether these Rules are examined and approved by the Labour Departments of respective States before these are made applicable to the workers and if not, the reasons therefor;

(c) whether these private industries inform the Labour Departments of their respective States about the changes made by them in their rules; and

(d) whether no change can be made in such rules without prior approval of the Labour Departments of the respective States?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) and (b): The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 requires employers in industrial establishments to get the standing orders certified by the Certifying Officers appointed by the appropriate Government. The Act also provides for the framing of model standing orders by the appropriate Government and the circumstances in which the model standing orders will be applicable to the establishments where there are no certified standing orders.

(c) and (d): The Act lays down the procedure to be followed for the modification of certified standing orders. According to this procedure the modifications have to be certified by the Certifying Officer. The employers cannot modify them unilaterally. The certified standing orders can also be modified by agreement between the employers and workmen.

Supply of Steel to Gadolia Blacksmiths

5370. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there are lakhs of Gadolia Blacksmiths in the country even to-day;

(b) whether they repair and manufacture small articles of iron of daily use with their hands traditionally;

(c) whether Government have made any arrangements to supply them steel so as to keep these cottage industries alive and to improve the economic condition of the Gadolia Blacksmiths, if not, the reasons therefor; and

(d) if so, the quantum of steel being supplied to them and the criteria thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (d) No allocations are made nor statistics maintained community wise. However, it may be mentioned that supplies to small scale units are now channelised through the respective Small Scale Industries Corporations and the individual Small Scale Industries Units have to approach them. Small quantities are also supplied to Small Scale Industries Units from the Stockyards of the main producers on the recommendation of the concerned Director of Industries.

Amount Incurred on Gallantry Awards and Award Ceremonies

5371. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the total amount incurred on gallantry awards and organising these award ceremonies during the last year and whether any amount is earmarked for such ceremonies every year and if so, the details thereof; and

(b) the number of celebrations held during the last year for distribution of gallantry awards indicating the places where they were held and the amount incurred thereon as also the number of persons to whom gallantry awards were distributed indicating the types of awards distributed?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b): Awards of Param Vir Chakra and Ashoka Chakra are presented by the President on 26th January every year before the commencement of the Republic Day Parade. In 1971 an Investiture Ceremony was held at Rajpath where the President presented one Ashoka Chakra award. Awards of Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra which are given for gallantry and awards of Param Vishisht Seva Medal and

Ati Vishisht Seva Medal which are for distinguished Service, are presented by the President at Investiture Ceremonies at Rashtrapati Bhavan. In 1971, an Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan was held on 6th October, 1971, where 14 Param Vishisht Seva Medal, 6 Kirti Chakra, 35 Ati Vishisht Seva Medal and 11 Shaurya Chakra were presented. The recipients are given refreshment after the Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan. They are also invited to reception by the Raksha Mantri. An amount of about Rs. 550 was incurred on the refreshment given to the awardees.

The awards of Sena Medal/Nao Sena Medal/Vayu Sena Medal, which are given for such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as have special significance for the Service concerned and the awards of Vishisht Seva Medal which are awarded for distinguished service are presented by the respective Chiefs at the Investiture ceremonies which are held at different places. In 1971, the following Investiture ceremonies were held for presentation of these awards:—

Name of the award	No. of Investiture ceremonies held	No. of awards Presented	Place where held
Sena Medal Vishisht Seva Medal	1	26 18	Delhi Cantt.
Nao Sena Medal & Vishisht Seva Medal	1	10 27	Bombay.
Vayu Sena Medal & Vishisht Seva Medal	5	44 29	Palam Bamrauli Shillong Nagpur Bangalore.
		154	

An amount of Rs. 2,500/- per annum for presentation of Sena Medals and Vishisht Seva Medals by the Chief of the Army Staff, Rs. 1,000/- per annum for presentation of Nao Sena Medals and Vishisht Seva Medals by the Chief of the Naval Staff and Rs. 1,500/- per annum for presentation of Vayu Sena and Vishisht Seva Medals by the Chief of the Air Staff, have been earmarked for expenditure on hiring of furniture, decoration of dias, reception to the recipients and their guests/invitees, etc.

Information regarding the actual expenditure incurred on the manufacture of all the medals and on investiture ceremonies for presentation of Sena/Nao Sena/Vayu Sena Medals and Vishisht Seva Medals as also on TA/DA etc. for various investitures is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Disposal of Jeeps by Government

5372. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Supply** be pleased to state:

(a) whether Government dispose of such jeeps which are not considered service-worthy;

(b) if so, the types of jeeps thus disposed of and on whose advice;

(c) whether such jeeps are allotted to the Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies on reasonable prices; and

(d) if so, the reasons therefor, the criteria of allotment to them and the manner in which these are sold?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan): (a) Jeeps surplus to the requirements of the various Government Departments are reported to the Director General of Supplies and Disposals (DGS&D), New Delhi for arranging their disposal.

(b) The DGS&D dispose of the jeeps reported to them either by release to the Priority Indentors or sale through tender/auction. The following types are generally received for disposal:—

(i) Car 5 Cwt 4 × 4 Willys;

(ii) Car 5 Cwt 4 × 4 Nissan Patrol-60 (Jonga); and

(iii) Car 5 Cwt 4 × 4 Ford GPW.

(c) Yes, by the Ministry of Defence.

(d) Allotment to Members of Parliament is made on terms and conditions circulated to them under Ministry of Defence Circular letter No. 13(30)/68/4635/2/D(O-II), dated 14-6-1971. Similar terms and conditions also govern the allotment to Members of Legislative Assemblies.

रुरकेला इस्पात संयंत्र अधिकारियों द्वारा खराब इंजन की खरीदको नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा मंजूर न किया जाना

5373. **श्री अर्जुन सेठी :**
चौधरी दिलीप सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र अधिकारियों द्वारा विदेशों से खराब इंजन खरीदने के कार्य को, जिस से सरकारी खजाने को भारी हानि हुई, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा निरनुमोदन किये जाने तथा उसकी आलोचना किये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस हानि के लिये जिम्मेदार संयंत्र के अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा खराब रेल के इंजनों की खरीद के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टीका टिप्पणी नोट कर ली गई है।

इस टीका-टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का ध्यान दिलाया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अधिकतम उत्पादन के लिए कार्यवाही

5374. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की इस्पात के उत्पादन की वार्षिक निर्धारित क्षमता क्या है और उन में वार्षिक कितना उत्पादन होता है ;

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता का प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अधिकतम उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों की इस्पात पिण्ड की वार्षिक निर्धारित क्षमता तथा वर्ष 1971-72 और अप्रैल-नवम्बर, 1972 की अवधि का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हज़ार टन)

कारखाना	निर्धारित क्षमता	वास्तविक उत्पादन 1971—72	वास्तविक उत्पादन अप्रैल-नवम्बर, 1972
भिलाई इस्पात कारखाना .	2,500	1,953	1,334
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	1,600	700	460
राउरकेला इस्पात कारखाना .	1,800	823	747

(ख) यद्यपि 3 इस्पात कारखानों का अप्रैल-नवम्बर, 1972 का इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से 428,000 टन अधिक था तथापि कई कारणों से इन कारखानों में और अधिक उत्पादन नहीं हो सका। कोक भट्टी श्रृखंलाओं के संतोषजनक ढंग से कार्य न करने के कारण कोक ओवन गैस की कमी अब भी उत्पादन में एक बड़ी बाधा है। इस बारे में क्रमिक सुधार हुआ है और भिलाई में विशेष रूप से सुधार हुआ है। बिजली की सप्लाई न होने तथा इसकी सप्लाई पर प्रतिबन्धों के कारण राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मुख्य कठिनाई मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना थी। इस कारखाने में कम उत्पादन होने के अन्य बड़े-बड़े कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध, गैस की कमी और उपस्करों की खराबी थे।

(ग) कम्पनी के प्रबन्धक मालिक-मज़दूर स्थिति की परिसीमाओं में रहते हुए, विशेषतया दुर्गापुर में, उत्पादन की गति को तेज करने के लिए सभी संभव उपाय कर रह है। इनमें कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढाने हेतु वैकल्पिक इंधनों का प्रयोग, रख-रखाव में सुधार, जिससे उपस्करों की उपलब्धि बेहतर हो सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिये आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करना तथा योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जों, ऊष्मसह और दूसरी आवश्यक सामग्री की प्राप्ति आदि शामिल है। हाल में दुर्गापुर में एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों और शिकायतों को तेजी से निपटाना तथा अधिकाधिक उत्पादन करने में कामगारों का सहयोग प्राप्त करना है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि लाने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना लागू की गई है। सरकार भी टास्क फोर्स की साँवधिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सतत नजर रखती है और सभी आवश्यक सहायता देती है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न एककों के पूरा होने के बारे में प्रगति

5375. **श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना की धमन भट्टी, कोक ओवन एण्ड बाई प्रोडक्ट प्लांट, सिर्टरिंग प्लांट, स्टील मेल्टिंग शाप, हाट एण्ड कोल्ड रोलिंग मिल्स और रिफरैक्टरी मैटिरिल्स प्लांट के सिविल इंजीनिरिंग कार्यों के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या बोकारों परियोजना के इन कार्यों के पूरा करने के लिये निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रगति हो रही है, और नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) : बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के कार्य में नवम्बर 1972 के अन्त तक इन क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी कार्य की प्रगति संलग्न विवरण में दिखाई गई है। धमन भट्टी, कोक ओवन और सिन्टरींग प्लान्ट के क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी कार्य लगभग पूरा हो गया है। स्टील मेल्टिंग शाप,' ऊष्मसह सामुग्री संयंत्र और बेलन मिल के क्षेत्र में काम निर्धारित समय सूची से कुछ पीछें है। यह मुख्यतः ठेकेदारों की असफलता तथा भारी मात्रा में चट्टानों को निकालने के काम के कारण है।

विवरण

बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण (17 लाख टन) के कार्य के अन्तर्गत बड़े-बड़े क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी कार्य की प्रगति के बारे में विवरण।

क्षेत्र	कुल अनुमानित मात्रा	किया गया कुल काम
1. धमन भट्टी		
खोदाई का काम . .	14,00,000 घन मीटर	14,48,825 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	2,27,000 घन मीटर	2,22,989 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था .	32,021 मीटर	31,040 मीटर

क्षेत्र	कुल अनुमानित मात्रा	किया गया कुल काम
2. कोक ओवन और उपोत्पाद संयंत्र		
खोदाई का काम . .	7,50,000 घन मीटर	7,81,510 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	1,44,524 घन मीटर	1,53,054 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था .	29,000 मीटर	29,582 मीटर
3. सिन्टरिंग संयंत्र		
खोदाई का काम . .	5,34,000 घनमीटर	6,11,848 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	108,500 घनमीटर	1,11,471 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था .	14,600 मीटर	15,460 मीटर
4. स्टील मेल्टिंग शाप		
खोदाई का काम .	13,00,000 घन मीटर	12,88,200 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	1,37,000 घनमीटर	1,43,177 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था	41,671 मीटर	36,400 मीटर
5. उष्मसह् सामग्री संयंत्र		
खोदाई का काम .	6,50,000 घन मीटर	6,20,030 घन मिटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	1,13,100 घन मीटर	1,17,402 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था	23,425 मीटर	17,853 मीटर
6. गर्म बेलन मिल		
खोदाई का काम .	18,70,380 घन मीटर	18,37,531 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	3,82,615 घन मीटर	3,51,483 घन मीटर
भूमिगत संचार व्यवस्था .	37,000 मीटर	23,400 मीटर
7. ठण्डी बेलन मिल		
खोदाई का काम . .	19,30,000 घन मीटर	18,41,416 घन मीटर
कंक्रीट और आर० सी० सी०	4,80,146 घन मीटर	3,70,046 घन मीटर
चूमिगत संचार व्यवस्था .	21,763 मीटर	21,089 मीटर

इस्पात तथा खान मंत्रालय के सचिव की खान तथा हेवी-इंजीनियरिंग के सचिव के रुप में नियुक्ति

5376. **श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात तथा खान मंत्रालय के वर्तमान सचिव को खान तथा हैवी-इंजीनियरिंग का सचिव नियुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या वह इस्पात विभाग का कार्यभार भी संभाले रखेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) :(क) और (ख) : मंत्रालय में दो सचिव हैं। श्री वाठ्ठद खां प्रमुखतया सचिव के रूप में, लौह अयस्क, कोकक्री कोयला और मैंगनीज को सम्मिलित कर होल्डिग कम्पनी की परिधि में आने वाले विषयों से सम्बन्धित कार्य को देख रहे हैं। इस्पात वितरण इत्यादि को सम्मिलित कर शेष कार्य श्री एच० सी० सरीन, द्वारा किया जा रहा है। वह इस समय बोकारो का कार्य भी देख रहे हैं।

सैनिकों को कम्बलों की सप्लाई

5377. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आर्थर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी, बम्बई तथा श्री कृष्ण वूलन मिल्स, बम्बई नामक दो फर्मों को 1.5 लाख रुपये के मूल्य के कम्बल सप्लाई करने के लिए आदेश दिए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस फर्मों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्राप्त हुए हैं; (1) इन फर्मों में रक्षा विभाग को कम्बल सप्लाई करने के लिए आयातित कच्चे माल अर्थात् पुराने चिथड़ों से प्राप्त रेशा प्रयोग करने के बजाय टेरेलीन की कमीजें, संशोलित रेशे आयात किए और इन्हें बम्बई तथा कलकत्ता को विभिन्न फर्मों को 500–600 प्रतिशत लाभ कर बेचा; (2) इन फर्मों ने कम्बल खुले बाजार में खरीदे; (3) वे कम्बल रक्षा विभाग के नमूनों के अनुरूप नहीं थे; (4) कम्बल एक सप्ताह में ही फट गये और बहुत से सैनिकों को निमोनिया हो गया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1971 के दौरान इन दोनों फर्मों को डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा निम्नलिखित आर्डर दिए गए थे :—

	फर्म का नाम	मात्रा
(1) टी० डब्लू० एल० 5–541 दिनांक 8-1-1971	आर्थर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी	50,000 नं० 33.30 रु० की दर से 26-3-1972 को 62,500 तक बढ़ा दिया गया था।
(2) टी० डब्लू० एल० 5-664 दिनांक 9-11-1971	श्री कृष्णा वूलेन मिल्स, बम्बई	50,000 नं० जिसे 1,00,000 तक बढ़ा दिया गया था 37 रुपये की दर से।

(ख), (ग) और (घ) : सप्लाई करने वाली इन फर्मके विरुद्ध लगाई गए कुछ कथित आरोपों की जांच पहले से ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इस प्रश्न में उल्लिखित उपर्युक्त आरोप भी उन्हें भेजे जा रहे हैं।

हिन्द-चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय में कार्य कर रहे भारतीय

5378. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय में कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के मुख्यालय में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या 10 है।

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के मुख्यालय में भारतीयों की कुल संख्या 26 है।

इस प्रकार समस्त इन्डो-चीन में कुल संख्या 36 है।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तांबा और लोहा निक्षेपों के लिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण किया जाना

5379. **श्री हेमेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संख्या ने राज्यस्थान के भीलवाड़ा जिले में व्यापक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो समय समय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या बनेरा क्षेत्र में तांबे और लोहे का पता चला है; और वहां कितनी मात्रा में तांबा और लोहा उपलब्ध होने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में बनेरा क्षेत्र का विकास करने के लिये सरकार की भावी योजना क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभी तक किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के पुर-दरीबा क्षेत्र में एक प्रतिशत ताम्र सहित ताम्र अयस्क के 20 लाख टन और अभ्रक, टाल्क और भवन सामग्री के महत्वपूर्ण निक्षेप अवस्थापित किये गए हैं। इनके अतिरिक्त, बेरील, गारनेट, कायनाइट, फ्लोराइट, लोह अयस्क, सीसा जस्ता और ऐस्बेस्टास के प्राप्तिस्थलों की जानकारी मिली है। 'आपरेशन हार्डरॉक' के परीणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली हवाई असंगतियों के भूतल अनुवर्ती कार्य से देदवास, देवपुर, और बनेरा के समीप ताम्र-सीसा और जस्ता खनिजीकरण के क्षेत्रों की विद्यमानता का पता चला है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हवाई खनिज समन्वेषण स्कंध द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप, देवपुर ग्राम के पश्चिम में ताम्र खनिजीकरण अवस्थापित किया गया है जिसे 'बनेरा पूर्वेक्षण' से सम्बोधित किया जाता है। 40 लाख टन की उपलब्ध राशियां अनन्तिम रूप से प्राक्कलित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पुर-बनेरा क्षेत्र में आधार धातु खनिजीकरण के लिए विस्तृत अन्वेषण भी कर रहा है। निम्न श्रेणी लोह अयस्क की कुछ उपलभ्य राशियां मोटे तौर से लगभग 170 लाख टन प्राक्कलित, पुर-बनेरा पट्टी में मैग्नेटाइट क्वार्टज़ाइट टीलों में अवस्थापित की गई हैं।

(घ) बनेरा क्षेत्र में ताम्र और लोह के समुपयोजन पर, प्रगतिशील कार्य के समापन के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

बंगला देश को कोयले का आयात

5380. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास अपने देश के उपयोग के लिये भी कोयले की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे यहां कमी होते हुए भी कोयले का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) : भारत, मार्च, 1972 के भारत-बंगला देश करार के अधीन बंगला देश को स्टीम-कोयला और साफ्ट कोयला निर्यात करता रहा है। कोयले के इन प्रकारों की आपूर्ति कम नहीं है।

Compensation Charged on Fraudulent Grounds for Land Acquired for Bokaro Steel Plant

5381. Shri Madhukar: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there has been a lot of bungling in acquiring land for Bokaro Steel Plant and huge amount has been charged as compensation for land through various fraudulent means;

(b) if so, whether Government are aware of this bungling; and

(c) the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c): Land for the Bokaro Steel Plant is acquired by the Government of Bihar. Payment for the land is made by the Steel plant at rates agreed to with the State Government several years ago when the land was notified for acquisition. The Government of India are not aware of any bungling in this regard.

Loss to Indian Coking Coal Company due to power shortage

5382. Shri Madhukar: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn by the Managing Director of the Indian Coking Coal Mines to the fact that if the present position of supply of power is not improved, a heavy loss would have to be suffered by the organisation because many coking coal mines would be filled up with water soon after the monsoons start;

(b) if so, whether Government have taken any steps to tackle the situation; and

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir.

(b) & (c): The matter has been taken up with the Damodar Valley Corporation and the Bihar State Electricity Board for ensuring regular and adequate supply of power to maintain the tempo of production.

Complaint from Members of Parliament re: Anti-Labour Policies at Bharat Coking Coal Co., Limited

5383. Shri Madhukar: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the anti-labour policies, as adopted by the owners of Private Coking Coal Mines, still continue to be in force in Bharat Coking Coal Company Limited against which 22 Members of Parliament from Bihar made a complaint to the Prime Minister and the Prime Minister given an assurance to look into it;

(b) if so, the reasons for this attitude of the Company; and

(c) whether any action has been taken by the Government to check this attitude of the higher Officers of Coking Coal Mines Company?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) & (c): Do not arise.

शौर्य पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पुरस्कार

5384. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 दिसम्बर, 1971 से 15 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के दौरान शौर्य के लिये दिये जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कितने पुरस्कार दिये गये हैं ; और इन पुरस्कारों के दिये जाने का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'प्रशस्तिपत्र में उल्लेख' (मैनशन्ड-इन-डिस्पैचेज) नामक कितने पुरस्कार दिये गये ;

(ग) क्या यह पुरस्कार युद्ध के दौरान अग्रिम क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है और इसे कैम्पेन स्टार में बार (पद के कुंडे के नीचे लगाई जाने वाले चांदी की पट्टी) के रुप में प्रदर्शित किया जाता है ; और

(घ) क्या यह पुरस्कार अग्रिम क्षेत्रों में नियुक्त बहुत से ऐसे अधिकारियों को भी दिया गया जो इसे न तो पहनने के अधिकारी थे और न हीं पूरे युद्ध में उन्हें कुछ करना धरना था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 15 दिसम्बर, 1971 से 15 दिसम्बर, 1972 तक विशिष्ट सेवा श्रेणी में कुल प्रदान किये गये पुरस्कारों की संख्या तथा उनका मानदण्ड निम्नलिखित है :—

पुरस्कार का नाम	मानदण्ड	पुरस्कारों की संख्या
परम विशिष्ट सेवा मैडल	उत्कृष्ट कोटि की अत्यन्त असाधारण सेवा के लिये।	60
अतिविशिष्ट सेवा मैडल	उत्कृष्ट कोटि की असाधारण सेवा के लिये।	165
विशिष्ट सेवा मैडल	उत्कृष्ट कोटि की उच्च स्तर की सेवा के लिये।	341
	योग .	566

इसके अतिरिक्त सेना-नौसेना-वायुसेना के निम्नलिखित अनेको पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। यह पुरस्कार असाधारण कर्तव्य परायणता या साहस के लिए, जिसका सम्बन्धित सेवा में विशेष महत्व होता है, के लिए प्रदान किए जाते हैं :—

सेना मैडल . . .	599
नौ सेना मैडल . . .	106
वायु सेना मैडल . .	98

(ख) 1565

(ग) प्रशस्ति पत्र में उल्लेख (मैन्शन्ड इन डिस्पैचेज) उत्कृष्ट तथा सराहनीय सेवा तथा युद्ध क्षेत्र में वीरता पूर्ण कार्य के लिये दिया जाता है जबकि वह इतने पर्याप्त उच्च स्तर का न हो कि शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जा सकता हो। पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक प्रतीक (एक कमल दल कांस्य में) जिसे कम्पेन स्टार के साथ रिबन पर पहना जा सकता है प्रदान किया जाता है। यदी किसी भी कम्पेन स्टार को स्थापित न किया गया हो तब भी वह निर्धारित प्रणाली के अनुसार पहना जा सकता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमन्।

Closing of Bhoora Coal Mine of Village Palana of Bikaner

5385. Shri Panna Lal Barupal: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the reasons for closing the Bhoora Coal Mine of a Palana Village of Bikaner district in Rajasthan;

(b) whether a scheme for digging coal from Palana Coal Mine through open cut was formulated; and

(c) whether correspondence was being exchanged by the State Government in regard to setting up of a Power Plant by digging coal from the said mine with the help of Japan and talks were being held in this regard and if so, the reasons for terminating this dialogue without taking any decision?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) This Mine was closed due to spontaneous combustion and fire, and insufficient demand owing to the closure of Bikaner Power House on availability of electric supply from Bhakra.

(b) Yes, Sir. The scheme was formulated but could not be implemented as it was not included in the State Fourth Five Year Plan.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Supply of Iron and Cement for Construction of Bridges in Madhya Pradesh

5386. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether the construction work of 250 bridges in Madhya Pradesh could not take place because the Centre have not supplied cement and iron to the State Government as per their requirements?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Replacement of Foreign Technicians by Indian in Bhilai Steel Plant

5387. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether some foreign technicians are also working in the Bhilai Steel Plant and whether Indian Technicians are likely to be posted in their place; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b): As on 9-12-72, there were 37 foreign technicians working in the Bhilai Steel Plant—26 on operation/maintenance work, 10 on expansion/construction work and 1 in the Central Engineering & Design Bureau.

Indian Technicians will replace the foreign technicians in due course.

Mineral Exploration Corporation for exploration of minerals in Madhya Pradesh

5388. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 244 on the 17th August, 1972 and state:

(a) whether Government have since set up a Mineral Exploration Corporation;

(b) whether it has geared up the pace of minerals exploration programme in progress in Madhya Pradesh during the last three years; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c): The Mineral Exploration Corporation has been set up recently to undertake detailed mineral exploration work. The Corporation is at present working out the preliminaries for establishing its offices at different places in the country and procurement of equipment etc. so as to start its normal functions. It is not possible at this stage to indicate the work, the Corporation is likely to undertake in Madhya Pradesh as the Corporation will require sometime to study in detail the possibility of taking up various mineral exploration schemes in this State.

Licences issued to Firms for manufacture of tins in Madhya Pradesh

5389. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the names of the firms in Madhya Pradesh which have been issued C.O.B. Licences upto 30th September of the current year for the manufacture of tins for the purpose of preservation of articles and whose manufacturing capacity 500 tins or more; and

(b) whether any guidelines have been formulated for the supply of tin plates to these units?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No C.O.B. Licence has been issued for the manufacture of tin containers to any firms in the State of Madhya Pradesh.

(b) **Does not arise.**

पाकिस्तान को चीनी सहायता

5390. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन पाकिस्तान को उसकी कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये काफी सहायता दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) : जी हां । सरकार को इसे बात की जानकारी है कि पाकिस्तान को विभिन्न परियोजनाओं के लिये चीन आर्थिक सहायता देता रहा है । पाकिस्तान को चीन की आर्थिक सहायता इन दोनों देशों के बीच के विपक्षीय सम्बन्धों का मामला है ।

रक्षा और गृह मंत्रालयों की सैनिक स्कूल छात्र वृत्ति योजनाओं के एकरुपता लाना

5391. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या रक्षा मंत्री 28 जून, 1971 और 14 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 3297 और 2846 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक स्कूल छात्रवृत्तियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना तथा गृह मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के बीच विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रस्ताव पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूलों के लिये छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान रूप में बनाए रखा जाय। गृह मंत्रालय की सैनिक स्कूलों के लिये छात्रवृत्ति योजना तथा इस योजना के मध्य विषमताओं को दूर करने के लिये निम्नलिखित कारणों से परिशोधित करना आवश्यक नहीं समझा गया है :—

(1) रक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना 600—1199 रुपये आय ग्रुप के व्यक्तियों को अर्ध छात्र वृत्ति की व्यवस्था करता है।

(2) निम्नतर आय ग्रुप के व्यक्तियों के सम्बन्धमें रक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना में यात्रा भत्ता तथा जेब खर्च (पौकेट मनी) जैसे अतिरिक्त लाभों की व्यवस्था है।

गृह मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना का अब नियंत्रण सम्बन्धित संघ शासित क्षेत्र जिसमे वह भी शामिल है जिन्हें अभी हाल में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है करते हैं। गृह मंत्रालय की छात्र वृत्ति योजना को रक्षा मंत्रालय की योजना के समान करने के लिये संशोधन करने का प्रश्न संबंधित संघ शासित क्षेत्र-राज्य सरकारों से उठाया जा रहा है।

डेनमार्क के विदेश मंत्री की यात्रा

5392. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क के विदेश मंत्री ने हाल में भारत की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे किन मामलों पर बातचीत हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। डेन्मार्क के विदेश मंत्री महामान्य श्री के० बी० एन्डरसन ने दिनांक 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1972 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

(ख) डेन्मार्क के विदेश मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री के बीच विविध विषयों पर बात-चीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की गई तथा द्विपक्षीय आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। बात-चीत से यह प्रकट हुआ कि विभिन्न मामलों पर जिनकी चर्चा हुई, दोनों देशों के दृष्टिकोण में समानता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में लोह अयस्क की कमी

5393. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लौह अयस्क की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने में अभी इस्पात का उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है। कच्चे लोहे के उत्पादन पर, जो 3 अक्तूबर, 1972 से होना आरम्भ हुआ है, लोह खनिज की कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Supply of Iron and Steel to Government of Bihar for Housing Purposes

5394. **Shri Shiv Shankar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity of iron and steel demanded by the Housing Department and Public Works Department of the Government of Bihar in 1971 and during the current year for various construction works and the quantity of iron and steel supplies to them; and

(b) the quantity thereof supplied out of the allotted steel and the import thereof on construction work in Bihar?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उड़ीसा में सीसे का कारखाना लगाना

5395. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ में सरगीपल्लिओ में सीसे का कारखाना लगाने का कार्य शुरु हो गया है और यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितना धन लगाया जायेगा ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये प्रस्तावित कम्पनी अब बना दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी बनाने संबंधी दस्तावेज सभा पटल पर रखेंगे ; और

(घ) संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रारंभिक कार्य वास्तव में कब शुरु होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को, प्रद्रावक की स्थापना की अर्थ-व्यवस्था निर्धारण को सम्मिलित कर, सर्गीपल्ली सीसा निक्षेप के समुपयोजनार्थ साध्यता/प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य समनुदेशित किया गया है। इस समय, अयस्कों के वास्तविक समुपयोजन और सीसा धातु के निष्कर्षण के लिये, केन्द्रीय और उड़ीसा सरकारों के संयुक्त स्वामित्वाधीन एक नई कम्पनी स्थापित करने का विचार है।

कुल विनिधान, प्रारंभिक कार्य के सम्युक्ता के लिये अपेक्षित कालावधि और उत्पादन आरम्भ होने आदि के ब्यौरे साध्यता/प्रायोजना रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

उड़ीसा में नयागढ़ इस्पात संयंत्र की स्थापना

5396. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के नयागढ़ क्षेत्र में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरु करने के लिये इस बीच कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाटा शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फर्म को ऋण दिया जाना

5397. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ने कछार प्लाइवुड लिमिटेड को कलकत्ता में उसकी सम्मति के विरुद्ध, जिसका मूल्य केवल 55,000 रुपये है, कर्मचारी उपदान निधि से 22 लाख रुपये की भारी राशि ऋण के रूप में दी है ;

(ख) क्या आयकर आयुक्त (सेण्ट्रल सर्किल) के एक आयकर अधिकारी ने उनसे अनुरोध किया था कि वह ऐसा न करे ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी निधि के दुरुपयोग तथा गतल निवेश के लिए ऋणदाता कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायगी।

आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड को अलाट किये गये इस्पात का दुरुपयोग

5398. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड कछार की फैक्टरी की स्थापना के लिये इस्पात का बहुत अधिक कोटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या फैक्टरी अन्ततः स्थापित कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं और उनको दिये गये इस्पात का निपटान किस प्रकार किया गया ; और

(घ) क्या फैक्टरी बनाने वाले आवेदनकर्ता इस्पात को मुनाफे पर बेचने में ही रुचिकर थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मंत्रालय द्वारा निकाले गये निबन्ध (मोनोग्राफ)

5399. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में मंत्रालय द्वारा अपने कार्यकरण के बारे में कौन-कौन निबन्ध (मोनोग्राफ) जो कि आम जनता की रुचि के थे निकाले गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध

5400. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा अपने कार्यकरण के सम्बन्ध में कौन-कौन से निबन्ध (मोनोग्राफ) निकाले गये जो कि आम जनता की रुचि के थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : अपेक्षित सूचना एकत्रित जा रही है और यथा-समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

Agricultural land cases pending with Department of Rehabilitation

5401. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the State-wise number of Agricultural land cases in the country pending with the Department of Rehabilitation for more than five years;

(b) whether Government propose to dispose of the cases pending with the Department of Rehabilitation expeditiously; if so, by what time; and

(c) whether the agricultural land cases of refugees settled in Rajasthan are still pending with the Central Government; if so, the State-wise number thereof and the time by which these cases would be disposed of?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

श्रेणी III के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति तथा उनकी वरिष्ठता निर्धारित करना

5402. **श्री पी० एम० सईद :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गज़ेट अधिसूचना संख्या 44–जीए/71 दिनांक 19 मार्च, 1971 के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव देते हुए श्रेणी III के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति तथा वरिष्ठता निर्धारित करने के लिय आदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में मंत्रालय के कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या भूतलक्षी प्रभाव के आदेशों की उद्घोषणा से श्रेणी III के स्टेनोग्राफरों के सबसे डर के कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) उक्त अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) राजपत्र-अधिसूचना सं० 44–जी ए/71 दिनांक 19 मार्च, 1971 भारतीय विदेश सेवा (ख) (आर० सी० एस० पी०) नियमावली 1964 का' एक संशोधन है ; न कि वर्ग III के आशुलिपिकों की पदोन्नति और वरिष्ठता नियत करने के बारे में एक आदेश।

19 मार्च 1971 की अधिसूचना सं० 44 जीए/71 द्वारा अधिसूचित भारतीय विदेश सेवा (ख) (आर० सी० एस० पी०) की संशोधित नियमावली के नियम 17(ई) के प्रावधानों के अनुपालन में आदेश सं० क्यू०/पी० वी०/5602/18/71 दिनांक, 16-10-71 द्वारा इस वर्ग में ये नियुक्तियां की गई थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) । संबद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

लघु इस्पात संयंगों के सम्बन्ध में

तारांकित प्रश्न संख्या 541 और 547 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NOS. 541 AND 547
RE: MINI-STEEL PLANTS

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : आपकी अनुमति से मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 541 और 547 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि लोहे की कतर ों के निर्यात पर तिबन्ध लगा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हैवी मैल्टिंग स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है किन्तु कुछ इस किस्म की कतरनों का निर्यात करने की अनुमति है जिनका देश में उपयोग किया जाना लाभप्रद नहीं है अथवा जो देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। जब भी देश में इस प्रकार की कतरनों की मांग बढ़ेगी सरकार उनके निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाने का विचार करेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम की स्थिति

श्री समर गुह (घंटाई) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के आसाम के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के दौरे का समाचार तथा वहां की नवीनतम स्थिति "

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमन्, असम में स्थिति का प्रथम मूल्यांकन करने के लिये मैंने 16 तथा 17 दिसम्बर को सिल्चर, डिब्रूगढ़, मोयराबाड़ी तथा गौहाटी का दौरा किया था। मैंने विभिन्न समुदायों के लोगों से और मुख्य मंत्री तथा राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। राज्य सरकार सतर्कता बनाये रखने की आवश्यकता से अवगत है और विभिन्न भाषायी वर्गों के बीच शीघ्र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित करने में उत्सुकता से संलग्न है। दंगों से प्रभावित लोगों के लिये क्षतिपूर्ति के उपाय किये गये हैं। दो विशिष्ट घटनाओं जिनके परिणामस्वरूप दो छात्रों की मृत्यु हुई, की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने भी गलतियों से सम्बन्धित आरोपों से समेत दंगों से निपटने के लिये किये गये प्रशासनिक प्रबन्धों की उपलब्धता की जांच-पड़ताल करने का निश्चय किया है।

श्री समर गुह : मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने आसाम की स्थिति के बारे में इतना संक्षिप्त वक्तव्य दिया है। उन्होंने 16 तारीख को गोहाटी में प्रेस सम्मेलन में यह भी बताया था कि यद्यपि स्थिति में सुधार हो रहा है तथापि स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उन्होंने आज सभा में यह बात भी नहीं बताई।

आसाम में आठवीं बार उपद्रव हुये हैं। तथा इस बार बंगालियों, बिहारियों तथा मारवाड़ियों के साथ पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अन्याय तथा ज्यादातियां की गई है।

श्री तरुन गोगाई (जोरहाट) : क्या वह कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। वह सभा में गलत वक्तव्य दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : माननीय सदस्य को याद होगा कि 1968 में क्या हुआ था जब श्री यशवंतराव चव्हाण ने आसाम का दौरा किया था। उस समय किसके विरुद्ध दंगे हुए थे ? यह ज्ञात होगा कि चाय बागानों में तथा अन्य स्थानों पर असंख्य बिहारी कार्य कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात होगा कि बिहारी खेड़ा, बंगाली खेड़ा तथा मारवाड़ी खेड़ा में रहने वाले लोगों को भारी यातनाएं पहुंचाई गई थीं। अब मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि समस्या का समाधान किया जाए।

यह समस्या बंगालियों और आसामियों के बीच की समस्या नहीं है वरन् यह राष्ट्रीय समस्या है। मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय गत दो या तीन महीनों में आसाम में हुई दुःखद घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी देंगे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस दिन श्री एफ० एच०मोहसिन ने निष्कर्ष निकाला था कि इस सम्बन्ध में सभा में जो कुछ कहा गया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। उनका यह कहना गलत है। वास्तव में वहां की स्थिति के बारे में थोड़ी सी भी बातें नहीं बताई गई हैं। समाचारपत्रों ने आसाम में हुई घटनाओं का कोई हवाला नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि वहां सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है तथा 35,000 व्यक्तियों को शरणार्थी बना दिया गया है। हजारों घर जला दिये गये हैं। वहां पर अब भी तनावपूर्ण स्थिति विद्यमान है तथा अल्प-संख्यकों को बहुत खतरा है। मैं मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिये क्या उपाययें किये गये हैं। इसके साथ मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यदि स्थिति सामान्य नहीं की गई तो इसका देश के अन्य भागों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा सारे देश में रक्तपात आरम्भ हो जायेगा।

यदि स्थानीय भावना को बल दिया गया तो पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति होगी जहां पर 15 प्रतिशत जनता गैर-बंगाली है। वहां के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत मजदूर गैर-बंगाली हैं तथा चाय बागानों में 80 प्रतिशत ऐसे मजदूर हैं। देश के किसी भी राज्य में केवल एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं रहते। अतः यह समस्या सभी स्थानों पर रहेगी। यदि स्थानीय लोगों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहन दिया गया तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में मिलजुल कर किस प्रकार रह सकते हैं तथा राष्ट्रीय एकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है?

भाषाई अल्प-संख्यकों के लिये आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोहसिन ने यह कहा था कि बंगाली स्वयं को आसामियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करेंगे। यह दृष्टिकोण अत्यंत घातक है। इससे अल्प-संख्यकों की संस्कृति तथा भाषा का हनन होगा। कल को यह भी कहा जा सकता है कि वे अपना धर्म भी परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। मुझे इस बात का और भी अधिक खेद है कि जब माननीय मंत्री ने यह कहा था कि तब स्वयं प्रधान मंत्री भी वहां उपस्थित थीं किन्तु उन्होंने भी इस बात का खण्डन नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आसाम में तुरंत कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या सरकार यह उपाय करेगी? पहले तो रेडियो और समाचारपत्रों में प्रधान मंत्री की अपील सहित शक्तिशाली प्रचार किया जाय कि आसाम में भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति सद्भावना-पूर्ण बरताव किया जाए। दूसरे, सभी शिक्षा संस्थानों में मैत्री समितियों की स्थापना की जाए। तीसरे, शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिये सर्व दलीय समितियों की स्थापना की जाए जो आम सभाओं के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने का प्रयास करें। चौथे, गिरफ्तार किये गये भाषाई अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों को तुरंत रिहा किया जाए तथा लोगों के नाम जो वारंट जारी किये गये हैं उन्हें वापस लिया जाए। निलम्बित तथा स्थानांतरित किये गये अल्पसंख्यकों को पुनः उसी स्थिति में लाया जाए। छठा उपाय यह है कि सताए गये अल्पसंख्यकों को अविलम्ब पुनः बसाया जाए तथा उनके व्यापार आदि को पुनः सामान्य रूप से चालू किया जाए। आठवा उपाय यह है कि आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र से उन अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए जो स्थानीय समाचार बुलैटिनों में भाषाओं का प्रचार करते हैं। नवां उपाय यह हो कि एक अध्यादेश जारी किया जाए जिसमें समाचारपत्रों में साम्प्रदायिकतापूर्ण लेख लिखने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। दसवें, दंगों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। (**व्यवधान**) ग्यारहवें, विद्यार्थियों के नेताओं सहित आसाम के नेताओं को कलकत्ता, कछार तथा अन्य स्थानों में बंगाली विद्यार्थियों को वापस लाने के लिये भेजा जाए। मंत्री महोदय ने कहा है कि पर्याप्त उपाय किये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये उपाय किये जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार केवल एक प्रश्न करने की अनुमति है किन्तु माननीय सदस्य ने ग्यारह प्रश्न किये हैं।

श्री समर गुह : ये पृथक्-पृथक् प्रश्न नहीं हैं। प्रश्न एक ही है। प्रशासनिक अव्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार गृह मंत्रालय का एक सैल बनाएगी तथा वहां सी० आर० पी० की संख्या में वृद्धि करेगी?

सभा में लगभग एक मत से यह विचार व्यक्त किया गया था कि आसाम में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिये एक संसदीय शिष्ट मण्डल भेजा जाए जिससे वहां की जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न की जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार भाषाई समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी? क्या 1960 में बनाए गए शास्त्री सूत्र को अपनाया जाएगा? क्या शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये कोई उपाय करेंगे?

[श्री समर गुह]

मंत्री महोदय ने बताया है कि दो विद्यार्थियों की हत्या की घटना की जांच करने के लिये जांच आयोग स्थापित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या भी की गई है उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? क्या इस मामले की जांच के लिये एक न्यायिक जांच कराई जाएगी?

मुख्य मंत्री श्री सरत सिन्हा ने 12 तारीख को यह कहा था कि कुछ राजनीतिक वर्गों तथा विदेशी एजेंटों का इन दंगों में बहुत हाथ रहा है। 40 प्रतिशत हिंसात्मक गतिविधियों में पाकिस्तानी एजेंटों का हात रहा है तथा वे अब भी बंगला देश के चुनावों में बाधा डालने के लिये षडयंत्र रच रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ रखने वाले इन व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो हमारी धर्म-निरपेक्षता की नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा बंगला देश के चुनावों में समस्याएं उत्पन्न होंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : माननीय सदस्य ने आसाम की वर्तमान स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया है अतः पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। गत कुछ सप्ताहों से वहां किसी हिंसात्मक गतिविधि का समाचार नहीं मिला है। अतः पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं है।

यह सच है कि स्थिति पर काबू पाने के बाद भी कुछ अल्प-संख्यकों में भय विद्यमान है। राज्य सरकार ने उस भय को दूर करने के लिये कदम उठाये हैं तथा उठा भी रही है। माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाए हैं तथा मैं चाहता हूं कि सभा को यह बताया जाए कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या-क्या उपाय कर रही है। यह सच है कि यह राष्ट्रीय समस्या है तथा राष्ट्रीय एकता और भिन्न भिन्न स्थानों के व्यक्तियों के मिल जुलकर रहने का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोहसिन ने जो वक्तव्य दिया था, मेरे विचार से उसे समझने में गलतफहमी हुई है। उन्होंने वह बात एक संदर्भ में कही थी। यह सच है कि देश के प्रत्येक राज्य में अल्प-संख्यक रहते हैं तथा उन्हें अपनी संस्कृति तथा अपने स्तर का विकास करने का पूरा-पूरा अधिकार है। देश के कानूनों का पालन करते हुए तथा देश के प्रति वफादार रहते हुये उन्हे अपने विकास का अधिकार है। सरकार भी इस बात का ध्यान रखती है। वास्तव में अल्प-संख्यकों तथा बहु-संख्यकों दोनों ही में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। क्षेत्रीयभाषा सम्बन्धी समस्या केवल आसाम में ही नहीं है। यह समस्या इसलिये उत्पन्न हो रही है कि अंग्रेजी भाषा को पीछे छोड़ा जा रहा है तथा उसके स्थान पर क्षेत्रीय भाषाएं आ रही हैं। अतः यह समस्या प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न हो सकती है, केवल आसाम में ही यह समस्या क्यों मानी जाए।

जहां तक शांति समितियों की स्थापना का सुझाव है, मैं उससे सहमत हूं। कुछ स्थानों पर ऐसी समितियां विद्यमान हैं। डिब्रूगढ़ में मैं शांति समिति के सदस्यों से मिला तथा उन्होंने कुछ जले हुये घर मुझे दिखाए। वहां के यूथ कांग्रेस के प्रेसीडेंट ने, जो मेरे विचार से आसामी हैं, बंगालियों के मकानों को पुनः बनाने का कार्य अपने ऊपर लिया है। मेरे विचार से सभी दलों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। फिर भी यदि ऐसी समितियों की स्थापना करना लाभप्रद हो सकता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक अल्पसंख्यकों की रिहाई का प्रश्न है, मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह मांग करनी चाहिए थी कि जो लोग हिंसात्मक गति विधियों में भाग नहीं लेते उन्हें रिहा किया जाए। लगभग 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 84 बंगाली हैं तथा उनमें से 50 को श्री अनिल वोहरा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अतः यह कहना गलत है कि अधिकांश गिरफ्तार व्यक्ति अल्प-संख्यक समुदाय के हैं। इसमें बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न यहां नहीं उठाया जाना चाहिये।

कुछ अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्य मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि प्रशासनिक तंत्र के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिये एक उच्च-स्तरीय प्रशासनिक समिति नियुक्त की जायेगी।

दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को बसाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। उन्हें बसाने के लिये सहायता दी गई है और 26 राहत शिबिर खोले गये हैं जिनमें 11,000 बंगाली शरणार्थी रह रहे हैं।

सम्बन्धित राज्य की विधान सभा के सदस्य ने वहां के लोगों को धन, बांस और निर्माण की सामग्री देने का अनुरोध किया है। पूर्व घटित घटनाओं के बावजूद, वहां का वातावरण अच्छा है।

राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य के लिये 7,33,900 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। 13 शोकाकुल परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार और 8 अन्य मामलों में 500 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई है। एम० आई० एस० ए० के अन्तर्गत 88 व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : राज्य की स्थिति सुधर जाने से हमें कुछ संतोष हुआ है। लेकिन स्थिति में सुधार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की है।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा के समय आसाम के लोगों को सान्तवना देने का अवसर प्राप्त हुआ था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहां के लोगों को शान्त करने के लिये उच्च स्तर से कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है यद्यपि वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। राज्य के सब लोगों का यह दायित्व है कि वे आसाम राज्य की अखंडता बनाए रखें।

यदि वहां के लोगों में समय समय पर इसी प्रकार का असन्तोष व्याप्त रहा, तो वहां के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो जायेगी और बेहतर होगा कि उस स्थिति का उल्लेख न किया जाये। सरकार को इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना चाहिये।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय को मजबूत बनाया जाना चाहिये जिससे वह ऐसे अवसरों पर सरकार को पूर्व सूचना दे सके और उचित कार्यवाही की जा सके। दूसरे इस प्रश्न पर असाम के सब दलों द्वारा विचार विमर्श कर इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना चाहिये।

वहां एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव दिया गया है। लेकिन सरकार का यह विचार है कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल के भेजने से स्थिति सामान्य होने की बजाय और बिगड़ जायेगी। ऐसा सोचना उचित नहीं है। मेरे विचार से उनके जाने से वहां की स्थिति सामान्य होने में अधिक सहायता मिलेगी। अतः सरकार को विरोधी दलों का यह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये।

वहां लोगों को बसाने के बारे में की गई कार्यवाही पर्याप्त है अथवा नहीं, यह कहना कठिन है, परन्तु सरकार ने इस बारे में उचित जानकारी नहीं की है।

यह सर्वविदित है कि वहां प्रशासन अपना दायित्व निभाने में असफल रही है। सरकार को वहां प्रशासन में परिवर्तन करने के बारे में विचार करना चाहिये जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों को यह विश्वास हो सके कि उनके संरक्षण के लिये कार्यवाही की गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने वहां स्थिति सामान्य बनाये रखने में कोई पहल नहीं की है। श्री मिर्धा और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने असाम का दौरा किया है और वहां के विभिन्न लोगों को मिलाकर स्थिति को सामान्य बनाने में सहायता की है। प्रधान मंत्री भी आसाम के प्रतिनिधि मंडलों से बराबर मिलती रही हैं। वह न केवल स्थिति से अवगत रही हैं बल्कि स्थिति सामान्य बनाने के लिये सक्रियता से सहायता करती रही हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में पहल नहीं की है।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

राज्य सरकार आन्दोलन के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित रही है और विधान सभा के संकल्प पर विचार करने सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्णय से ही वास्तव में आन्दोलन समाप्त हो सकी है। राज्य सरकार, निःसंदेह, स्थिति का सामना कर रही है और ऐसी कार्यवाही करने का प्रयास कर रही है जिससे स्थिति सामान्य हो जाये।

आसाम राज्य की समस्या का हल न केवल आसाम के हित में है बल्कि देश के सब राज्यों के हित में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ही आसाम राज्य की समस्या का समाधान किया जाना चाहिये कि वहां की समस्या का जो भी हल निकाला जायेगा उसका अन्य क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा।

इस समस्या का हल परस्पर विचार-विमर्श से किया जाना चाहिये और मैं मुख्य मंत्री को इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि राज्य को केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे पूरी सहायता उपलब्ध की जायेगी।

जहां तक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे का प्रश्न है, सरकार को इस के बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इस अवसर पर उनका दौरा शायद इतना सहायक सिद्ध न हो।

राहत कार्यों का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। अक्तूबर से दिसम्बर तक की अवधि में कुल 2023 मकान जलाये गये, जिसमें से 1932 मकान बंगालियों के थे।

मैंने भी उन स्थानों का दौरा किया था जहां यह मकान जलाये गये थे और कुछ लोगों से बातचीत की थी। वहां का वातावरण अच्छा था और स्थानीय लोग उनको बसाने में सहायता दे रहे थे। वहां अभी भी कुछ शरारती तत्व ऐसे हो सकते हैं जो स्थिति असामान्य बनाये रखना चाहते हों लेकिन अधिकांश लोग स्थिति सामान्य बनाने के लिये सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए 3 और 4 दिसम्बर को यह घोषित किया था कि आसाम सरकार ने पहले से ही असमिया भाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया है। अंग्रेजी भाषा को इस बीच दस वर्ष तक वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा जायेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार आगामी जनवरी से सब उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में असमिया भाषा को अनिवार्य घोषित कर देगी। इसी अलोकतांत्रिक नीति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। अल्पसंख्यक गैर-आसामियों पर भी आसामी भाषा थोपने का प्रयास किया गया है।

सरकार द्वारा लोगों को संरक्षण न देने के समाचार प्राप्त हुए हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है और क्या सरकार अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के सुझाव पर मैं आसाम सरकार से विचार करूंगा। शिक्षा के माध्यम का ही एक ऐसा प्रश्न है जिसके कारण घाटी और कछार में आन्दोलन और प्रत्यान्दोलन हो रहे हैं। समस्या के समाधान के लिये राज्य के मुख्य मंत्री का कछार के नेताओं से विचार-विमर्श करने का विचार है। हमें आशा है कि सद्भावना के साथ इस समस्या का हल ढूंढा जायेगा। यदि इस बारे में मेरे प्रभाव की आवश्यकता होगी तो मैं उसके लिये तैयार हूं।

जहां तक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार का आसाम सरकार से उनको संरक्षण देने के लिये अनुरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है। आसाम सरकार अल्पसंख्यकों को पूरा संरक्षण देने के लिये भरसक प्रयास कर रही है और उसने इस बारे में विभिन्न उपाय किये हैं। अल्पसंख्यक वहां अपने को पूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।

आगामी जनवरी में असामिया को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने के बारे में मैंने मुख्य मंत्री से बातचीत की थी। मुख्य मंत्री ने बताया कि वह कछार स्थित मित्रों से बात करेंगे और उनके दिमाग से आशंकायें दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे विचार से हमने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I was also there in Assam when the hon. Minister visited that State. It is really a pity that even twenty five years after our freedom, English should remain the medium of instruction and not any regional language of the State.

Whenever there have been riots in Assam, the State has always been unsuccessful in maintaining law and order. Not only the State Government but the Central Government should make an inquiry into the recent riots and, if necessary, the assistance of Central Bureau of Investigation should also be taken, so that the causes of failure of administration could be known.

The Assam Government have ordered judicial inquiry in regard to the murder of two students. I request that an enquiry should be made into the whole affair. The first agitation of the students was peaceful. That was against the policy of the Government. Enquiry should be made as to how that agitation shifted into the hands of the anti-social and anti-national elements. We should see that nobody creates trouble in future and I want that an inquiry should be conducted as to how this students agitation went into the hands of anti-social elements.

The language question has not been solved as yet. Peace has not yet been restored in the real sense of the term. The students are not prepared to start their studies. Those who have done so, their experience is not good. The situation is very critical there. I ask why a Central Minister does not go to pacify the people there. It is necessary that a sense of security should come among the students. Silchar Medical College is in a very bad condition. Instead of 500, there are only 102 beds. This indifferent attitude towards Silchar is one of the reasons of all this. Therefore, my suggestion is that a parliamentary committee should go to Assam to pacify the people. The committee should hear the difficulties of the people and try to redress them.

There are no adequate arrangements of rehabilitation. I had been there. The Assam Government is not taking interest in this matter.

It is wrong to say that medium of instruction is the main problem there. I do not want that Assam should be made a bi-lingual State. Assamese will remain the language of Assam. It should be taught in Silchar compulsorily, but the students should have an option regarding the medium of instruction. Unless and until this is done, peace cannot be established. I would like to know the reaction of the hon. Minister about the question of language, because when he went there he must have had a talk on the language issue also. How he wants to solve this problem and what are his plans to restore normalcy.

Shri K. C. Pant: Shri Vajpayee said that Assam Government had not been successful in dealing with the situation there. But further he also said that in such matters State Government is asked to take action. It is correct that in such cases, emotions are aroused. Therefore, it is necessary that people should have some patience so that the anti-social elements may not take advantage of the situation. Because it is a border State, we should remain ever vigilant and should try to solve the problem mutually. More attention should be paid towards Assam.

I quite agree with the view that confidence should be restored among the people, because, in the absence of confidence, no solution can be found out. All student leaders and teachers there told me that they wanted to bring back the Bengali students and take full responsibility for their security. I think in such an atmosphere, they should come back. Every student has a right to study in any college throughout the country.

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या मंत्री महोदय छात्रों से मिले थे ?

श्री कृष्ण चं पंत : जी हां, मैं कुछ छात्रों से मिला था। उन्होंने बताया कि वापिस आने के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, और वातावरण अब भी वैसा ही बना हुआ है। मैं माननीय मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वे भी वहां सामान्य स्थिति बनाने में सहयोग दें इसी ध्येय को लेकर श्री भगत कलकत्ता गये थे। इस कार्य में जनता के प्रतिनिधि अधिक सफल हो सकते है। आसाम सरकार ने इन छात्रों की वापसी के लिए सम्पर्क केन्द्र खोले हैं। राज्य सरकार ने किताबों तथा अन्य हानि के लिए तदर्थ अनुदान देने की घोषणा की है। गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय जनवरी 1973 के दुसरे पक्ष में वार्षिक परीक्षा लेने को राजी हो गये हैं। यदि सदस्य इस दिशा में सहायता करें तो यह काम शीघ्रता से हो जायेगा . . . **(व्यवधान)**

श्री वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने एक कैम्प का दौरा किया जहां पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। मैं इसकी जांच करूंगा।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि भाषा के प्रश्न को टालना नहीं चाहिए तथा इसका कोई न कोई हल अवश्य ढूंढ निकालना होगा। परन्तु यह हल हमें आसाम और कछार के लोगों पर ही छोड़ना होगा क्योंकि वे ही एक दुसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। हां हमारी सहायता उसमें आवश्यक हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि वहां स्थिति अभी सामान्य नहीं है। मैं उनका ध्यान कछार संगठन परिषद जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व है की इस घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि 25 दिसम्बर तक भाषा के प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो संघर्ष को और उग्र रूप ` दिया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि स्थिती अभी सामान्य नहीं है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी छात्रों से अपील की थी और उन्होंने कहा है कि उनके पास एक भी ऐसा छात्र नहीं आया जिसने वापस जाने की इच्छा व्यक्त की हो। इससे पता लगता है कि अभी उनमें विश्वास पैदा नहीं किया जा सका है। . . . **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : चुप रहिए (शट अप) . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप दोनों बाहर लावी में चले जायें। इस प्रकार सभा का वातावरण खराब न करें। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह असंसदीय है अत: वे इसे वापिस ले लें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने इस शब्द को वापिस लेने से इन्कार नहीं किया। मैं इस शब्द को वापिस लेता हूं पर वे सभा से बाहर चले जायें।

श्री समर मुखर्जी : जब कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में आसाम के गृह मंत्री की इस घोषणा से कि आसाम सरकार ने असमिया को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय ले लिया है और इसे एक कानून द्वारा लागू कर दिया जायेगा, और उत्तेजना फैलेगी और स्थिति और खराब होगी।

यह सिद्ध हो गया है कि इन दंगों के पीछे एक योजना थी। केन्द्र सरकार इस में किसी विदेशी एजेन्सी का हाथ बता कर इसकी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकार स्थिति का सामना करने में असफल रही हैं।

अब जबकि दंगों को होते हुए तीन महीने हो गए हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था की कमी की जांच की जा रही है। यह सब क्या है?

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[**Shri K. N. Tiwary** in the chair]

अत: मुख्य बाते यह है कि जब तक शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को हल नहीं किया जाता तब तक आसाम में स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। हम इस बात से पूर्णत: सहमत हैं कि असमिया भाषा प्रशासन और शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, पर यह सरकार की स्वीकृत नीति है कि सबको माध्यमिक स्तर तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है। यह अधिकार कालेज और विश्वविद्यालय स्तर तक भी दिया जाना चाहिए। अत: जब तक इस समस्या का समाधान जनतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर नहीं किया जाता तब तक आसाम में स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। कछार को अलग राज्य बनाने की मांग होने लगी है। आंध्र में तेलंगना का अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। इस प्रकार की मांगे कांग्रेस की गलत नीति के कारण उठ रही हैं। इससे सरकार का दीवालीयापन प्रकट होता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** in the chair]

हम चाहते है कि इस सब मामले की गैर-सरकारी जांच की जानी चाहिए। इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का तुरन्त भेजा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

स्थिति बड़ी ही नाजुक है। अत: सरकार को शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए क्यों कि जनवरी से असमिया को एक तरफा तौर पर शिक्षा का माध्यम बना दिया जायेगा।

आशा है मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अन्य सदस्यों ने भी ये प्रश्न उठाए हैं और जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी, वह मैंने दी है।

कछार के आन्दोलन के संबंध में, मैं वहां संग्राम परिषद, के बारे में एसोसीयेशन, छात्रों तथा विभिन्न वर्गों के अन्य लोगों से मिला तथा उन्हें सलाह दी थी कि वे अपना आन्दोलन बन्द कर दें क्योंकि इस से उच्च शिक्षा के लिये शिक्षा के माध्यम की समस्या हल नहीं हो सकती बल्कि इसके लिये शांति तथा सौहार्द के वातावरण की आवश्यकता है। मैंने उन्हें इस बारे में आसाम के मुख्य मंत्री से बात-चीत करने की सलाह दी परन्तु उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि वे बात नहीं करेंगे। परन्तु जब मैं मुख्य मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि "मैं बातचीत करने पर कैसे आपत्ति कर सकता हूं? मैं उन्हें ज़रूर मिलूंगा तथा बात-चीत करूंगा।" उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों ने उनके वक्तव्य को गलत ढंग से प्रकाशित किया। उनके खन्डन में मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे एक अन्य प्रेस वक्तव्य दिखाया था।

[श्री कृष्ण चंद्र पंत]

माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार अपने दायित्व से बच रही है। परन्तु केन्द्र के कई मंत्री वहां गये हैं तथा हमने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता भी उन्हें दी है। माननीय सदस्य ने यह सब भी ग़लत और आश्चर्यजनक बात कही है कि वहां के उपद्रवों में केन्द्र का हाथ है। मैं इस वक्तव्य का दृढ़ता से खण्डन करता हूं। ऐसे वक्तव्यों का अर्थ लोगों को भड़काना होता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. Minister has not said anything about the Parliamentary Delegation which can help in bringing about peace in that area.

श्री समर गुह : सारी सभा की यह मांग है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री यहां बैठी है। वह आसाम में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के बारे में वक्तव्य दे। हम काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

सभा की कार्यवाही के बारे में

RE: PROCEEDINGS OF THE HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको दो चीजों के बारे में लिखा है। क्या मैं उन्हें पढ़ूं? मेरा उद्देश्य श्री राजबहादुर के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह बात सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी गई है और अब यही उत्तम होगा कि माननीय सदस्य भविष्य में एसा कुछ न करें जिससे मंत्री महोदय के हृदय को ठेस पहुंचे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है श्रीमन। परन्तु एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है जो कि सभा के इस सत्र में पेश किये गये चार प्रस्तावों के बारे में है। पहला तो यह कि श्री राजबहादुर ने कहा है कि मैंने चार प्रस्ताव रखे हैं क्या दूसरा उनके द्वारा सभा के कार्यवाही सारांश में फट-बदल करने संबंधी है। यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का मामला है और मैं इसे यहां उठाने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिकार्ड देखा है तथा टेप-रिकार्डिंग भी मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई सदस्य एक मात्र बोल पड़ते हैं तथा उस गड़बड़ में रिपोर्टर कुछ ग़लत लिख जाते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। इसके लिये हम वक्ताओं को अपने भाषण में यथोचित शुद्धि करने को कहते हैं। इसी संदर्भ में परिवर्तन हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात को यहि समाप्त कर दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके स्पष्टीकरण के पश्चात् तथा अनुरोध पर मैं इस मामले को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) श्री एस. एन. मिश्र के विरुद्ध मेरा भी विशेषाधिकार का प्रश्न है .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्राप्त हो गया है। मैं श्री मिश्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपका विषय बालयोगी संबंधी है न ?

श्री एस० एम० बनर्जी : जी हां। परन्तु शायद माननीय सदस्य सभा में न आये (**व्यवधान**) मेरे पास डाक पत्र हैं जो कि श्रीमति इन्दिरा गांधी को लिखा गया है क्या उसमें मेरे नेता श्री इंद्रजीत गुप्त की आलोचना की गई है। इस पत्र की कापियां भी वितरित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनो से अपने कक्ष में बात करूंगा। इसी प्रकार की एक ग़लती अनुवाद में हुई है जिसका उल्लेख श्री कछवाय ने किया है। ग़लती से यह समझ लिया गया कि **निवेश भी** एक अन्य **विधेयक** है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह अनुवाद की ग़लती नहीं है। यह एक पत्र है .... (**व्यवधान**) क्या मैं यह समजू कि मेरा प्रस्ताव गृहीत नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण देकर की इसे अस्वीकार करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे वह बात यहां कहने दीजिये जो श्री सम्भूनाथ मिश्र ने इस पत्र में लिखा है .... **

श्री के० एस० चावडा : मेरे द्वारा 18 दिसम्बर को आप के नाम पत्र के उत्तर में विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री ने कहा है कि प्रधान मंत्री सचिवालय या विदेश व्यापार मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु यह उस पत्र की मूल प्रतिलिपि है ...

अध्यक्ष महोदय : उसे आप मेरे पास भेज दीजिये।

श्री के० एन० तिवारी : श्रीमन्, क्या यह उचित है ? मैं भी बनर्जी के शब्दों के बारे में कह रहा था .... **

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। आप ऐसा नहीं बोल सकते।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप मुझे सारा पत्र पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं देते। मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा मत कीजिये।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the chair.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन, आप इस संबंध में हमारा मार्ग-दर्शन करें कि क्या कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध झूठी बातें लिख कर सब तरफ बाटता फिरे और इसका कोई हल न हो ? आप कह दीजिये कि इसका कोई इलाज नहीं है । हम ऐसे लोगों से कहीं बाहर जाकर निपट सकते हैं .... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हम भी उनसे निपटना जानते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये लोग बालयोगी से मस्त हैं **

श्री एस० एम० बनर्जी : **

Shri Ramavatar Shastri : I demand a statement from the Railway Minister on the non-cooperation movement launched by 30,000 Station Masters and Assistant Station Masters since 16th December. They have ten-point demands but the representatives of A.I.C.C. are terrorising them and creating obstacles in their agitation. Let the Government explain their stand in this regard and propose some remedy.

श्री समर गुह : वह शब्द ** वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं ** शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : . . . *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, अत : यह रिकार्ड में नहीं जायगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मरमागोआ पत्तन न्यास का वर्ष 1970-71 का वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मरमागोआ पत्तन न्यास के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4104/72**]

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत निकाल दिया गया ।

Not recorded.

Expunged as ordered by the chair.

कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से कोयला खान तथा श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1970–71 के सम्बन्ध में कार्य-कलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4105/72]**

हिंदूस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड रांची के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणीयां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4106/72]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4107/72]

याचिका समिती
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही—सारांश

श्री ए० पी० शर्मा : (बक्सर) : मैं याचका समिति की 12वीं से 21वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभापटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(1) कि राज्य सभा 19 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में 14 दिसम्बर, 1972 को लोक सभा द्वारा पास किये गये परिसीमन विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(2) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972, पास कर दिया है।

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक
CAPITAL OF PUNJAB (DEVELOPMENT AND REGULATION) (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972 सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिती
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

55 वां प्रतिवेदन

श्री लेझियान (कुम्बकोणम) : मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 9 वें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिती

COMMITTEE ON PETITIONS

सातवां प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बेठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति संबंधी समिती

COMMITTEE ON THE ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

आठवां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की वैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कम्पाला स्थित भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव के निष्कासन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: EXPULSION OF THE FIRST SECRETARY OF THE INDIAN HIGH COMMISSION IN KAMPALA

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : उगांडा के साथ हमारे संबंधों पर कुप्रभाव डालने वाली सिर्फ दो दिन पहले की एक और घटना के विषय में जानकर सदन को व्याकुलता होगी।

हमें यह सूचना मिली है कि कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन में प्रथम सचिव, श्री एन० एन० देसाई को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। मंगलवार, 19 दिसम्बर को सवेरे 8.30 बजे उगांडा के रक्षा मंत्री ने उन्हें बुलाया था। हमारे हाई कमिशन ने यह निवेदन किया था कि इस भेंट में उन्हें भी उपस्थित रहने दिया जाये लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इस भेंट में श्री देसाई को एक पत्र दिखाया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर थे और जो उन्होंने स्थानीय नैशनल ट्रांसपोर्ट कम्पनी को लिखा था। इसमें उन्होंने हाई कमीशन की ओर से कतिपय ऐसी कारों की मिल्कियत के विषय में जानकारी मांगी थी जो निष्कासित एशियाइयों की थीं। उनका अभिप्राय इस बात का निश्चय करना था कि क्या इन कारों के मालिक भारतीय राष्ट्रिक थे। उगांडा के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में ट्रांसपोर्ट को पत्र लिखकर श्री देसाई ने अनुचित तरीका अपनाया है, जो कि उनके राजनयिक कार्य-कलापों के अनुरूप नहीं है। श्री देसाई की यह दलील एक दम अस्वीकार कर दी गई कि यह एक सामान्य कोंसली पूछ-ताछ की बात थी। उगांडा के रक्षा मंत्री ने तब उनसे यह कहा कि इन अनुचित गतिविधियों को देखते हुए वे 48 घंटे के अन्दर-अन्दर उगांडा छोड़ दें।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि निष्कासित व्यक्तियों की बहुत-सी कारों को नैशनल ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा उगांडा से बाहर ले जाया गया था और ये कारें मोम्बासा तक पहुंच गई थीं। वहां पहुंचने पर उगांडा सरकार ने उन्हें वापस लेने का यह कहते हुए आदेश दिया कि यह कारें गलती से बाहर भेज दी गई हैं। इस बारे में पूछ-ताछ करके ख़ास तौर से

9—19 LSS/72

[श्री० सुरेंद्रपाल सिंह]

भारतीय राष्ट्रिकों से संबद्ध मामलों में, हमारा हाई कमीशन स्पष्टत: भारतीय राष्ट्रिकों के हितों और उनकी शेष आस्तियों की रक्षा के वैध दायित्वों को पूरा कर रहा था। हमारे हाई कमीशन ने वस्तुत: इसी तरह का एक नोट इससे पूर्व उगांडा के विदेश कार्यालय को भी भेजा था।

हमारे हाई कमिशनर ने उगांडा के विदेश कार्यालय से सख्त विरोध प्रकट किया है और विदेश मंत्री से इन्टरव्यू मांगा है। दिल्ली में भी उगांडा के कार्यवाहक हाई कमिशन से इसी तरह का विरोध प्रकट किया गया है, और कल तक उन्होंने यह कहा था कि इस मामले में उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

कल उगांडा के विदेश कार्यालय से हमारे हाई कमीशन को एक नोट मिला था जिसमें यह बात दुहरायी गई थी कि श्री देसाई आज सुबह 9 बजे से पूर्व उगांडा छोड़ दें। श्री देसाई कल ही वहां से रवाना हो गए थे।

सदन यह जानता है कि उगांडा में पिछले कुछ महीनों में जो उत्तेजनात्मक घटनाएं हुई हैं उनके विषय में सरकार ने बहुत ही समय से काम लिया है। अब इस स्थिति में मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हमने इस मामले को उठाया हुआ है और हमारे हित में जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह हम करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It is very strange that they have expelled our First Secretary and we are unable to take any reciprocal action.

अध्यक्ष महोदय : यह अभी हाल की घटना है अत: मेरे विचार से हमें सरकार से कुछ समय बाद पूछना चाहिये।

कार्य मंत्रणा समिती
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

22 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन से जो 20 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत हैं।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे इस पर कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप काय मंत्रणा समिति की बैठक में भी उपस्थित रहते हैं। यहां पर उसका विरोध उचित नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन से, जो 20 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यों की जांच करने के लिए हरियाना के मुख्य सचिव द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लिखा गया पत्र

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं जिस का कुछ संवैधानिक महत्व है और जिसका संबंध नियन्त्रक महालेखा परिक्षक के कार्यालय के गौरव और निष्पक्षता से है। हरियाणा सरकार ने उत्तर कार्यालय को एक ऐसे कार्य में फंसाने का प्रयास किया है, जो उनका कार्य नहीं है। हरियाणा के मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। उन आरोपों के संदर्भ में हरियाणा के मुख्य सचिव ने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को पत्र लिख कर यह अनुरोध किया है कि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की गई कुछ खरीदों के संदर्भ में उसकी विशेष लेखा परीक्षा की जाए। इस संबंध में हरियाणा के सतर्कता विभाग ने जांच की और आरोपों को निराधार पाया। मेरा आरोप है कि सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट पर मोहर लगवाने के विचार से यह अनुरोध किया गया है।

संविधान में महालेखा परीक्षक शक्तियों और कृत्यों की परिभाषा की गई है, यह शक्तियां अत्यन्त सीमित हैं। महालेखा परीक्षक द्वारा इस प्रकार की जांच का कार्य गवर्नर अथवा राष्ट्रपति के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। इस पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि यह मांग गवर्नर के अनुरोध पर है।

24 फरवरी 1972 के ज्ञापन में महालेखाकार के कार्यालय में नियुक्ति के बारे में एक आरोप है। इस स्थिति में इस प्रकार की जांच का कार्य उक्त कार्यालय को कैसे सौंपा जा सकता है?

इन परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि यह विशेष लेखापरीक्षा का कार्य उत्तर कार्यालय को नहीं सौंपा जाए। इसका उद्देश्य उक्त कार्यालय से दोष-मुक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना मात्र है। अतः यह राजनैतिक चाल है। उक्त कार्यालय के गौरव और निष्पक्षता को देखते हुए इस प्रक्रीया की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : राज्य सरकार ने विशेष आरोपों की जांच के संबंध में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सहायता की मांग की है और इस पर निर्णय लेना उक्त कार्यालय का अपना कार्य है। इस विशेष अनुरोध को देखते हुए, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने कुछ शर्तों पर विशेष लेखा परीक्षा करना स्वीकार कर लिया है। इनमें से एक शर्त यह है कि महालेखाकार की हैसियत का एक विशेष अधिकारी केवल विद्युत बोर्ड से संबंधित आरोपों के संदर्भ में विशेष लेखा परीक्षा करेगा और अन्य आरोपों के संबंध में कोई विशेष लेखा परीक्षा नहीं की जायेगी। (**व्यवधान**)। इसमें कोई गलत प्रक्रिया नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परंतु नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की संवैधानिक शक्तियां अथवा कानूनी स्थिति तो इससे भिन्न है। इस कार्यालय को विवाद का विषय बनाया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भ्रष्ट व्यक्तियों को बचाया जा रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसका उद्देश्य हरियाना के भ्रष्ट मुख्य मंत्री को बचाना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस विवाद से अलग रखा जाना चाहिये।

मुल्की नियम विधेयक

MULKI RULES BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मुल्की नियमों में, इस दृष्टि से कतिपय संशोधन करने के लिये, कि उनका प्रवर्तन सीमित किया जा सके, कतिपय नियुक्तियों का विधिमान्यकरण करने के लिये और उक्त नियमों का क्रमबद्ध रीति से निरसन करने के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

माननीय सदस्यों को इस विधेयक की पुरास्थापन की परिस्थितियों की जानकारी है। इस सदन को मुल्की नियमों पर विचार करने का पहले भी अवसर मिल चुका है। प्रधान मंत्री ने भी इस संबंध में 27 नवम्बर, 1972 को सदन के सन्मुख एक वक्तव्य दिया था।

यह विधेयक बहुत ही छोटा विधेयक हैं। इसमें सात खंड हैं तथा दो अनुसूचियां हैं। इसके उपबन्धों के तीन मुख्य भाग हैं। प्रारंभिक भाग में विधेयक का संक्षिप्त नाम तथा व्याख्या खंड है। दूसरा भाग अतीत के संबंध में है और उसमें खण्ड तीन तथा चार हैं। विधेयक का तीसरा भाग भविष्य के संबंध में है और इसमें खण्ड पांच छः तथा सात और अनुसूचियां हैं।

खंड तीन तथा चार के द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन और प्रस्तावित विधेयक की अवधि के बीच के समय के लिए मुल्की नियमों का संशोधन करना और इस अवधि के दौरान इन नियमों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियों को विधिमान्य किया जाना प्रस्तावित है। लोक नियोजन (निवास संबंधी आवश्यकता) अधिनियम, 1957 के लागू होने से लेकर उच्चतम न्यायालय के 24 मार्च, 1969 के निर्णय से उस अधिनियम की धारा 3 को अवैध घोषित किये जाने तक यह समझा जाता था कि धारा 2 द्वारा मुल्की नियमों का निरसन किया गया है और निवास की आवश्यकता के संबंध में केवल वही विधि लागू होती है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उपबंधित की गई है। ए० वी० एस० नरसिम्हाराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से लेकर उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय तक यह समझा जाता रहा कि मुल्की नियम पवर्तन में नहीं। मैं इन तथ्यों पर इस कारण बल दे रहा हूं ताकि अतीत में की गई उन नियुक्तियों के संबंध में, जो कि इस आधार पर की गई थीं कि मुल्की नियम प्रवर्तन में नहीं हैं, उपबन्ध किये जाये ।

खंड 3 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से लेकर प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने तक की अवधि के दौरान जिन नियुक्तियों के विषय में तेंलंगाना में निवास संबंधी आवश्यकता लोक नियोजन (निवास संबंधी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत निर्धारित थी केवल उनके लिए मुल्की नियमों को प्रवर्तन में लाने की व्यवस्था की गई है।

खंड 4 में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से लेकर प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने तक की अवधि के लिए मुल्की नियमों में संशोधन किया गया है ताकि उन नियुक्तियों के बारे में उनके लागू होने के लिए निदेशक बनाया जा सके जिनमें लोक नियोजन (निवास संबंधी आवश्यकता) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निवास की आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता इस कारण थी कि निवास संबंधी आवश्यकता के पूरा किए बिना की गई नियुक्तियों को विधिमान्य बनाया जा सके।

खंड 5, 6 तथा 7 भविष्य से संबंधित हैं। खंड 5 के अन्तर्गत मुल्की नियमों का उन नियुक्तियों के संबंध में निरसन है जो नियुक्तियां उन नियुक्तियों से भिन्न हैं जिनमें सरकार के निर्णयों के अनुसार निवास संबंधी अपेक्षा जारी रखी जानी है। इस प्रकार के पद अनुसूची एक तथा अनुसूची दो में उल्लीखित हैं। इस प्रकार खंड 5 के परिणामस्वरूप मुल्की नियम केवल अनसूचियों में उल्लिखित नियुक्तियों के संबंध में ही जारी रहेंगे।

विधेयक का खंड 6 उन पदों के संबंध में मुल्की नियमों का निरसन करता है जो पद अनुसूचियों में उल्लिखित हैं और जो राजधानी क्षेत्र अर्थात हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में स्थित हैं। यह निरसन 31 दिसम्बर 1977 के बाद से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 7 अनुसूचियों में उल्लिखित उन पदों के संबंध में मुल्की नियमों का निरसन करता है जो पद तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं। यह निरसन 31 दिसम्बर, 1980 के बाद से प्रभावी होगा। इस प्रकार खंड 5, 6 तथा 7 के विश्लेषण से पता चलेगा कि इनके द्वारा मुल्की नियमों का उस अंश तक निरसन किया जायेगा कि उक्त निरसन के पश्चात् शेष अंश उन पदों के संबंध में होगा जिन पदों के लिए आवास की आवश्यकता की अपेक्षा है।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नही करता। विधेयक में मुल्की नियमों के अन्तर्गत निवास संबंधी आवश्यकताओं के जो अनुच्छेद 3.5(ख) के अधीन जारी रही है, प्रवर्त्तन को सीमित करने और चरणबद्ध ढंग से नियमों के निरसन की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मुल्की नियमों में, इस दृष्टि से कतिपय संशोधन करने के लिये, कि उनका प्रवर्तन सीमित किया जा सके, कतिपय नियुक्तियों का विधिमान्यकरण करने के लियें और उक्त नियमों का क्रमबद्ध रीति से निरसन करने के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों के लियें उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : इस विधेयक के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक के अनुबन्ध के रूप में हैदाराबाद सिविल सेवा विनियमों का उद्धरण संलग्न है। मुल्की नियमों को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रथम नवम्बर 1956 के प्रश्चात् स्वीकार किया था। इस विधेयक के अनुबन्ध के रुप में मुल्की नियम संलग्न किये जाने चाहिये थें न कि वर्तमान अनुबन्ध।

दूसरी बात यह है कि जो मुल्की नियम हमें परिचालित किए गए हैं वह अपूर्ण प्रतित होते है। इसके खंड 2(घ) (ii) में हैदराबाद नगर पुलिस अधिनियम का उल्लेख है अतः उनकी प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऊक्त अधिनियम की प्रति ग्रंथालय में रख दी गई है।

श्री जे० रामेश्वर राव : यह स्वतन्त्रता पूर्व का अधिनियम है अतः इसकी प्रति संलग्न की जा सकती थी। अतः मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने हैदराबाद नगर पुलिस अधिनियम के सम्बद्ध उद्धरण ग्रंथालय में रख दिये है। वास्तव में अनुबन्ध विधेयक का भाग नहीं है। यह तो केवल मात्र सदस्यों के मार्गदर्शन और सुविधा के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अनुबन्ध विधेयक का भाग नहीं है और ये केवल सदस्यों के हवाले के लिए है। ग्रंथालय में सम्बद्ध उद्धरण रखे गये है। अतः मैं इस सम्बद्ध में कोई अनियमितता नहीं समझता ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मैं प्रक्रिया के संबंध में आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। कुछ सदस्यों ने जनमत जानने के उद्देश्य से विधेयक को परिचालित करने के संशोधन दे रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को प्राथमिकता देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक स्वीकृत प्रक्रिया है कि विचार करने के प्रस्ताव के पश्चात् प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपने भाषण में संशोधन और विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है वह सामान्य प्रक्रिया से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणतया, विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने संबंधी संशोधन प्रस्तुत करते समय यदि सदस्य चाहे तो प्रारंभिक अवस्था पर भी कुछ विचार प्रकट कर सकता है। यदि इस प्रकार की अनुमति दी जाये तो उससे चर्चा में सहायता मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रथा नहीं है।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मैंने विधेयक को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करने के प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप उसे प्रस्तुत करेंगे। वैसे हम अभी उस अवस्था तक नहीं आये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हमारी पार्टी ने इस विषय पर बहस का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। विधेयक पेश किये जाने के समय से ही हम इसका विरोध करते रहे हैं। इससे समस्या हल होने के बजाय समस्या और उग्र होगी। आन्ध्र प्रदेश में कोई भी तत्व इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। अध्यक्ष पीठ ने महा न्यायवादी की सलाह के लाभ से भी हमें वंचित रखा है, इसलिए इस विधेयक की वैधता और संवैधानिकता पर विचार करने में हम मुश्किल में हैं, अतः हमारी पार्टी इस विधेयक पर बहस का बहिष्कार करती हैं।

[**तत्पश्चात् श्री श्यामनन्दन मिश्र और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए**
SHRI SHYAMNADAN MISHRA AND SOME OTHER MEMBERS *then left the House*]

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरी पार्टी इस विधेयक पर बहस का बहिष्कार करती है, क्योंकि सरकार जानबूझ कर आन्ध्र प्रदेश और तेलंगानां की जनता के खून से हाथ धोना चाहती है। सरकार हमारे विरोध की कोई परवाह नहीं करती, इसलिए मेरी पार्टी इस बहस का बहिष्कार करती है।

[**तत्पश्चात् श्री पीलू मोदी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए**
SHRI PILOO MODY AND SOME OTHER MEMBERS *then left the House*]

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मैं अपना संशोधन सं० 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं अपना संशोधन सं० 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापूर) : मैं अपना संशोधन सं० 2 प्रस्तुत करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : मैं अपना संशोधन सं० 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैं अपना संशोधन सं० 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैं श्री सुन्दरय्या के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोल रहा हूँ। सरकार इस विधेयक के द्वारा 50 वर्षों से चली आ रही सामन्तवादी प्रवृत्तियों को पुनरुज्जीवित कर रही है। इससे भारत की एकता में कोई योगदान नहीं मिलता। सरकार अपने प्रचण्ड बहुमत का प्रयोग करके इस सदन पर यह विधेयक थोपना चाहती है।

यह खेद की बात है कि काँग्रेस पार्टी आन्ध्र प्रदेश की अखण्डता को बनाये रखने के बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करने की इच्छुक है। पाँच सूत्री फार्मूला लागू करने से आन्ध्र प्रदेश के विरोधी पक्षों को संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस फार्मूले के लागू करने से आन्ध्र प्रदेश के पिछड़ेपन अथवा वहाँ बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती। (**व्यवधान**) आन्ध्र प्रदेश के लोगों की महत्वाकांक्षाओं और अखण्डता को धक्का पहुंचा है। राज्य सरकार भी दो विरोधी गुटों में बंटी हुई है और समस्या का समाधान गलियों में कर रही है। यह और भी आश्चर्य जनक है कि काँग्रेस पार्टी यह कह रही है कि यह पाँच सूत्री फार्मूला आन्ध्र प्रदेश की सभी समस्याओं का समाधान है।

इस विधेयक द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है। इस विधेयक द्वारा वर्तमान क्षेत्रीय समिति की प्रतिद्वन्द्विता में एक और क्षेत्रीय समिति की स्थापना की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि दो क्षेत्रीय समितियों से आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाये रखने में किस प्रकार सहायता मिलेगी। निजाम हैदराबाद के ये मुल्की नियम आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मतभेदों को दष्टि में रखते हुए जारी किये थे। वह आन्ध्र प्रदेश के लोगों का अन्य राज्यों को निष्क्रमण रोकना चाहते थे। अब काँग्रेस पार्टी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन नियमों को पुनरुज्जीवित किया है।

इस विधेयक में हैदराबाद के बारे में अपवाद रखा गया है। इससे राज्य की जनता के कल्याण में कोई सहायता नहीं मिलती। यह सभी को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश में अधिक उद्योगों की स्थापना करने और बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए।

अगर सरकार आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाने के लिए वस्तुतः उत्सुक है, तो उसे 2 : 1 का फार्मूला क्रियान्वित करना चाहिए।

इस समय राज्य सरकार श्री पी० वी० नरसिंह राव और श्री बी० वी० सुब्बा रेड्डी के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों में बँटी हुई है और यही दोनों गुट दंगों के लिए उत्तरदायी हैं। ये गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग राज्य बनाना चाहते हैं। (**व्यवधान**) काँग्रेस सरकार को भी जनता उसी प्रकार दण्ड देगी जिस प्रकार उसने निजाम को दण्ड दिया था। यह पाँच सूत्री फार्मूला बन्दर न्याय की तरह है। यह केवल सत्ता बनाये रखने के लिए है।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

श्री के० रघुरामैया (गुन्टूर) : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री रेड्डी ने विधेयक की आलोचना करते हुए मुल्की समस्या के समाधान हेतु एक वैकल्पिक उपाय सुझाया है कि आन्ध्र और तेलंगाना के बीच नौकरियों का 2:1 के अनुपात में विभाजन किया जाय। क्या मुल्की नियमों के बारे में यह आधुनिक विचारधारा है? विधेयक के अनुसार हैदराबाद शहर में मुल्की नियम 1977 तक ही लागू रहेंगे और शेष तेलंगाना में ये 1980 तक ही लागू रहेंगे। परन्तु श्री रेड्डी चाहते हैं कि एक तिहाई पदों को सदैव के लिए स्थायी तौर पर सुरक्षित कर दिया जाय। मुझ इस बात का भी पता है कि तेलंगाना के कुछ सदस्य स्थायी आधारपर मुल्की नियमों को लागू कराना चाहते हैं।

श्री एस० बी० गिरी (वारंगल) : हम स्थायी आधार पर मुल्की नियम नहीं चाहते। हम अलग तेलंगना राज्य चाहते हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री के० रघुरामैया : मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करना मेरा नैतिक दायित्व है। प्रधान मंत्री ने आन्ध्र और तेलंगना के नेताओं पर यह छोड़ दिया था कि वे आपस में विचार विमर्श करके समझौता कर लें। हम चाहते थे कि राजधानी शहर हैदराबाद में मुल्की नियम 1974 तक समाप्त हो जाना चाहिएं और शेष क्षेत्र में कुछ अधिक समय के लिए लागू रह सकते हैं। परन्तु हम आपस में समझौता करने में असफल रहे। हमने प्रधान मंत्री से न्यायनिर्णय करने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने जो निर्णय दिया उसे मानने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए हम नैतिक रूप से वचनबद्ध हैं।

हमें अपनी बात जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से रखनी चाहिएं। मुल्की नियम गलत हैं, परन्तु उनकी शुरूआत किसने की? श्री लात्चन्ना 1956 के समझौते के समर्थक थे, जिसमें ये सब बातें थीं। अब तक इसकी निन्दा क्यों नहीं की गई? मैं तो शुरू से ही यह कहता रहा हूँ कि इस प्रकार का आरक्षण गलत था। अब इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि इस आरक्षण की समाप्ति के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाय।

मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां अभी हाल में हुए गोलीकांड में 30 निर्दोष व्यक्ति मारे गए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वहां लोग उत्तेजित हो रहे हैं। इस विधेयक को जनता स्वीकार कर ले, ऐसा वातावरण बनाने के लिये इसमें कुछ और किया जाना है।

यह आन्दोलन न केवल ग्रामीणों तक ही फैला है अपितु आंध्र के बुद्धिजीवी वर्गों यथा वकीलों, डाक्टरों, इंजिनियरों, छात्रों और राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों तक फैल गया है। यह क्यों फैला है इस बात पर तेलंगना के मेरे मित्र विचार करें। जो लोग पहले तेलंगना की एकता चाहते थे। आज वे विभाजन चाहते है और जो विभाजन चाहते थे वे एकता। परंतू मैं सदा स एकता के लिये प्रयास करता रहा हूं। मैंने विशाल आंध्र के लिए लडाई लड़ी।

आंध्र मे इस आंदोलन का कारण क्या है? वे महसूस करते है कि अपनी ही राजधानी में वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। आन्ध्र का कोई भी व्यक्ति जो हैदराबाद में रह रहा है उसके पुत्र को हैदराबाद के अतिरिक्त बाहर कहीं भी कालेज में प्रवेश या नौकरी मिल सकती है परन्तु राजधानी में नहीं। ये कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं। तेलंगाना जिलों में आंध्र के लोगों का लगभग सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है।

वहां राज्य के भीतर राज्य के कुछ चिह्न शष हैं । यद्यपि इसके कुछ ऐतिहासिक कारण है तथापि मैं इसमें पुनः नहीं पड़ना चाहता हूं । वहां एक अलग क्षेत्रीय परिषद है । अलग बजट होता है । तकनीकी रुप से उसे अलग बजट नहीं कहा जा सकता । ऐसी और भी कई बातें है । इस समय मुख्य मंत्री तेलंगना क्षेत्र में हैं । मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वह अपने कार्यकाल में ही राज्य के भीतर राज्य के अवशेषों को समाप्त करने में हमारी सहायता करे तथा यह सुनिश्चित करें कि अन्य राज्यों की तरह वहां भी एक ही बजट हो ।

क्षेत्रीय परिषद का चाहे कुछ भी मूल राह हो परन्तु उन्होंने बड़ी भारी भूल की है । हैदराबाद में कई विध।यकों ने एक "फोरम" बना रखा है परन्तू आंध्र के विधायकों का ऐसा कोई फोरम नहीं है । वैसे तो यह मामूली बात है परन्तु यह मनोवैज्ञानिक मामला है । विधेयक पर अलग से अभ्यावेदन देने के लिये आंध्र के विधायकों का कोई फोरम नहीं है ।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह एक पहलू को समझे । आन्ध्र में आज यह आन्दोलन इसलिये सर्वत्र फैल गया है कि वहां के लोगों की वैध शिकायते हैं और वे चाहते हैं कि एक ही राज्य रहे । यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है ।

एकता के मार्ग में कई अन्य बाधाएं हैं उन्हें भी शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए । हम 16 वर्षों से प्रतीक्षा करते रहे हैं । अब समय आ गया है कि इन बाधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया जाये । 1977 में हैदराबाद में मुल्की नियम समाप्त हो जायेंगे तथा 1980 में सभी स्थानों में समाप्त हो जायेंगे । हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार उस अवधि में अलग बजट और अलग क्षेत्रीय परिषद जैसे शेष चिह्नों को भी समाप्त कर देगी ।

चाहे अलग बजट कहिए अथवा अलग लेखा परन्तु कुछ विरोधी बातें हैं जिन्हें आन्ध्र का नागरिक कब तक सहन करेगा ?

हैदराबाद नगर की कुल आय 36 करोड़ रुपये होती है जो तेलंगना बजट में जाती है । यह आय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा अन्य माध्यमों से होती है । हैदराबाद में रहनेवाले आन्ध्र के लोग म्युनिसिपल कर भी देते हैं जो वहां लाखों की संख्या में हैं । उस आय को भी हैदराबाद नगर की आय बना लिया जाता है ।

यदि हैदराबाद नगर पर 36 करोड़ रुपये व्यय होता है, तो आन्ध्र के लोगो को 24 करोड़ रुपये खर्च वहन करना पड़ता है । राजधानी में 2:1 के अनुपात में खर्च होता है । मेरे मित्र कहते है कि इस राशि में से वे स्कूल और कालेज चलाते हैं परन्तु आन्ध्र के लड़कों को वहां प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि व्यय तेलंगना बजट से किया जाता है ।

अतः सरकार राजधानी में रहने वाले आन्ध्र के लोगों की इस दशा को समझ सकती है ।

मैं समझता हूं कि आन्ध्र का प्रत्येक व्यक्ति तथा आन्ध्र प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इसके लिये उत्तरदायी है और इस सभी का यह संयुक्त प्रया होना चाहिए कि हम मतभेद समाप्त क और भातृत्व की भावना लायें ।

इस घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए । मुझे आशा है की आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री इस दुःखद घटनाओं की जांच करने के लिये एक उच्च न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे ।

*श्री वाई० ईश्वर रेड्डी (कडप्पा) : यद्यपि यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है तथापि इसका स्वागत है। यदि इस विधेयक में उचित ढंग से संशोधन किया गया होता तो यह कहीं अधिक अच्छा होता। यह विधेयक आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाये रखने में सहायक होगा, यदि चर्चा के दौरान कुछ और संतोषजनक स्पष्टीकरण दिये जायें।

तेलंगाना में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं। अतः उन क्षेत्रों को आवश्यक संरक्षण और रियायत देना नितांत आवश्यक है। संरक्षण एकता की पद्धति है अतः राष्ट्रीय एकता के हित में सभी पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देना आवश्यक हो गया है। मैं मुल्की नियमोंका भी विरोध करता हूं। वे मध्य-युगीन और पुराने हैं। यद्यपि मुल्की नियमों को आन्ध्र-प्रदेश के बनने के समय किसी ने स्वीकार नहीं किया तथापि तेलंगना क्षेत्र को, इसके पिछड़ेपन के कारण, आन्ध्र के नेताओं ने आवश्यक रियायतें और संरक्षण दिये थे।

आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े 2½ महीनों में बहुत से उपद्रव, हड़तालें, जुलूम आदि हुए हैं। वहां गोलीकांड के परिणामस्वरुप निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए। आन्ध्र प्रदेश की जनता द्वारा इन उपद्रवों की जांच के लिये बार-बार मांग गिये जाने पर भी आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मूझे आशा है कि वहां न्यायिक जांच के लिये आदेश दिया जायेगा।

इसका सारा दोष कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार का है। जब उपद्रव हो रहे थे तो आन्ध्र प्रदेश सरकार विभाजित थी। मंत्रिमंडल भी क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजित था।

बड़े अफसोस की बात है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर बिना पहले से सोचे, कि इसकी क्या-क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, मुख्य मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दे दिया। वहां जमीदारों, साम्प्रदायिकता वादियों तथा निहित स्वार्थो ने स्थिति पर अधिकार कर लिया और लोगों में असंतोष बढ़ता गया। इससे एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के प्रति विरोध की भावना पैदा हुई है।

इन परिस्थितियों पर आन्ध्र कांग्रेस के संसद सदस्यों ने भी केन्द्रीय सरकार की सहायता नहीं की। 1971 से अब तक के बीच यह अन्तर है कि इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी में एकता थी परन्तु अब नहीं है।

इस समूची समस्या का मूल कारण गंभीर बेरोजगारी है। शिक्षित व्यक्तियों के लिये भी बहुत थोड़े अवसर हैं। वहां प्रतिव्यक्ति आय भी बहुत कम है। वहां लोगों में अधिक भय और निराशा उत्पन्न करने के लिये इन मुल्की नियमों का लाभ उठाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में अत्यधिक बेरोजगारी वहां उद्योगों और परियोजनाओं की कमी तथा पिछड़ेपन के कारण है। वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न करके बरोजगारी को दूर किया जा सकता है न कि मुल्की नियमों से आन्ध्र प्रदेश की समस्या हल होगी।

आन्ध्र प्रदेश में एक और प्रश्न उठाया गया है और वह है प्रथम श्रेणी के नागरिक और द्वितीय श्रेणी के नागरिक। तेलंगना के लोगों की राय है कि वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं क्योंकि आंन्ध्र विधान-सभा में आन्ध्र प्रदेश हावी है और वहां 2 : 1 अनुपात है। इसी प्रकार आन्ध्र के लोगों को यह महसूस कराया गया है कि मुल्की नियमों के कारण वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। परन्तु वास्तव में द्वितीय श्रेणी के नागरिक गरीब और श्रमिक हैं, चाहे वे आन्ध्र के हों अथवा तेलंगाना के। भूमि वाले कृषक, कारखानों के मालिक तथा धनी वर्गों के अन्य लोग प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं।

*तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

‡Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

लोग आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के बारे में कह रहे हैं। इससे पहले कि विभाजन हो, रायलसीमा जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, का विकास किया जाये।

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश काफी सम्पन्न राज्य है और इसका तटीय क्षेत्र लम्बा है। इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए और उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। तभी हम आंन्ध्र प्रदेश में बेरोजगारी पिछड़ेपन और सूखा की समस्या हल कर सकते हैं।

यदि आन्ध्र क्षेत्र का विभाजन किया गया तो यह जातिवाद और सम्प्रदायवाद का घर बन जायेगा। वहां के भूमि वाले कृषकों नये धनी व्यक्तियों और चीनी के मालिकों ने उपद्रवों को बढ़ावा दिया है। यदि विभाजन किया गया तो हमें कई समस्याओ का सामना करना पड़गा। वहां से राजधानी को अन्यत्र ले जाना पड़ेगा जिस पर भारी व्यय होगा। हमें पिछड़ जितो विशाखापटनम और श्रीकाकुलम की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना होगा।

यदि आन्ध्र प्रदेश का विभाजन किया गया तो रायलसीमा के पिछले अनुभव के आधार पर हम विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं। पंजी और सेवाओं में हमारे कोटे का क्या होगा ?

मूल्की नियमों के उपबन्धों के सम्बन्ध में मैं बल देना चाहता हूं कि इन्हें 1977 और 1980 के बाद लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि तीन पदों में से दो पद आन्ध्र क्षेत्र के लिये आरक्षित किये जाने चाहिए। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यदि राज्य सरकार के पास शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लियें धन नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिये। वहां रायलसीमा आयोग तथा विकास बोर्ड भी है। यह तो केवल एक सलाहकार निकाय है। इसके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसकी पूरी वित्तीय सहायता की जानी चाहिए। इस बोर्ड को संविधि निकाय बनाया जाना चाहिए।

सरकार को आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें आन्ध्र प्रदेश की एकता और अखंडता को बनाये रखना चाहिए तथा पृथकवादी प्रवृत्तियों को बढावा नहीं देना चाहिए। आज विशाल आंध्र में पूरा प्रजातंत्र पनप रहा है। कांग्रेस दल ने केवल पृथकतावादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया है।

श्रीमती बी० लक्ष्मीकांतमा (खम्मम) : पिछले चार वर्षों से आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कटुता बढ़ी है जिसके फलस्वरूप राज्य के प्रगति को काफी धक्का पहुंचा है। मुल्की नियम समस्या द्वारा पिछले चार वर्षों मे तेलंगाना क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। मल्की नियम आन्दोलन विद्यार्थियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों ने शुरू किया, जिसका लाभ बाद में राजनीतिज्ञों ने उटाया।

मूल्की नियम के सम्बन्ध में संसद द्वारा कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। राज्य की एकता सम्बन्धी कार्य कोई एक दिन का काम नहीं है। इसका पृथक्करण इतना सरल नहीं, जितना कि इसे समझा जाता है। ये बूढ़े मंत्री इसका विभाजन नहीं कर सकते : भविष्य आन्ध्र प्रदेश की युवा पीढ़ि का है।

हमें उन लोगों के प्रति श्रद्धान्जलियां अर्पित करनी चाहिये जो शहीद हुए हैं। रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। जो मिर्धा पर अक्रमण हुआ। उन्होंने यह बात नहीं कही। मैं भी उस दिन गुन्तुर में थी।

यदि उस दिन बंद था तो शराब की सारी दुकाने क्यों खुली थी ? वे सब शराबी क्यों थे ? इतना पैसा क्यों खर्च किया गया ? उन्हें जलूस में चलकर रेलवे स्टशन पर हमला करने के लिय क्यों कहा गया ? इन सब बातों की जांच होनी चाहिये।

[श्रीमती वेदलक्ष्मी कांत]

जैसे कि श्री ईश्वर रेड्डी ने स्वयं कहा है. प्रधान मंत्री के पांच सूत्रादि फार्मूले का 85 प्रतिशत लोगों ने स्वागत किया है. . . . . (व्यवधान) । स्वतंत्र और जनसंघ दल ही इस प्रकार के उपद्रव खड़े कर रह हैं. . . . . . . (व्यवधान) ।

यह कहना गलत है कि विधान सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करते । लोग कुछ भी धमकियां दें, हम हर स्थिति का सामना करेंगे और समाजवाद लायेंगे । पांच सूत्रोंदि फामूले का लोगों ने स्वागत किया है । तेलंगना के 80 प्रतिशत विद्यार्थियों ने इसका समर्थन किया है । विद्यार्थी कहते हैं कि यह हमारे तथा तेलंगाना के भविष्य का प्रश्न है । हम विद्यार्थियों को दोषी नहीं ठहरा सकते । वे निर्दोष हैं ।

जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है तहसीलदार तथा हाउस सर्जन तक के स्तर की नौकरियां तेलंगाना के लोगों द्वारा भरी जायेंगी । इस प्रकार बहुत सी नौकरियां तेलंगाना के लोगों को जायेंगी । मूल्की नियम 1974 में समाप्त होना था, जिसकी अवधि अब प्रधान मंत्री ने पांच वर्ष के लिये बढ़ा दी है । यदि आप राज्य में एकता रखना चाहते हैं तो तीन वर्ष का समय कुछ भी नहीं है ?

प्रेस जिसे जूट प्रेस भी कहा जाता है, गलत और भड़क ने वाले समाचार प्रकाशित करता आ रहा है । ये प्रेस वाले कोई भी काम की बात प्रकाशित नहीं करते ।

मै अराजपत्रित कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे स्थिती को समझे । वे अपने राज्य के सर्वनाश के भागीदार न बने ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The Bill which is before the House should be circulated for eliciting public opinion. There is widespread dissatisfaction and discontentment over this issue in both parts of Andhra.

The Telengana problem came to the forefront in the year 1967-68. There was resentment among the people. Even the people of U.P. think that much attention is being paid towards Rai Bareli. The balanced economic development of the country has not been done.....

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण तथा अंतरीक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कुछ भी हो वहां कोई मुल्की समस्या नहीं है ।

Shri Jagannathrao Joshi : If not to-day—it can be there tomorrow because we have not paid any attention towards balanced economic development of the country. The development was not carried out in a planned way which is one of the reason for discontent among the people of both regions of Andhra Pradesh. The demand for a separate Andhra region was more pressing in the Andhra region as compared to that in the Telangana region. The situation has worsened since the Supreme Court's judgment in this connection. The Government did not follow a consistent policy in regard to the formation of States. People are not satisfied with the Mulki Rules or the Present Bill. They want a separate State both for Telangana and Andhra Pradesh. It is never a matter of any principle that there should be only one State of one language. It is now realised that balanced economic development is a more important cause than language for the formation of a State. It will therefore, be more advisable, if a high powered commission is appointed to look into the whole matter and the Government take decision on their verdict.

There is one very bad element that is being introduced in the Bill that the composite police proposed to be stationed in Hyderabad will be responsible for the defence of the Telangana. In view of this, the bill may be circulated for eliciting public opinion.

श्री जगन्नाथ राव (सत्तरपूर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुल्की नियम समस्या एक छोटी समस्या है। इस छोटी समस्या को लेकर राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिये।

मुल्की नियम को कानूनी रूप दिया गया है। आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र के नेताओं के बीच इस संबंध में एक समझौता भी हुआ था जिसे धारा 371 के अधीन संविधान की स्वीकृति भी प्रदान की गयी।

ये मुल्की नियम भूतपूर्व हैदराबाद राज्य पर भी लागू नहीं होते, अपितु ऐसे संरक्षण अन्य देशी राज्यों को भी प्राप्त थे। ये नियम 1977 और 1980 में समाप्त हो जायेंगे।

दोनों क्षत्र के नेताओं का प्रधान मंत्री के नेतृत्व में विश्वास है। मैं दोनों क्षेत्रों की जनता से अपील करता हूं कि परस्पर सहयोग करें और आर्थिक उन्नति प्राप्त करें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना अच्छा नहीं है।

उप मुख्य मंत्री समेत जो नौ मंत्री यहां आये थे, उन्होंने प्रधान मंत्री के समाधान की प्रशंसा की थी। परन्तु आंध्र प्रदेश वापस जा कर उन्होंने अपना मत बदल दिया।

मैं उन क्षेत्रों की जनता से एकता के लिये अपील करता हूं।

श्री० जी विश्वनाथन (वान्डीवाश) : भाषायी आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। जब 1956 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, तब एक करार हुआ था, जो क्रियान्वित नहीं हुआ।

प्रस्तुत विधेयक से न आंध्र वाले खुश हैं और न तेलंगाना वाले।

मुल्की नियमों के संबंध में संसद् द्वारा अधिनियमित अधिनियम 1957 को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था और मुल्की नियम संविधान के अनुच्छेद 35(ख) के कारण बने रहें। अब मंत्री महोदय समझते हैं कि उन्हें इस विधेयक को अधिनियमित करने का अधिकार है। परन्तु न्यायालय के 1969 के निर्णय से स्पष्ट है कि संसद् के पास ऐसी शक्ति नहीं है।

वर्तमान महा न्यायवादी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत विधेयक असंवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जायेगा।

जबकि सरकार यह समझती है कि परिस्थितियां बदल गयी हैं।

अनुच्छेद 35(ख) के अनुसार मुल्की नियम जब तक बदले नहीं जाते तब तक वैध हैं।

अनुच्छेद 35(ख) संसद् को मुल्की नियमों में संशोधन करने का अधिकार देता है। अतएव विधेयक में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है।

स्पष्ट है कि हम मुल्की नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और एक नया अधिनियम अधिनियमित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बिना अधिनियम के कोई संशोधन कर सकते हैं?

श्री जी विश्वनाथन : मुल्की नियमों, जोकि संविधान पूर्व बने थे, के संशोधन द्वारा हम प्रायः एक नया कानून बनाना चाहते हैं जोकि संविधान के अनुच्छेद 16(3) द्वारा असंवैधानिक है। जब तक अनुच्छेद 16(3) का संशोधन नहीं किया जाता, तब तक यह वैध नहीं होगा।

[श्री जी. विश्वनाथन्]

यदि सरकार इस मामले पर महान्यायवादी से परामर्श नहीं लेना चाहती, तो वह इसे उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिये भेज सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस उत्तरदायित्व से बचना क्यों चाहती है जबकि इसके लिये सभी विरोधी दलों ने सर्वसम्मत मांग की है। मुल्की नियमों संबंधी विधेयक से, कुछ सदस्यों को छोड़ कर, आंध्र के लोग प्रसन्न नहीं हैं। आंध्र तथा तेलंगाना के सदस्यों के अनुसार स्थिति विस्फोटक है।

पांच सूत्री योजना के बारे में इस सदन को, और जनता को ही नहीं कांग्रेस पार्टी को भी संतुष्ट किया जाना चाहिये।

उन्होंने कहा है कि मुल्की नियम 1977 में समाप्त हो जायेंगे। पन्रतु मुझे इस बारे में संदेह है। मैं सरकार से इस बारे में आश्वासन चाहता हूं।

'दिल्ली में बने' मुख्य मंत्री इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। हम तेलुगु भाषी लोगों के विकास के पक्षपाती हैं परन्तु अन्ततः दोनों क्षेत्रों के लोगों ने इस मामले पर विचार करना है।

श्री जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : आंध्र के तथा तेलंगाना के तेलुगभाषी लोग परस्पर झगड़ रहे हैं। आंध्र का निर्माण 1956 में हुआ, परन्तु मुल्की नियम 1918 में बने थे।

मुझे खेद है कि इस मामले पर बहुत से बेगुनाह लोगों का बलिदान हो गया तथा रेलवे की सम्पत्ति नष्ट हुई। यह सारी क्षति राष्ट्रीय क्षति है।

लज्जा की बात है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग परस्पर झगड़ रहे हैं। सदस्य गण हमारी समस्या को नहीं समझते। हम स्वयं बैठ कर उन्हें सुलझा सकते हैं।

मुल्की नियम 1918 में बने। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों में मतभेद पैदा करने की चेष्टा की थी। हमें शिक्षा की बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध थीं। 1947 में विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या 3000 से अधिक नहीं थी।

राज्य में हमने जनतांत्रिक सरकार के लिये संघर्ष किया। हैदराबाद में ऐसी सरकार बनी थी। 1923 में क्षेत्र के हिन्दुओं और मुसलमानों ने चेष्टा की थी कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वहां न पहुंच सकें। 1950 में संघर्ष आंध्र के विरुद्ध नहीं था। मुल्की नियमों की मांग हमने नहीं की थी।

मुल्की नियमों में अच्छे पदों के लिये तथा छोटे पदों के लिये ही व्यवस्था थी परन्तु अधिनियम में केवल छोटी सेवाएं ही रखी गई हैं।

आज इस क्षेत्र में सभी संस्थाओं, विभागों एवं भूमि वंधक बैंकों पर 99 प्रतिशत आंध्रवासियों का अधिकार है।

हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के समय मुसलमानों की जनसंख्या 10 प्रतिशत थी परन्तु उन्हें 80 प्रतिशत पद प्राप्त थे। पुलिस कार्यवाही के पश्चात् उन्हें जनसंख्या के अनुपात से 10 प्रतिशत पद दिये गये। हैदराबाद में हिन्दु मुसलमान भाई-भाई के समान रहे हैं। आंध्र के लोगों को पुलिस में पहले से 60 प्रतिशत पद प्राप्त थे।

इस अधिनियम के कारण जब तेलंगाना के लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, और मामला न्यायालय में जाता है, तब प्रायः हर बार निर्णय आंध्र के पक्ष में जाता है और उसे तुरन्त ही क्रियान्वित किया जाता है। और कभी न्यायालय के निर्णय तेलंगाना के पक्ष में होता है, तो उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता।

जब अन्तत: उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया तब हम उसके आंशिक रूप में क्रियन्वित किये जाने से संतुष्ट नहीं होंगे। तेलंगाना की पूरी जनसंख्या मुल्की नियमों के पक्ष में है। 1969 में इसके लिये 350 व्यक्तियों ने अपनी जानें दी थीं।

इस विधेयक के खण्ड 4 द्वारा मुल्की नियमों को क्षमताहीन बनाया जा रहा है। और आंध्र के लोगों की अनियमित नियुक्तियां की गई हैं। हमें जो एक हाथ से दिया जा रहा है, वह दूसरे हाथ से छीना जा रहा है। मुल्की नियमों के 1977 अथवा 1980 तक बने रहने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर बहुत थोड़े हैं।

इस समय विश्वास पैदा करने की जरूरत है। कुछ साल बाद, जबकि स्थिति में सुधार हो जाय, तब हम कह सकते हैं कि आगे मुल्की कानून लागू रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति आने पर ही मुल्की नियम समाप्त किये जा सकते हैं।

हम जानते हैं कि उन लोगों ने प्रधान मंत्री पर दबाव डालकर अपने लाभ के लिये कुछ कार्यवाही कराई है। एक अलग से आंध्र क्षेत्रीय समिति की स्थापना की जा सकती है। रायलसीमा और आंध्र के लिये अलग सचिवालय हो सकता है।

मुझे भय है कि अगर विभाजन शीघ्र नहीं हुआ, तो रक्तपात की आशंका है। इससे बचा जाना चाहिये। हमने अपने अनुयायियों से अहिंसक रहने का अनुरोध किया है। हैदराबाद में स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है; परन्तु आंध्र क्षेत्र में कुछ तेलंगाना वासियों की निर्ममता से हत्या कर दी गयी, परन्तु हमने उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया है। हम उनके साथ केवल असहयोग कर रहे हैं। संभव है कि विभाजन के पश्चात् अच्छी तरह रह सकेंगे। इस स्थिति में विभाजन ही सर्वश्रेष्ठ समाधान है।

श्री फैन्क एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। आंध्र प्रदेश में, आज जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैंने 1953 में ही भविष्यवाणी कर दी थी। यह आंध्र प्रदेश का पहला पाप था . . . (**व्यवधान**) डा० काटजू उस समय गृह मंत्री थे। मैंने उस समय कहा था कि इससे न केवल भाषायी राज्यों की समस्या ही उठेगी, बल्कि अन्त में यह भाषायी राज्य स्वयं विखण्डित हो जायेंगे। मैंने यह भी कहा था कि भाषायी राज्यों का एक नया सम्प्रदायवाद बनाया जा रहा है। अब भाषा और क्षेत्रवाद नई राजनैतिक शक्ति का द्योतक है। सरकार खुले तौर पर इसे बढ़ावा दे रही है। "धरती-पुत्रों (सन्स आफ दि सायल)" आन्दोलन के बारे में अथवा शिव सेना सिद्धान्त के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? राज्य सरकारें भी इस सिद्धांत की पुष्टि कर रही हैं। जब तक अनुच्छेद 16(3) के अन्तर्गत अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारें क्षेत्रीय आधार पर नौकरी का कोटा नहीं रख सकतीं।

गुजरात में वे 'सन्स आफ दि सायल' आन्दोलन के नाम पर भाषायी अल्प संख्यकों, महाराष्ट्रवासियों को कोई नौकरियां नहीं देंगे। थोड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यकों के बारे में भी यह कहा जाता है कि वे स्थायी रूप से राज्य के निवासी नहीं हैं। मुझे विभिन्न राज्यों के विधायकों ने यह बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और सरकारी उपक्रमों को यह निर्देश दिया है कि उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी दी जाय, जो 'सन्स आफ दि सायल' के सिद्धांत पर खरे उतरते हों। प्राइवेट फर्मों को पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्देश दिये हैं कि उसी राज्य के निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय। हिन्दी भाषी राज्य हिन्दी भाषी लोगों को 'सन्स आफ दि सायल' मानते हैं।

यह आंध्र प्रदेश की घटनायें वहां की जनता के लिये ही नहीं, बल्कि सारे देश के लिये दुःखद है। अब तक तो सन्स आफ दि सायल की धारणा एक विशेष भाषाभाषी के लिये लागू होती थी, परन्तु अब राज्य के एक विशिष्ट भाग के लिये 'सन्स आफ दि सायल' की धारणा और भी अधिक गलत ढंग से पेश की जा रही है।

[श्री० फ्रैंक एन्थनि]

अगर आपने आंध्र प्रदेश को विभाजित करके उस क्षेत्र को अलग कर दिया, तो विदर्भ, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी मुल्की नियमों के बारे में मांगें आ सकती हैं।

यह विधेयक एक खतरनाक प्रकार का प्रलोभन है। रक्तपात को बचाने के लिये उन्हें अभी विभाजित कर देना चाहिये। अगर सरकार इसे थोपने का प्रयास करेगी, तो लोगों में भावनाएं इतनी अधिक मात्रा में भड़क उठेंगी कि आंध्र प्रदेश में तेलंगनावासी और तेलंगना में आंध्र निवासी सुरक्षित नहीं रह पायेंगे।

श्री पट्टाभि रामाराव (राजमन्दरी) : भाषाई राज्यों की धारणा नई नहीं है। राष्ट्रपिता गांधी ने इस विचारधारा का लगभग पचास वर्ष पहले समर्थन किया था। आंध्र प्रदेश के नेताओं के प्रयास से 1956 में तेलुगुभाषी आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। पिछले तीन साल के अलावा वहां सामान्यतः शान्ति का वातावरण बना रहा है।

तेलंगना क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण ही वहां अधिक धन खर्च किया गया है। अनेक परियोजनायें वहां स्थापित की गई हैं।

आंध्रवासी डाक्टरों, वकीलों और अन्य व्यक्तियों के बच्चों को, जो हैदराबाद में रहते हैं, वहां के कालेजों में प्रवेश नहीं मिल सकता। क्या ऐसा उदाहरण कहीं भी मिलता है कि उसी राज्य के निवासियों के बच्चों को राज्य की राजधानी के कालेजों में प्रवेश न मिले। यही कारण था कि आन्दोलन शुरु हुआ। प्रधान मंत्री ने राज्य के नेताओं से आपस में समझौता करने के लिये कहा। जब समझौता न हो सका, तो प्रधान मंत्री को मामला न्याय-निर्णय हेतु सौंप दिया गया। प्रधान मंत्री ने काफी विचार के बाद अपना निर्णय दिया है। हम उसे मानने के लिये नैतिक रूप से बाध्य है।

पांच सूत्रीय फार्मूला मेरे विचार से ठीक है। 1976 तक हैदराबाद शहर में विभाजन वादी प्रवृत्ति नहीं रहेगी और 1980 तक सम्पूर्ण राज्य से यह भावना समाप्त हो जायगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आंध्र प्रदेश किसी भी हालत में विभाजित न हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इस विधेयक को लाना अनिवार्य था, अन्यथा 1956 के बाद जो भी आदेश जारी किये गये हैं, वे रद्द हो जायेंगे।

जनसंघ के नेता श्री जोशी ने कहा कि छोटे राज्य समृद्धिशाली हों सकेंगे। उन्होंने पंजाब, हरियाना और महाराष्ट्र एवं गुजरात का उदाहरण दिया। परन्तु इन राज्यों की भाषा अलग अलग है। हमारी तुलना उन राज्यों से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम सभी तो तेलुगुभाषी हैं।

डा० मेल्कोटे के इस कथन से मुझे आश्चर्य हुआ कि तेलंगाना की जनता आंध्रप्रदेश के लोगों के हाथों सताई जाती रही है, परन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। 1980 के बाद तो पूरा राज्य सभी मामलों में एक हो जायगा। हमें इस विधेयक से प्रसन्न होना चाहिये और इसका समर्थन करना चाहिये। अगर उत्तेजित जनता को यह बात समझाई जाय, तो वे शान्त हो जायेंगे और दो अलग राज्यों के बजाय संगठित आंध्र प्रदेश का समर्थन करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुल्की नियम विधेयक के बारे में वास्तविक रूप से सदस्यों के बीच मतभेद हैं। सदन में व्यक्त किये गये मतभेद आंध्र, तेलंगना और देश के अन्य भागों में व्याप्त मतभेदों का प्रतिबिम्ब हैं। हमें शान्तिपूर्वक इस मामले पर संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। हमें एक विचार धारा वाले राजनीतिज्ञों को एकतावादी और दूसरे राजनीतिज्ञों

को विखण्डनवादी नहीं कहना चाहिये । महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र के आन्दोलनों के नेता भी अग्रणी राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त नेता थे ।

[श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई
Shrimati Sheila Kaul in the Chair]

उस समय भी शंकाएं व्यक्त की गई थीं और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की विचारधाराओं जिसका महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था, एक विभाजनवादी प्रवृत्ति समझा गया था । पंजाबी सूबा के लिये जब मांग की गई, तब यह कहा गया था कि सीमावर्ती प्रांत के बारे में ऐसा खतरा कैसे उठाया जा सकता है ? परन्तु चीनी आक्रमण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जिन पंजाबी लोगों के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया था, उन्हीं लोगों ने देश की सीमाओं की रक्षा की थी ।

अत: हमें संवैधानिक, राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर विचार करना चाहिये । मैं हमेशा इस बात के लिये उन्सुक रहता हूं कि तनाव कम हों ताकि विकास कार्य सम्पन्न हो सकें ।

इस प्रकार के विधेयकों पर निर्णय करते हुए हमे देश की विभिन्न प्रजातांत्रिक संस्थाओं का आदर करना चाहिये । तेलंगाना क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना संविधान की धारा 371 के अधीन की गयी । उस सांविधिक निकाय ने कुछ निर्णय भी लिये हैं जिन्हें आपने उचित न समझा हो । उस क्षेत्र के सभी विधायक उस समिति के सदस्य हैं । इस समिति ने विचार व्यक्त किया है कि यह विधेयक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता । तेलंगाना क्षेत्रीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय को हमें टालना नहीं चाहिये । यदि हम इस विधेयक को पास कर लेते हैं तो इसे सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य चुनौती दी जायगी । ऐसे मामलों में यदि मतैक्य न हो तो हमें कानूनी सलाह लेनी चाहिये । राष्ट्रपति को इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिये भेजना चाहिये । हमें इस विधेयक को जनमत जानने के लिये भेजना चाहिये ।

मुल्की नियम विधेयक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की समस्या को हल नहीं करेगा बल्कि इसे अधिक पेचीदा बनायेगा । राज्य में बढ़ते तनाव से हो रही आर्थिक व विकास सम्बन्धी क्षति की अपेक्षा मैं तो यही चाहूंगा कि इस राज्य का विभाजन किया जाय ।

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापत्तनम) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं आंध्र प्रदेश के विभाजन के पक्ष में बिलकुल नहीं हूं ।

मुल्की नियम निज़ाम ने स्थानीय लोगों की भलाई के लिये बनाये थे । मैं इस विधेयक का इस कारण समर्थन करता हूं कि यह रोज़गार सम्बन्धी आरक्षणों को रद्द करता है । कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि ये आरक्षण 1980 तक जारी रहें लेकिन समय ऐसा है कि हम उस समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते । हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये ।

***श्री मगन्ती अंकिनीडु** (गुडिवाडा): सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप यह विधेयक पेश किया गया है ।

आन्ध्र में चल रहा आन्दोलन अपूर्व है । यह एक तरह से एक जन आन्दोलन है । केन्द्रीय सरकार को इस आन्दोलन की गम्भीरता को समझना चाहिये और समस्या का समाधान करना चाहिये ।

---

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

[श्री मारुती अंकिनीडु]

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुल्की नियम उन लोगों के लिये लागू नहीं किये जाते जो महाराष्ट्र और मैसूर चले गये हैं। जो क्षेत्र महाराष्ट्र और मैसूर में चले गये हैं उनके लिये मुल्की नियम क्यों नहीं लागू किये जाते? कांग्रेस दल के सदस्य होने के नाते हमारा नैतिक कर्त्तव्य यह है कि हम प्रधान मंत्री के फार्मूले का समर्थन करें। हमें आंध्र प्रदेश की एकता कायम रखनी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोग इस फार्मूले से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को इस विस्फोटक स्थिति पर विचार करके तुरन्त कोई सर्व मान्य निर्णय लेना चाहिये।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The Bill which is under discussion in the house is important one and needs to be passed at the earliest. I appeal to the people of Andhra Pradesh to maintain the unity of their state in the larger interest of development. Much harm will be caused to the unity of Andhra Pradesh in case it is divided. There are so many backward areas in Andhra Pradesh. All such areas are required to be developed. The judgement of the Supreme Court has posed a big question. We are expressing our feelings with heavy heart over this issue.

It is possible that your formula might not be upto the satisfaction of the people. This is more or less a national issue: There can be no development without viable units in the country. We will have to accept the basic principles in the interest of development of the country.

Both the minority and majority will live side by side in India. Their language and culture will develop. One should leave no apprehensions about the interests of minority and majority.

This problem should be settled peacefully. We should create an healthy atmosphere for the peaceful settlement of the issue.

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं क्योंकि यह न केवल गैर-कानूनी और असंवैधानिक है बल्कि अनैतिक भी है। प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार, आंध्र के नेताओं ने तेलंगाना के लोगों को अनेक आश्वासन दिये थे। इस विधेयक में इन आश्वासनों का कोई भी जिक्र नहीं है। मेरे विचार में मुल्की नियम की अपेक्षा पृथक राज्य ही अधिक हितकारी रहेगा।

विकास के बारे में भी केन्द्रीय सरकार ने हमें कई आश्वासन दिये थे। विधेयक का खंड 4 सबसे बुरा है। हमने प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार से शिकायत की थी कि आंध्र के लोगों ने हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रखा है। यह बात बिलकुल ठीक है। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे इस पर ध्यान देंगी लेकिन इसके विपरीत इन नियुक्तियों को सन् 1956 से इस विधेयक द्वारा मान्यता दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना के लोगों के हित में क्या किया जा रहा है।

तेलंगाना का विलय आंध्र के साथ तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध हुआ। आज सरकार हमसे अन्याय कर रही है।

आप हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। विलय के समय तेलंगाना के लोगों को जो उचित सुरक्षण सम्बन्धी आश्वासन दिये गये थे, उनकी ओर बाद में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

खंड 4 के अनुसार नौकरियों को सन् 1956 से मान्यता दी जा रही है। इससे तेलंगाना के लोगों को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा। 1971 में विधान सभा चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता भी पड़े तो

ऐसा भी हम करेंगे । क्या हितों की रक्षा इस प्रकार हो रही है ? आप शायद न जानते हों, क्योंकि आप उस क्षेत्र के नहीं हैं कि हमारी क्या कठिनाईयां हैं । अपने लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी कठिनाईयां जानता हूं । हमने अपने लोगों की बात कह दी है ।

श्री मिर्धा का कहना है कि ये समस्या तेलंगाना की ही नहीं है । राजस्थान में भी कई समस्याएं हैं । वहां ये सुरक्षाएं प्रदान नहीं की गयीं जबकि तेलंगाना को वे प्राप्त हैं क्योंकि सरकारने हमारी कठिनाई को समझा । आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 90 प्रतिशत सदस्यों की राय है कि उसे विभाजित कर दिया जाय इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ।

माननीय प्रधान मंत्री गरीबों की मित्र हैं और जनतंत्र की पोषक हैं । उनके पिता जी एक महान व्यक्ति थे । उन्होने एक व्यक्ति की मृत्य पर ही मद्रास राज्य को दो भागों में बांट दिया था, पर वे तेलंगाना में 350 और हाल में आंध्र में अनेकों लोगों की मृत्यु के बावजूद तेलंगाना और आंध्र को अलग-अलग करने को राजी नहीं हो रही हैं । मैं जानता हूं कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं पर इससे हमारी कठिनाईयों का समाधान नहीं होता । श्री चव्हाण और श्री मोरारजी देसाई अपने निजी हितों के कारण इस बंटवारे के विरुद्ध हैं । श्री चव्हाण को इससे विदर्भ के सम्बन्ध में कुछ खतरा है । पर उनका यह भय निराधार है । हम विदर्भ नहीं चाहते । अतः इस संबंध में कृपया श्री चव्हाण की बात न मानी जाये ।

इस समस्या का एकमात्र समाधान पृथक्करण ही है । इसके अलावा और कोई नहीं । प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विधान सभा सदस्य, संसद् सदस्य, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सब श्रीमती गांधी से विभाजन की मांग कर रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक से समस्या का समाधान नहीं होगा । इसके विरुद्ध फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जायेगी और इसे निश्चित ही संविधान के विरुद्ध घोषित किया जायेगा । इसलिये कृपा करके इस विधेयक को वापिस ले लें और राज्य का विभाजन करने वाला विधेयक लाए ।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : मेरे साथी डा० मेल्कोटे समस्या सम्बन्धी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल चुके हैं । इस बिल के असंवैधानिक करार दिये जाने की कई संभावनाएं बताई गयीं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the chair*]

इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके सम्बन्ध में न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर न्यायालय स्वयं फैसला देगी ।

यह विधेयक तेलंगाना के लोगों को प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने और उन्हें विधि का रूप देने के लिये लाया गया है ।

आंध्र और तेलंगाना में किसी प्रकार की व्यवस्था अथवा प्रशासन नहीं है । वहां कोई काम नहीं हो रहा है । सब कुछ ठप्प पड़ा है ।

श्री रघुरामैया का कहना है हैदराबाद में रहने वाले आंध्र वाले 24 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में देते हैं जबकि वे वहां की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है और तेलंगाना वासियों ने कुल 12 करोड़ रुपया राजस्व में दिया है जबकि उनकी जनसंख्य दो तिहाई है । क्या बढ़िया गणित उन्होंने लगाया है । हमारा अनुमान है कि वे केवल 1.5 करोड़ रुपया राजस्व के रूपया में देते हैं और उसकी ऐवज में व 7 करोड़ का लाभ उठाते हैं । सरकार एक आयोग नियुक्त कर इसकी जांच कर सकती है ।

[श्री जे० रामेश्वर राव]

यह विधेयक तेलंगाना वासियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता । इसके द्वारा 1970 में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नहीं होती । यह 1956 में की गई गलत नियुक्तियों की पुष्टि करता है, जो प्रधान मंत्री के आश्वासन से बिल्कुल उल्टी बात है । अन्त में मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मांग को मान कर तेलंगाना को पृथक् राज्य बनाएंगी क्योंकि हम आंध्र के साथ प्रसन्न नहीं रह सकते ।

श्री के० रघुरमैय्या : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 36 करोड़ के खर्च में हम आंध्रवासी 24 करोड़ का अंशदान देते हैं और वह सब तेलंगाना पर व्यय होता है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : मैं दो कारणों से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं । 1968-69 में जब तेलंगाना को पृथक् करने की बात की गई थी तब भी मैं इसमें पड़ा था तथा अब भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी मैंने इसकी अच्छाई और बुराई के सम्बन्ध में तेलंगाना और आंध्र के सभी दलों के नेताओं से चर्चा की थी । कुछ अपवादों के अतिरिक्त अधिकतर संयुक्त राज्य के पक्ष में थे क्यों कि वे सब महसूस कर रहे थे कि लगभग एक शर्त के बाद तेलुगु भाषी एक जगह इकट्ठा हुए हैं । यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी । इन्हीं तेलुगु भाषियों ने भाषायी राज्य बनाने की दिशा में दिशा निर्देशन दिया था ।

दोनों ही राज्यों की इच्छा से ही इनको एक साथ रखा गया था फिर यह चाहे एक करार था या कोई और बात । पर उसमें कहीं न कहीं कोई कमी थी । पिछली बार प्रधान मंत्री के आठ सूत्री फार्मूले के रूप में इस दिला में कुछ कदम उठाये गये थे । इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया । उसके सम्बन्ध में मैं यहां कुछ नहीं कह सकता ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब मुल्की नियमों को कुछ समय के लिये लागू करना है तो तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ सेवाओं में स्थान भी सुरक्षित किए जाने चाहिये । यह विधेयक दोनों राज्यों के एकीकरण की दिशा में एक कदम है ।

यह कहा जाता है कि गत 16-17 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया । पर हम पिछले 400 वर्ष के इतिहास को 5 या 10 वर्ष में नहीं बदल सकते । इसमें निश्चय ही दिक्कतें आयेंगी ।

यह कहना नितान्त गलत है कि मैं तेलंगाना की समस्या को अपने राज्य की हित की दृष्टि से देखता हूं । मुझसे कहा गया है कि मुल्की नियम महाराष्ट्र में क्यों लागू नहीं किये जाते । यदि महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में न हो कर आंध्र से मिलने वाले महाराष्ट्र के किसी भाग में होती, तो निश्चय ही कोई-न-कोई समस्या वहां उठी होती ।

मेरा यह सुझाव है कि श्री मिर्धा का यह कहना बिलकुल सही है कि प्रत्येक देशभक्त नागरिक का यह कर्त्तव्य है, कि वे इस पृथक्करण की भावना को और न भड़काएं । हमारे सामने अनेकों समस्याएं ह और उनके समाधान हमें ढूंढने हैं । अतः इस भावना को बढ़ावा देना स्वयं को और कठिनाइयों में डालना होगा । वास्तव में यह तो स्वयं को तथा लोगों को गुमराह करने की बात है । यदि यह बेरोजगारी का प्रश्न है तो कृषि तथा उद्योग में प्रगतिशील कदम उठाकर इस को हल किया जा सकता है । देश में इस ओर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और आगामी कुछ वर्षों में मुल्की नियमों आदि की समस्या खत्म हो जायेगी तथा लोग इसको भूल जायेंगे । आंध्र तथा तेलंगाना के लोगों को प्रगतिशील आर्थिक नीति का अनुमान करके ही रोजगार दिया जा सकता है । इस ओर कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है । अतः यह आवश्यक है कि दोनों क्षेत्रों के लोग आपस में मिल बैठकर कार्य करें । लोग ऐसी चीज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसको निरन्तर प्रयासों के पश्चात् जोड़ा गया था । आंध्र प्रदेश की एकता राष्ट्रीय नेताओं तथा आंध्र के नेताओं के प्रयासों का फल है । पिछले कुछ वर्षों से इसको कुछ खतरा उत्पन्न हुआ है । हमारे प्रधान मंत्री ने इस एकता को बनाये रखने का प्रयास किया है । प्रधान मंत्री द्वारा जो पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है वह इन्हीं प्रयासों का एक भाग है ।

भावनाओं में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिये । मैं वहां के लोगों तथा लोगों के प्रतिनिधियों की कठिनाइयों को समझता हूं । मैं उन मंत्रियों की भावनाओं को भी समझता हूं जिन्होंने अपने त्यागपत्र दिये हैं । हो सकता है उन्होंने ऐसा स्थानीय लोगों के दबाव में आकर किया हो परन्तु उन्होने मुझे बताया था कि वे केन्द्र के निर्णय को स्वीकार करेंगे । ऐसे मामलों में राष्ट्रीय नेताओं विशेषकर संसद् को ही पथप्रदर्शन करना होता है । यदि संसद् सामुहिक रूप से कोई निर्णय लेती है तो कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है ।

यह अधिनियम केवल एक अधिनियम ही नहीं बल्कि दोनों क्षेत्रों के लोगों से संसद् की अपील है कि वे अपने मतभेदों को भूल जायें । राष्ट्रीय हित के लिये इकट्ठे हो कर कार्य करें । यह अधिनियम भावनात्मक एकता लाने के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है । अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस से पूर्व कि श्री एस० बी० गिरी अपना भाषण आरम्भ करें मैं बताना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति ने इस विधेयक को आज ही खत्म करने का निर्णय लिया था । इसके लिए चार घण्टे का समय रखा गया है । अभी चार और सदस्यों को बोलना है । जबतक यह समाप्त नहीं हो जाता हम लोग बैठे रहेंगे ।

अभी एक व्यक्ति ीम्या के बाहर 'बन्दे मात्रम' के नारे लगा रहा था । मैंने उसे छोड़ देने को कह दिया है । कुछ दिन पहले भी ऐसी ही घटना घटी थी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था । पता नहीं यह वही व्यक्ति था अथवा कोई अन्य व्यक्ति था । वह व्यक्ति एक सौ व्यक्ति लेकर मेरे मकान पर पहुंच गया था । लगभग एक घंटे के पश्चात् उसको वहां से जाने के लिए राज़ी किया गया । वह कह रहा था कि विरोधी दल का सदस्य है । उसने अपना नाम परमात्मा बताया था ।

श्री एस०बी०गिरी : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक में न तो आंध्र और न ही तेलंगाना के लोगों की भावनाओं की ही पूर्ति होती है और न ही तेलंगाना के लोगों की राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याएं ही हल होती हैं । इस अधिनियम के पास हो जाने में तेलंगाना के लोगों को क्या सहायता मिलने वाली है ? यह एक मानवीय समस्या है और इसी बात को ध्यान में रख कर इस पर विचार किया जाना चाहिए । पिछले 16 वर्षों के अनुभव को देखकर ही इस क्षेत्र के लोगों ने यह आन्दोलन शुरू किया है । इसमें कम से कम 350 व्यक्तियों को मार दिया गया है । क्षेत्रीय समिति ने, जो कि एक सांविधिक निकाय है और जिसमें लगभग सभी दलों का प्रतिनिधित्व है एक मत से यह निर्णय किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाय । इस बारे में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारीत किया गया था । तेलंगाना से चुने गये संसद सदस्यों ने भी प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई परिवर्तन किया गया तो इसकी तेलंगाना में तीव्र प्रतिक्रिया होगी और सरकार पर लोगों के विश्वास को धक्का लगेगा । यह भी कहा गया था कि जब तक मुल्की नियमों को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक किसी से कोई बातचीत नहीं की जायगी । यह ज्ञापन तेलंगाना प्रजा समिति तथा इन्दिरा कांग्रेस के 6 सदस्यों द्वारा भी दिया गया था ।

प्रधान मंत्री द्वारा पांच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् मैं ने कहा था कि कार्य करना बहुत कठिन है और दोनों क्षेत्रों के लोग इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेंगे । आंध्र प्रदेश में इस घोषणा के पश्चात् अनेक लोगों की हत्या कर दी गई है । पुलिस की गोली से मरने वालों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । तेलंगाना में भी 350 व्यक्ति मरे हैं और लाखों व्यक्ति जेल में गये हैं । यह लोगोंका आन्दोलन है । मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जो कि लोगों की प्रतिनिधि है इस क्षेत्र के लोगों की अज्ञाओं का सम्मान करेगी ।

प्रधान मंत्री की घोषणा के पश्चात तेलंगाना क्षेत्रीय समिति ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है । इस का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम को अस्वीकार कर दिया है हालांकि उन्होंने प्रधान मंत्री को विश्वास दिया था कि वे उनके निर्णय का पालन करेंगे । अभी कुछ दिन पूर्व आंध्र के 87 विधायकों तथा 8 मंत्रियों ने एक सार्वजनिक सभा में आंध्र का झंडा लहराया तथा अलग राज्य की मांग की हैं,

[श्री एस० बी० गिरी]

ये वही लोग है जिन्होंने प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया था कि वे उनके निर्णय का पालन करेंगे। आज के समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है कि 'आंध्र कांग्रेस' ने जन्म लिया है और इस दल का नेतृत्व राज्य के उप-मुख्य मंत्री कर रहे हैं। इस का अर्थ यह है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दल नहीं है।

यह अधिनियम मानव जीवन के साधारण सिद्धान्तों का भी अनुसरण नहीं करता। यह विधेयक लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है। अत: मैं इसका विरोध करता हूं, जय तेलंगाना, जय हिन्द।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री चव्हाण ने सभी महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से सभा में बताया है। संसद में पहले भी अनेक भावनात्मक मामलों पर चर्चा हो चुकी है और मुल्की नियमों का मामला भी एक भावनात्मक मामला ही है। लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु, यदि वातावरण भावना से भरा हो तो किसी भी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अत: उसके लिये शान्त वातावरण की आवाश्यकता होती है। आगामी सौ वर्षों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी समस्याओं पर विचार करना होगा।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, समूचे देश में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। बल्कि मैं तो यह कहूंगी विश्व के प्रत्येक देश के समक्ष बेरोजगारी की समस्या है। हमें भी इस समस्या को हल करना है, इसमें कोई सन्देह नहीं। मेरे विचार में इस समस्या को लोगों के समक्ष उचित रूप से नहीं रखा गया है। यह एक बहुत ही सीमित तथा छोटा मामला है। यह स्थिति केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ही उत्पन्न हुई है। गत कुछ वर्षों में दोनों क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हुआ है और आगे सुधार हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही जैसे आग भड़क गई हो। इससे पूर्व स्थिति शान्तिपूर्ण थी।

हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था। वहां के अधिकांश लोग गरीब थे। उनके पास शिक्षा तथा समाज कल्याण की सुविधायें उपलब्ध नहीं थी। जब आंध्र प्रदेश राज्य बना तो यह महसूस किया गया कि कुछ समय के लिए इस क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए आत्याधीक रूप से कुछ विशेष उपाय करना आवश्यक है। लोगों के नेताओं के बीच इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से एक समझौता किया गया था जिसे हम सभी ने स्वीकार किया था। मेरा निवेदन है कि भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। आंध्र क्षेत्र में भी रायलसीमा तथा श्रीकाकुलम के पिछड़े क्षेत्र है, तेलंगाना भी पिछड़ा क्षेत्र है परन्तु इसमें भी अच्छे क्षेत्र हैं। केवल इस कारण कि कोई क्षेत्र तुलनात्मक तौर पर पिछड़ा हुआ है हमें मूलभूत निर्णय नहीं लेने चाहिए। क्या प्रत्येक जिला एक अलग राज्य बनना चाहता है। कुछ लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बाट दिया जाय। क्या पुन: पुराने छोटे छोटे राज्य बनाना चाहते हैं। इस बात की कोई न कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। पिछड़ेपन को मेहनत से ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए समूचे राष्ट्र को प्रयास करने होंगे। किसी विशेष ग्रुप के तथा विशेष क्षेत्र के पिछड़ेपन की कठिनाइयों के लिए सहानुभूति तथा सूझबूझ दिखानी होगी। परन्तु किसी को इससे लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह एक सामान्य समस्या है और यह समस्या निर्धनता की बड़ी समस्या का एक भाग है। इस का तुरन्त कोई हल नहीं है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में साधनों का आबंटन अधिक कठिन होता है क्यों कि सामान्य स्तर बहुत नीचा होता है। सभा को अवगत होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के आधार पर 225 जिलों को विशेष वित्तीय सहायता के लिए चुना था। इनमें आंध्र तथा तेलंगाना दोनों क्षेत्रों के जिले शामिल किये गये हैं।

पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता, पूरी करने संबंधी कार्यक्रम को शुरू करने का हमारा इरादा है। इस बारे में आप लोगों को शीघ्र ही जानकारी दी जायेगी। समस्या को हल करने का यही एक वास्तविक तरीका है। उचित ढंग से ही हम सबको इस समस्या पर विचार करना है।

जहांतक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है श्री मिर्धा ने उपबन्धों के कार्यक्षेत्र के बारे में पहले ही बता दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह जटिल स्थिनि उत्पन्न हुई है। बीच में मुल्की नियमों को भी अवैध घोषित किया गया था। स्थिति स्थिर कभी भी न रही। यह बिलकुल स्पष्ट है कि सभी स्तरों पर मुल्की नियमों को लागू करके प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। पहले भरे गये कुछ पदों को भी नियमित करना पड़ा था। विरोधी दल के मेरे साथी को इस बारे में बहुत चिन्ता थी कि शायद लोगों को पुनः बहाल किया जा रहा है। मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह शंका निराधार है। हमने जो आश्वासन दिया था हम उससे मुन्कर होने वाले नहीं है। हमें उनकी समस्याओं के बारे में पूरी चिन्ता है। परन्तु उनको हल करने का यह तरीका नहीं है। पृथक्कना ममस्या का कोई हल नहीं है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसे जनमत-संग्रह के लिए परिचालित किया जाना चाहिए; कुछ ने सुझाया कि इस पर उच्चतम न्यायालय की राय ली जाये। कुछ ने पूछा कि इतनी क्या जल्दी थी? विलम्ब से राज्य की स्थिति और अधिक विषम होने की आशंका है और राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से इस मामले में जल्दी की गई है। मैं राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं हूं। किन्तु यदि दो राज्य भी हो जाये तो भी इस विधेयक पर कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि विधेयक का सम्बन्ध दो नगरों की समस्या और शेष तेलंगाना की समस्या से है। कुछ भी क्यों न किया जाये वह समस्या तो रहेगी ही। यदि राज्यों की संख्या बढ़ भी जाये तो भी पड़ौसी राज्य तो होंगे ही। राज्य के विभाजन मात्र से समस्या हल हो जायेगी, यह विचारधारा ही गलत है।

सरकारी नौकरियों में रिहायश सम्बन्धी अर्हता की व्यवस्था से लोगों में रोष पैदा होना स्वाभाविक है क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है किन्तु संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 35 की व्यवस्था करके पिछड़े वर्ग के लिए संरक्षण प्रदान किया था। इसी आधार पर मुल्की नियम बने रहे। आन्ध्र के साथ जब तेलंगाना को मिलाया गया था तब आन्ध्र क्षेत्र की ओर से उनके संरक्षण यथावत बनाये रखने का उन्हें आश्वासन दिया गया था। इस तथ्य को लोग भूल जाते हैं। इस विधेयक का सम्बन्ध मुल्की नियमों से है किन्तु इसमें उनके क्रमशः समाप्त किये जाने की भी व्यवस्था है। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि विधेयक में जो समय-सीमा दी गई है, उसे आगे बढ़ाने की अनुमति मांगने के लिए पुनः सभा के सामने आने का इरादा सरकार का नहीं है। वैसे भी पांच से आठ वर्ष का समय एक राज्य के जीवन में बहुत छोटा होता है। दो नगरों में ये नियम तीन वर्ष पहले समाप्त कर दिये जायेंगे। इस अन्तरिम समय में भी राजधानी में रोजगार के अवसर बढ़ा दिये जायेंगे और शिक्षा की सुविधाएं भी बढा दी जायेंगी। मुल्की नियमों से सम्बन्धित निर्णय की पांच बातों में से तीन बातें इस विधेयक के अन्तर्गत आती है। सेवाओं के क्षेत्रीयकरण की योजना पर काम किया जा रहा है और वह अन्तिम रूप से शीघ्र ही तैयार हो जायेगी। उसके बाद राज्य सरकार सेवाओं सम्बन्धी वर्तमान नियमों में परिवर्तन करेगी।

मैं उन लोगों की इच्छाओं का आदर करती हूं जो राज्य के पूर्ण एकीकरण में बाधक सभी बातों को दूर करने के समर्थक हैं। मुझे आशा है कि एक दिन आयेगा जबकि ऐसी विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी अर्थात् न क्षेत्रीय समिति अलग होगी और न बजट-व्यवस्था ही। जैसे-जैसे आर्थिक विषमता दूर होगी, ऐसी विशेष व्यवस्थाओं के लिए गुंजाइश ही न रहेगी। किन्तु जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए क्षेत्रीय समितियां और विकास बोर्डों का गठन करने के हम इच्छुक हैं और यदि इन क्षेत्रों के लोग चाहें, तो वहां के नेताओं के परामर्श से ऐसी समितियां और बोर्डों का गठन किया जा सकता है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि बजट में राशि का नियतन दोनों क्षेत्रों के लिए बराबर-बराबर होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। साथ ही केन्द्र जितनी सहायता कर सकता है, करेगा। इसके अतिरिक्त पूर्ण राज्य के संसाधनों का विदोहन करना होगा। विकास सम्बन्धी असंतुलन को दूर करने के लिए हमने यह एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाया है।

संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और संघ के एकक प्रत्येक राज्य का अपना लम्बा इतिहास और सांस्कृतिक परम्परा है। साथ ही वह एक राजनीतिक इकाई भी बन गया है। आन्ध्र प्रदेश का

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

भी अपना इतिहास और सांस्कृतिक परम्परा है। वह प्राचीन कालसे एक इकाई के रूप में रहा है। हाल ही की बात छोड़ दीजिये। शायद यही कारण था कि तेलगू भाषी लोगोंने एक संयुक्त आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया था। यह तो उचित है कि सरकार लोगों की भावनाओं को देख। किन्तु लोगों का हित देखे बिना भावना के साथ बह जाना सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। अत: सरकार को शान्त मन से इस बात पर विचार करना है कि उस क्षेत्र और वहां के लोगों के क्या हित हैं तथा उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को काम करना है। आन्ध्र प्रदेश में जो घटनाएं हुई उनसे हमें दुख होता है। जिन लोगों की जाने वहां गई हैं उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है, किन्तु आन्ध्र प्रदेश के मामले पर हमें बड़े हित को सामने रखकर कार्य करना है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसका सीमित क्षेत्र है, उसमें व्यापक हित की बातें नहीं आतीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री नारायण राव अपने उस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं जिसमें विधेयक को उच्चतम न्यायालय को सौंपने का सुझाव दिया गया है।

श्री के० नारायण राव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रस्ताव संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The Motion No. 1 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव संख्या 31 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Motion No. 31 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक 15 फरवरी 1973 तक जनमत-संग्रह के लिए परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 41	विपक्ष में 231
Ayes 41	Noes 231

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 3 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 4 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुल्कि नियमों में, इस दृष्टि से कतिपय संशोधन करने के लिये, कि उनका प्रवर्तन सीमित किया जा सके, कतिपय नियक्तियों का विधिमान्यकरण करने के लिये और उक्त नियमों का क्रमबद्ध रीति से निरसन करने के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): मैं अपने संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं अपने उन संशोधनों के सम्बन्ध में विशेष रूप से बताना चाहता हूं जिसमें मैंने खंड 3 के स्थान पर यह सुझाव दिया है कि मुल्की नियमों का निरसन किया जाता है । एक अन्य संशोधन में मैंने यह सुझाव दिया है कि तेलंगाना क्षेत्र और शेष आन्ध्र प्रदेश से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां 1 : 2 के अनुपात में होनी चाहिए । हां, दोनों क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है । वस्तुत: आन्ध्र प्रदेश के झगड़े की जड़ है, रोजगार का प्रश्न । वहां पर रोजगार के अवसर कम हैं और बेरोजगारों की संख्या अधिक है । वहां पर समस्या एक पृथक आन्ध्र राज्य या पृथक तेलंगाना राज्य होने की नहीं है, बल्कि रोजगार की समस्या हल करने की है और हमें बेरोजगार की समस्या से निपटना है ।

सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाने के बजाय दोनों क्षेत्रों की जनता की भावनाओं को देखकर कोई समाधान निकालना चाहिए था जिसमें उनके हितों की रक्षा हो सकती । यदि सरकार आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा इसे नियम विरुद्ध घोषित करने के बाद कोई उपाय करती तो वहाँ यह स्थिति उत्पन्न न होती । अत: इसके लिए केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदाई है ।

हमारे दल को इस सम्बन्ध में बहुत दुख है कि आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना क्षेत्र में तोड़फोड़ की गतिविधिया हुई हैं । हमारे दल का यह विचार है कि यदि केन्द्रीय सरकार समय पर कार्यवाही करे तथा ऐसा कानून बनाए जिसमें व्यक्तियों को उचित अधिकार प्राप्त हो सकें तो इस समस्या का हल हो सक्ता है । यदि मुल्की कारणों को लागू रहने दिया तो इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है ।

केन्द्रीय सरकार को सर्वप्रथम एक ऐसा कानून बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत आंध्र और तेलंगाना के व्यक्तियों को दो और एक के अनुपात से राज्य सरकार कीस भी सेवाओं में नौकरी दी जा सके । उनकी नियुक्ति राज्य में किसी भी स्थान पर होनी चाहिये न कि उनसे सम्बन्धित क्षेत्र में । इसी प्रकार सरकारी निगमों तथा अर्द्ध सरकारी फर्मों में भी किया जाना चाहिये । दूसरे, राज्य के विकास कार्यों तथा प्रशासनिक व्यय के लिये केन्द्रीय अनुदान और इन दोनों क्षेत्रों के लिए उसी दो और एक के अनुपात से मिलनी चाहिये । साथ ही पिछड़े स्थानों के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । कालेज और व्यवसाय संस्थानों में भी उसी अनुपात से सीटें आरक्षित होनी चाहिये ।

तीसरे, उक्त उपबन्धों मांत्रिक प्रक्रिया की भांति निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये । उनको तभी तक लागू रखना चाहिये जब तक दोनों क्षेत्रों की जनता में पारस्परिक सद्भावना उत्पन्न नहीं होती तथा दोनों क्षेत्रों के बीच विकास सम्बन्धी असंतुलन दूर नहीं होता ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 **मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।**

The amendment Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 **मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

The amendment No. 22 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड दो विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड तीन विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री ए० के० गोपालन : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 16 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड चार विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड चार विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड पांच विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपने संशोधन संख्या 23 और 24 प्रस्तुत करता हूं :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 और 24 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 23 and 24 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपने संशोधन संख्या 25 और 26 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 और 26 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 25 and 26 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड सात विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड सात विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7 was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपने संशोधन संख्या 27, 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27, 28 और 29 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 27, 28 and 29 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 30 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The Second Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड एक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड एक विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	233	विपक्ष में	40
Ayes	233	Noes	40

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 दिसम्बर, 1972 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारतीय दंड संहिता में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किय जायें, अर्थात् :—

श्री पी० अंकिनीड़ु प्रसादराव

श्री बनमाली बाबू

श्री आर० वी० बड़े

श्री एच० के० एल० भगत

श्री मोहम्मद खुदा बख्श

श्री बी० ई० चौधरी

श्री खेमचन्दभाई चावड़ा

श्री मधु दंडवते

श्री जी० सी० दीक्षित

श्री तरुण गोगोई

श्री दिनेश जोरदर

श्री जैड० एम० काहनडोल

श्री जी० वाई० कृष्णन

श्री यमुना प्रसाद मण्डल

श्री पीलू मोदी

श्री एफ० एच० मोहसिन

श्री नीतिराज सिंह चौधरी

श्री डी० के० पंडा

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले

श्री चौधरी राम सेवक

श्री के० नारायण राव

श्री एम० सत्यनारायण राव

श्री वयालर रवि

श्री शंकर राव सावंत

श्री शम्भु नाथ

श्री बी० आर० शुक्ल

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह

श्री एस० एन० सिंह

श्री जी० विश्वनाथन]

श्री आर० पी० यादव "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 दिसम्बर, 1972 को इस सभा को भेजी गई इस सिफ़ारिश से सहमत है कि यह सभा भारतीय दंड संहिता में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

श्री पी० अंकिनीडु प्रसादराव

श्री बनमाली बाबू

श्री आर० वी० बड़े

श्री एच० के० एल० भगत

श्री मोहम्मद खुदा बख्श

श्री बी० ई० चौधरी

श्री खेमचन्दभाई चावड़ा

श्री मधु दंडवते

श्री जी० सी० दीक्षित

श्री तरुण गोगोई

श्री दिनेश जोरदर

श्री जैड० एम० काहनडोल

श्री जी० वाई० कृष्णन

श्री यमुना प्रसाद मण्डल

श्री पीलू मोदी

श्री एफ० एच० मोहसिन

श्री नीतिराज सिंह चौधरी

श्री डी० के० पंडा

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले

श्री चौधरी राम सेवक

श्री के० नारायण राव

श्री एम० सत्यनारायण राव

श्री वयालर रवि

श्री शंकर राव सावंत

श्री शम्भु नाथ

श्री बी० आर० शुक्ल

श्री रान शेखर प्रसाद सिंह

श्री एस० एन० सिंह

श्री जी० विश्वनाथन

श्री आर० पी० यादव

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1972/1 पौष, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, December 22, 1972/1 Pausa 1894 (Saka).

GIPN—S. 3—19 Lok Sabha/72—16-3-73—490.